खण्ड-188, अंक-2
बुधवार, 27 भाद्रपद, शक संवत् 1879
(18 सितम्बर, 1957 ई0)

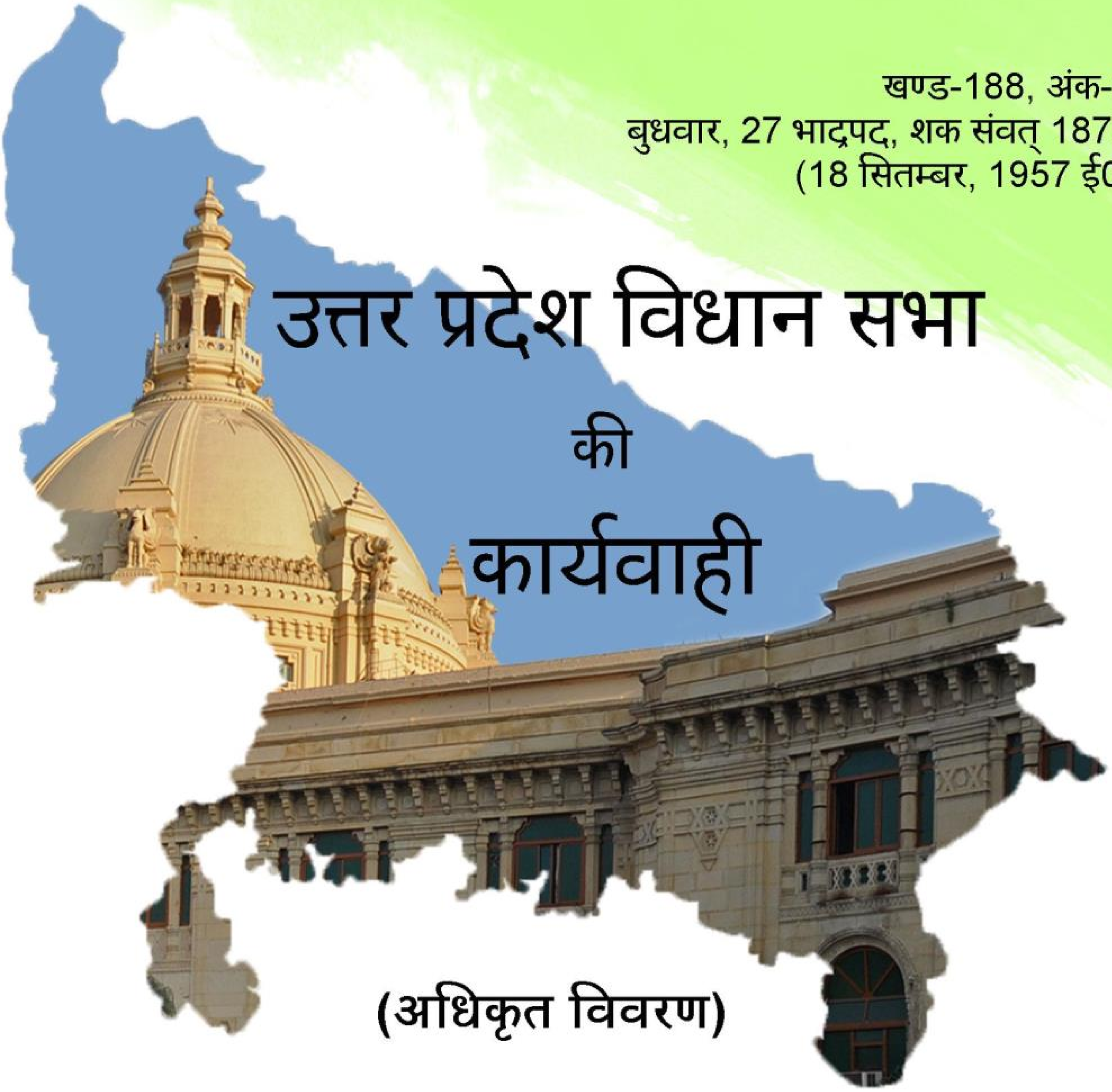

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 188 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्रमजीवी पत्रकार कानून के अन्तर्गत बने वेतन मंडल के निर्णयों की अवहेलना के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	११३–११४
कार्य-स्थगन प्रस्तावों के विषय पर याचनाएं	११४–११५
आगामी सत्रारम्भ के विषय में जानकारी की मांग	११५
कार्यसूची में व्यतिक्रम कर के कुमायूं विश्वविद्यालय विधेयक पुरःस्थापित करने के सम्बन्ध में श्री नारायणदत्त तिवारी की प्रार्थना ..	११५–११६
कानपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में संकल्प (वापस लिया गया) .	११६–१२९
कार्यसूची में व्यतिक्रम कर के कुमायूं विश्वविद्यालय विधेयक पुरःस्थापित करने के सम्बन्ध में श्री नारायणदत्त तिवारी की प्रार्थना ..	१२९
प्रदेश में भिखमंगों का समुचित प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में संकल्प (स्थगित) ..	१२९–१५७
कतिपय स्थायी समितियों के लिये निर्वाचन के विषय में सूचना ..	१५७
कतिपय स्थायी समितियों पर निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा ..	१५८
प्राक्कलन समिति के लिये श्री रूर्मासिह के निर्वाचन की घोषणा ..	१५८
भ्रष्टाचार सम्बन्धी कमेटियों के निर्माण के सम्बन्ध में श्री कल्याण चन्द मोहिले के ११ सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न ३–५ के विषय पर विवाद	१५८–१६४
नत्थियां	१६५–१७४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१८ सितम्बर, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३३०)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजोज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोला देवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊइल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश कुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खयाली राम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
छत्तरसिंह, श्री

छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगल किशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसाद सिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बचनराम, श्री
बेचनरामगुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री

उत्तर प्रदेश विधानसभा

भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद इब्राहिम, श्री हाफिज
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री उपनाम लाल साहब
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअवार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
राम समझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री

रुक्नुद्दीन खां, श्री
रूर्मासिह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगविहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शंकुतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शंभुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुरसिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्णगोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह बिसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १८ सितम्बर, १९५७ ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

रिटायरमेंट के वय में तीन साल की अवधि बढ़ाने की तिथि

**१—श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह सूचित करने की कृपा करेगी कि रिटायरमेंट की तीन साल अवधि बढ़ाने की योजना कब से लागू की गई है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—यह योजना १७ जून, १९५७ से लागू की गई है।

श्रीमती चन्द्रावती—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह योजना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कर्मचारियों पर भी लागू होगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, सरकारी नौकरों के लिये है।

श्रीमती चन्द्रावती—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस योजना से सरकार को कितना आर्थिक लाभ हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बजट की बहस के सिलसिले में इस संबंध में मैं बहुत कुछ कह चुका हूं। इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस नई योजना के लागू करने के क्या विशेष कारण थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वह कारण तो बजट की बहस के सिलसिले में बतला दिये गये थे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि योजना के विरोध में यू० पी० कांग्रेस कमेटी ने कोई प्रस्ताव भेजा है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कोई खत भेजा है या नहीं, यह तो कांग्रेस कमेटी से पूछना चाहिये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की ओर से प्रेस विज्ञप्ति निकाली गई है, जिसमें इस योजना को लागू करने को स्थगित कर दिया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आज तक मुझे इस विज्ञप्ति का पता नहीं लगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना के फलस्वरूप कुछ ऐसे कर्मचारी भी अपनी जगह पर तीन साल के लिये काम कर रहे हैं जिनके विरुद्ध जांच हो रही थी और इस जांच के फलस्वरूप उनको कम्पसलरी रिटायरमेंट के लिये विवश किया जा रहा था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वह प्रश्न तो बिल्कुल अलग है। अगर कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो किसी दूसरे कारण से अयोग्य समझे गये होंगे तो उनको जरूर अलग होना पड़ेगा। चाहे यह योजना हो या दूसरी कोई योजना हो।

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)---क्या यह सही है कि जो कुछ महीने पहले रिटायर हो चुके थे, वे पुनः नियुक्त कर लिये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न मूल प्रश्न से उठता नहीं है।

ए० सी० करेंट से लखनऊ में मौतें

**२---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि १-१-१९५७ से २८-८-५७ तक लखनऊ में बिजली के तारों, पंखों इत्यादि की दुर्घटना से कितने व्यक्ति मरे ? इन दुर्घटनाओं के तात्कालिक कारण क्या थे और ये मृत्युएं ए० सी० करेन्ट से हुईं या डी० सी० से ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री धर्मसिंह)---पहली जनवरी, १९५७ से २८ अगस्त, १९५७ तक लखनऊ में बिजली के तारों, पंखों इत्यादि की दुर्घटनाओं से ८ व्यक्तियों की मृत्यु हुई। ये मृत्युएं ए० सी० करेन्ट से हुईं और इनके तात्कालिक कारण निम्नलिखित थे :

(१) महानगर एरिया में बिल्डिंग बनाते समय दो मजदूरों की हाई टेन्शन लाइन से सम्पर्क हो जाने के कारण मृत्यु हुई;

(२) कैन्टोनमेंट एरिया में मिलीटरी इंजीनियरिंग सर्विस की ओवर हेड लाइन पर काम करते समय एक लाइन मैन की मृत्यु हुई;

(३) मेडिकल कालेज में रूम कूलर के हैन्डिल को जो चार्ज हो गया था छूने के कारण एक मेहतर की मृत्यु हुई;

(४) रिफ्यूजी कालोनी. ऐशबाग, में श्री जोगेन्दर सिंह तथा श्री रूपलाल के मकान में अनधिकृत एक्सटैन्शन (extension) में लीकेज होने के कारण जिसने कि कपड़े टांगने वाले तार को चार्ज कर दिया था एक पुरुष व दो स्त्रियों की मृत्यु हुई।

(५) मोहल्ला हसनगंज में श्री शंकर लाल के घर में एक (defective) दोषयुक्त टेबुल पंखे के सम्पर्क में आने के कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हुई।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या ए० सी० करेन्ट की घातकता को देखते हुए सरकार ने ए० सी० करेन्ट को बदल कर डी० सी० करेन्ट में परिणत करने की कोई योजना बनायी है ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार इस बात के कारण बताने की कृपा करेगी कि जब ए० सी० करेन्ट इतनी घातक है कि एक शहर में ८ महीने में ८-८ मौतें उसके फलस्वरूप हो जाती हैं तो उसको डी० सी० करेन्ट में वह क्यों नहीं परिवर्तित करती ?

श्री धर्मसिंह---उसके बहुत से कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि डी० सी० का सामान नहीं मिल पाता। इसके अलावा डी० सी० बिजली बहुत महंगी पड़ती है और जहां-जहां बड़े-बड़े एरियाज हैं वहां उसको फैलाने में सरकार के सामने बहुत दिक्कतें आती हैं। हमेशा इस बात की कोशिश की और कमेटियां भी बैठायीं, लेकिन इस बात के होते हुए भी कि वह खतरनाक है हमेशा यही सिफारिश की गयी कि ए० सी० करेन्ट उपयोगी है और उसी के फैलाने से जनता को अधिक से अधिक लाभ हो सकेगा।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला वाराणसी)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डी० सी० करेन्ट से कोई ऐसी दुर्घटना हुई है जिससे किसी व्यक्ति की कोई मृत्यु हुई हो ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है, मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ए० सी० करेन्ट के खतरे से बचाने के लिये सरकार कोई उपाय कर रही है ?

श्री धर्मसिंह---जी हां, हर प्रकार के प्रिकाशन्स लिये जा रहे हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---अभी माननीय मंत्री जी ने श्रीमती सज्जन देवी जी के प्रश्न पर उत्तर दिया कि नोटिस की जरूरत है। मैं इस प्रश्न को पढ़ना चाहता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि इन दुर्घटनाओं के तात्कालिक कारण क्या थे और ये मृत्युएं ए० सी० करेन्ट से हुईं या डी० सी० से। तो क्या यह नोटिस नहीं माना गया ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप बहस कर रहे हैं। बात यह है कि उनको मालूम नहीं है, इसलिये नोटिस चाहते हैं।

जाड़े में इन्फ्लुएंजा की दूसरी लहर आने की सम्भावना

**३---श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि जाड़ों में इस वर्ष इन्फ्ल्युएन्जा की दूसरी लहर आने वाली है जैसा कि प्रदेश के Health Director ने तारीख ४-८-५७ को डाक्टरों की एक सभा में कहा था ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी)---हां, यह ठीक है कि हेल्थ डाइरेक्टर ने डाक्टरों की सभा में इस बीमारी के पुनः जाड़े में आने की सम्भावना बतलाई थी, परन्तु यह निश्चित बात नहीं है।

**४---श्री गनेशी लाल चौधरी---यदि हां, तो उसको रोकने के लिये सरकार ने क्या-क्या प्रबन्ध कर लिये हैं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---प्रश्न नहीं उठता।

**५---श्री गनेशी लाल चौधरी---सरकार को क्या-क्या प्रबन्ध अभी और करने हैं ?

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी---प्रश्न नहीं उठता।

श्री गनेशीलाल चौधरी---इस बीमारी की भयंकरता को देखते हुए क्या सरकार यह बतायेगी कि अगर आवश्यकता पड़ी तो इसको रोकने के लिये उसने क्या प्रारम्भिक योजना बनायी है ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---इससे मृत्यु बहुत कम हुई, लिहाजा मुझे कोई घबराहट इससे मालूम नहीं होती। जो हमारे इन्तजामात इस वक्त हैं वे बदस्तूर कायम रहेंगे।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हेल्थ डायरेक्टर ने जो डाक्टरों के सामने यह बयान दिया कि यह बीमारी दोबारा आयेगी तो यह किस आधार पर उन्होंने कहा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं तो कहता हूं कि मैं उसको ब्रह्म वाक्य नहीं मानता।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या डायरेक्टर आफ पब्लिक हेल्थ ने यह भी कहा था कि जो दूसरी लहर आयेगी वह अधिक घातक होगी और उसमें मृत्युएं भी अधिक होंगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उनका डिटेल्ड बयान इस वक्त मेरे सामने मौजूद नहीं हैं।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डब्लू० एच० ओ० से इस किस्म की रिपोर्ट आई है कि फ्लू का जो दूसरा दौर आयेगा वह ज्यादा खतरनाक होगा?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मेरे पास तो बाकायदा कोई रिपोर्ट नहीं आयी।

श्री मदनगोपाल वैद्य—क्या दूसरी लहर आने के सम्बन्ध में भारतीय सरकार से फिर कोई सूचना प्रदेशीय सरकार के पास आयी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसी कोई सूचना याद नहीं पड़ती।

तारांकित प्रश्न

*१-३—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

देवरिया कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बैंक बीज गोदाम तथा गल्ले की दूकानों को लूटने का कथित प्रोग्राम

*४—श्री झारखंडे राय—क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि उन्होंने समाचार-पत्रों में गत १० जून को ऐसा वक्तव्य दिया था कि देवरिया कम्युनिस्ट पार्टी ने बैंक बीज गोदाम और गल्ले की दूकानों के लूटने का प्रोग्राम बनाया था?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—हाईकोर्ट में इस सम्बन्ध में एक अर्जी दाखिल हो चुकी है जिसके फलस्वरूप यह मामला न्यायालय के विचाराधीन हो गया है। अतएव इस सम्बन्ध में कुछ कहना उपयुक्त न होगा।

*५—श्री झारखंडे राय—यदि हां, तो क्या गृह मंत्री इस विषय के सभी तथ्य सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न नहीं उठता।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान समाचार-पत्रों में छपे और विशेषकर पूर्वी यू० पी० के जनप्रिय पत्र 'आज' में छपे एक समाचार की ओर आकर्षित हुआ था? यदि हां, तो उन्होंने उस के विषय में कोई स्पष्टीकरण किया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी, कोई स्पष्टीकरण तो नहीं किया।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस प्रकार की रिपोर्ट आपको कम्युनिस्ट पार्टी के सम्बन्ध में प्राप्त हुई थी, क्या उसी प्रकार की रिपोर्ट आपको अन्य पार्टियों के सम्बन्ध में भी प्राप्त हुई हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—किस प्रकार की रिपोर्ट की बात है? मैंने तो किसी रिपोर्ट की बात नहीं कही।

श्री मदन पांडेय—जिस प्रकार की खबरों के आधार पर आपने कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में बयान दिया था, क्या उसी प्रकार की रिपोर्टें आपको अन्य पार्टियों के सम्बन्ध में भी प्राप्त हुई थीं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने अपने बयान देने के बारे में भी कोई बात नहीं कही।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब उन कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं पर सलेमपुर एस० डी० एम० के कोर्ट में मुकदमा चल रहा था तब उन्होंने अखबार में उनके बारे में बयान दिया था?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह मामला अदालत के विचाराधीन है लिहाजा मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता ।

पुलिस विभाग द्वारा निर्मित जन-सेवक फिल्म का प्रदर्शन

*६—श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस विभाग द्वारा निर्मित-जन सेवक फिल्म किन-किन शहरों में दिखाई गई और कितने व्यक्तियों ने इससे लाभ उठाया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—राज्य के प्रत्येक जिले के केन्द्रों में यह फिल्म प्रदर्शनार्थ भेजी गई थी और उसके पर्याप्त प्रदर्शन हुए । प्रदर्शन के समय उपस्थित व्यक्तियों की संख्या बताना संभव नहीं है ।

*७—श्री गनेशीलाल चौधरी—इसके बनाने में कितना धन खर्च किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—११,७८१ रुपये ।

श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जब प्रदर्शन के समय उपस्थित व्यक्तियों की संख्या बतलाना संभव नहीं तो यह प्रदर्शन किन एजेंसियों के द्वारा किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना विभाग की ओर से यह फिल्म दिखाये जाते हैं ।

*८-९—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१०-११—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१२—श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर २५ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*१३-१५—श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर)—[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१६-१८—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

पुलिस सब इन्स्पेक्टरों के कैरेक्टर रोल में एंट्री के लिये परगनाधीशों तथा जुडिशियल मैजिस्ट्रेटों की राय लेने का सुझाव

*१९—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस डिपार्टमेन्ट में सब-इंस्पेक्टरों के करेक्टर रोल में किस अधिकारी के द्वारा एन्ट्री की जाती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पुलिस डिपार्टमेन्ट में सब-इन्स्पेक्टरों के कैरेक्टर रोल में सुपरिण्टेंडेंट आफ पुलिस एण्ट्री करते हैं ।

*२०—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी कि सब-इंस्पेक्टर्स के करेक्टर रोल में एण्ट्री करते समय उनके क्षेत्रों से संबंधित परगनाधीशों एवं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की सिफारिशों (Recommendations) एवं रिमार्क्स भी मांगें जायं और उन पर भी ध्यान दिया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह सुझाव पहले से ही सरकार के विचाराधीन है ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस सुझाव पर क्या कार्यवाही हो चुकी है और सुझाव कब तक कार्यान्वित किया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह अभी तो विचाराधीन है, यही कार्यवाही हो रही है । कार्यान्वित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार ने इस पर सुझाव देने के लिये किसी कमेटी का निर्माण किया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—क्या सरकार की ओर से कोई ऐसा आदेश है कि यदि ऐडवर्स एन्ट्री हो तो उसको संबंधित व्यक्ति को इतने समय में कम्युनिकेट कर दिया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यहां तो ऐसा नियम है ही कि अगर कोई ऐडवर्स एण्ट्री होती है तो संबंधित अधिकारी को उसकी सूचना दे दी जाती है ।

*२१—श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२२-२३—श्री ब्रजनारायण तिवारी—[२६ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न ७३-७४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

जेल विभाग द्वारा उत्पादित सामान पर लाभ-हानि

*२४—श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जेल विभाग द्वारा उत्पादित पण्यों की बिक्री के लिये सरकार द्वारा क्या प्रबन्ध है ?

समाज सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—जेल विभाग द्वारा उत्पादित सामान जेलों पर तथा जेल डिपो द्वारा बेचा जाता है ।

*२५—श्री गंगाप्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया जेल द्वारा उत्पादित पण्यों पर हुये हानि-लाभ का योग (सन् १९५४ से लेकर १९५६ तक का) सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—इसका ब्योरा संलग्न तालिका में दिया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १६५ पर)

पब्लिक प्रासीक्यूटर तथा असिस्टेण्ट पब्लिक प्रासीक्यूटर्स में हरिजन न होना

*२६—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि असिस्टेंट पब्लिक प्रासीक्यूटर कितने हैं और उनमें कितने हरिजन हैं तथा कितने हरिजन पब्लिक प्रासीक्यूटर हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रदेश में कुल ३२६ असिस्टेण्ट पब्लिक प्रासीक्यूटर हैं। कोई भी हरिजन असिस्टेन्ट पब्लिक प्रासीक्यूटर या पब्लिक प्रासीक्यूटर नहीं है ।

श्री रामशरण यादव—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पब्लिक प्रासीक्यूटर और असिस्टेन्ट पब्लिक प्रासीक्यूटर के लिये संविधान में दिये गये संरक्षण का प्रयोग नहीं किया जाता है और क्या वह इसके लिये लागू नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—किया तो जाता है और किया जाना चाहिये, लेकिन पब्लिक प्रासीक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रासीक्यूटर के लिये जिस शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता पड़ती है उसके अनुसार यदि आदमी नहीं मिल पाते या हरिजन भाई नहीं मिल पाते तो फिर लाचारी हो जाती है।

*२७—श्री गणेशीलाल चौधरी—[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*२८—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*२९—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—[२६ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न ७८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

विदेशियों की मूर्तियों के रक्षार्थ पुलिस

*३०—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सार्वजनिक स्थानों से विदेशी मूर्तियों को हटाने का आन्दोलन सोशलिस्ट पार्टी द्वारा जब से संचालित है तब से उन मूर्तियों के रक्षार्थ कहां-कहां और कितनी-कितनी पुलिस एवं अधिकारी नियुक्त हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस समय विदेशी व्यक्तियों की मूर्तियों के रक्षार्थ कहीं भी कोई पुलिस एवं अधिकारी नियुक्त नहीं हैं।

गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुछ शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करना

*३१—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में हाल में जो शिक्षकों की नियुक्तियां हुई थीं उनको क्यों रद्द कर दिया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—हाल में जो नियुक्तियां हुई हैं उनको रद्द नहीं किया गया।

*३२—श्री प्रताप सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो शिक्षक गोरखपुर विश्वविद्यालय के घटक कालेजों में अब तक कार्य कर रहे हैं क्या उनको विश्वविद्यालय में जगह दी जायेगी।

श्री कमलापति त्रिपाठी—गोरखपुर में अभी तक कोई घटक कालेज नहीं है, अतः उसके शिक्षकों को विश्वविद्यालय में नियुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रतापसिंह—क्या यह सही है कि जुलाई के महीने में चांसलर द्वारा जो नियुक्तियां की गईं उनको तार द्वारा रद्द किया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—चांसलर द्वारा कोई नियुक्ति नहीं की गई और सरकार ने किसी नियुक्ति को रद्द नहीं किया।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर ने कोई सूची सरकार के पास इस सिफारिश के साथ भेजी थी कि यह शिक्षक रख लिये जायं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—विश्वविद्यालय की नियुक्ति का सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन वाइस-चांसलर ने कुछ नियुक्तियां की थीं और वे नियुक्तियां नियमानुसार नहीं की गयी थीं, इसलिये स्वयं चांसलर ने उनको रद्द कर दिया।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस समय विश्वविद्यालय बना फाउन्डेशन कमेटी से यह कमिटमेंट था कि महाराणा प्रताप कालेज और सेन्ट एण्ड्रयूज कालेज के शिक्षकों का भी खयाल रखा जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, यह प्रश्न यूनिवर्सिटी के विचाराधीन है ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या यह सही है कि वाइस-चांसलर महोदय द्वारा नियुक्तियां हुई थीं, उसके विरुद्ध जनता में असन्तोष था और सरकार को रिप्रेजेंटेशन किया गया था और उस आधार पर वे नियुक्तियां रद्द की गई थीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह सूचना अवश्य है कि वाइस चांसलर ने कुछ नियुक्तियां की थीं जिन्हें चांसलर ने, यह समझ कर कि वे नियमानुसार नहीं हैं, रद्द कर दिया और फिर नियमों के अनुसार नियुक्तियों के लिये व्यवस्था बना दी ?

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार इस बात को उचित समझती है कि समाचार-पत्रों में सरकार से संबंधित जो गलत समाचार प्रकाशित हो जाते हैं उनका सरकारी तौर पर खंडन किया जाया करे ?

श्री अध्यक्ष---वैसे इसका मूल प्रश्न से कोई खास सम्बन्ध नहीं है, परन्तु आम नीति का सवाल है, आप उत्तर दे सकते हैं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---सभी समाचार इस हैसियत के नहीं होते हैं कि उनका खंडन किया जाय । जिनकी वह हैसियत होती है उनका खंडन किया जाता है ।

श्री मदन पांडेय---क्या गोरखपुर टैक्निकल इन्स्टीट्यूट और ऐग्रीकल्चरल कालेज के सम्बन्ध में सरकार के विचाराधीन कोई इस प्रकार का प्रश्न है कि इन्हें भी इस विश्वविद्यालय में सम्मिलित कर दिया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अभी निश्चित रूप से और तफसील से नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक विचार ऐसा है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में टैक्निकल और ऐग्रीकल्चर की शिक्षा की व्यवस्था की जाय । इन दोनों संस्थाओं के भविष्य के सम्बन्ध में यदि ऐसा कुछ निर्णय हुआ तो विचार कर लिया जायगा ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---क्या सरकार को ज्ञात है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में एग्जीक्यूटिव कमेटी या परामर्शदात्री समिति नियुक्तियों के लिये बनाई जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जहां तक प्रोफेसर्स की नियुक्तियों का सम्बन्ध था, चांसलर ने ऐक्ट की दफा ५२ के मुताबिक एक्सपर्ट ऐडवाइजरी कमेटी बनाई थी और नियमों के अनुसार उनकी नियुक्तियां हो गईं । किसी एग्जीक्यूटिव कमेटी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन और कार्यों के संचालन के बारे में चांसलर इस पर विचार कर सकते हैं ।

सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष श्री रामचन्द्र शुक्ल का गोरखपुर जेल से स्थानान्तरण

*३३---श्री राम स्वरूप वर्मा (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जून, १९५७ के प्रथम पक्ष में सोशलिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री रामचन्द्र शुक्ल को गोरखपुर हवालात जेल से किसी फौजदारी मुकदमें के हेतु सीतापुर जेल को स्थानान्तरित किया गया था ?

श्री मुजफ्फर हसन---जी, हां । किन्तु बाद में मालूम हुआ कि यह स्थानान्तरण गलती से हो गया था, तुरन्त ही श्री रामचन्द्र शुक्ल को लखनऊ जेल भेज दिया गया, जहां उन्हें जाना चाहिये था ।

*३४—श्री रामस्वरूप वर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त श्री रामचन्द्र शुक्ल के विरुद्ध फौजदारी को किस-किस दफा का मुकदमा सीतापुर जिला की अदालत में होने वाला था और वह क्यों नहीं चलाया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन—श्री रामचन्द्र शुक्ल के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४७/३३२ के अन्तर्गत मुकदमा लखनऊ में था, सीतापुर में नहीं ।

राजकीय विद्यालय, देवरिया में टेक्निकल कोर्स के लिये भवन न तैयार होना

*३५—श्री दीननारायणमणि त्रिपाठी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय विद्यालय (बालक) देवरिया में जो टेक्निकल कोर्स (प्राविधिक शिक्षण कार्य) इसी सत्र से चलने वाला था वह स्थगित क्यों कर दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कोर्स स्थगित नहीं किया गया है, बल्कि वर्कशाप का भवन तैयार न होने के कारण छात्र प्रवेश स्थगित करना पड़ा है ।

श्री दीननारायणमणि त्रिपाठी—क्या सरकार को मालूम है कि फरवरी-मार्च से यह भवन निर्माण हो रहा है तो कब तक पूरा हो जायगा जिससे यह कार्य चल सके ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैं ऐसी आशा करता हूं कि इस वर्ष भवन-निर्माण का कार्य सम्पन्न हो जायगा और अगले सत्र से पढ़ाई शुरू हो जायगी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार को मालूम है कि इस कालेज के प्रिंसिपल साहेब ने विद्यार्थियों को भर्ती के सम्बन्ध में सूचना दे दी थी और कुछ भर्तियां भी कर ली थीं और अभिभावकों की इस सम्बन्ध में बहुत कुछ हानि भी हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—लड़कों की भर्ती की आज्ञा नहीं दी गयी थी ।

*३६-३७—श्री रामगोपाल गुप्त (जिला हमीरपुर)—[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

रायबरेली जिले में कारतूसी बन्दूकों के लाइसेंस

*३८—श्री गुप्तारसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, सन् १९५६ से अगस्त, १९५७ तक जिला रायबरेली में कारतूसी बन्दूकों के कितने लाइसेंस दिये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१०९ ।

श्री गुप्तारसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १०९ में ऐसे लाइसेंस कितने हैं जो उनको दिये गये हैं जिनके घर में पहले के पुराने लाइसेंस हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना की आवश्यकता है ।

श्री गुप्तारसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ साल में १९५६ में ३८ लाइसेंस हैं तो ८ महीने के भीतर १०९ लाइसेंस हो जाने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—लाइसेंस कलेक्टर और कमिश्नर अपने विवेक के अनुसार और नियमों के अधीन देते हैं और इसी कारण से वह संख्या भी ऐसी घटी होगी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—रायबरेली के लिये संख्या १०९ ही क्यों उचित समझी गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वहां के अधिकारियों के विवेक में १०९ ही ठीक जंची।

बाराबंकी जिले में पुलिस अधिकारियों का कार्यकाल

*३९--श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले के अन्तर्गत कितने पुलिस अधिकारी एक ही स्थान पर ३ व ४ साल से तैनात हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सशस्त्र पुलिस के अलावा, जो सदैव पुलिस लाइन में ही रहते हैं, सिविल पुलिस का कोई भी अधिकारी एक ही स्थान पर ३ व ४ साल से तैनात नहीं है।

*४०--श्री छत्तरसिंह (जिला बुलन्दशहर)--[हटा दिया गया।]

लखनऊ तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यापक सम्मेलन में कानून विभाग के एकीकरण के लिये प्रस्ताव

*४१--श्री पद्मकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यापकों के हाल में हुए लखनऊ सम्मेलन ने सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पास कर सरकार से दोनों विश्वविद्यालयों के दो कानून विभागों का एकीकरण कर के पुरानी व्यवस्था प्रचलित करने का अनुरोध किया है उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ला फैकल्टी के दोनों विभागों के एकीकरण के सम्बन्ध में प्रयाग तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यापकों के सम्मेलन ने जो प्रस्ताव स्वीकार किया है वह अभी हाल में ही सरकार को प्राप्त हुआ है। सरकार उस पर विचार करेगी, पर उक्त दोनों विभागों का विभाजन परिनियम द्वारा हुआ था और अब परिनियम में संशोधन करने तथा उसे बनाने का अधिकार सरकार को नहीं, विश्वविद्यालयों को ही है।

श्री पद्मकरलाल श्रीवास्तव--क्या सरकार की ओर से लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों को इस सम्बन्ध में कुछ लिखा गया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--किस सम्बन्ध में?

श्री पद्मकर लाल श्रीवास्तव--दोनों विभागों के एकीकरण के सम्बन्ध में।

श्री कमलापति त्रिपाठी--मैंने निवेदन किया कि अध्यापकों के सम्मेलन का प्रस्ताव हमारे पास आया, उस पर सरकार विचार कर रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--ये परिनियम किनके द्वारा बनाये गये थे?

श्री कमलापति त्रिपाठी--माननीय सदस्य भलीभांति जानते हैं। पहले ऐक्ट के मुताबिक सरकार ने बनाये थे। फिर उस के बाद ऐक्ट में ही यह अधिकार विश्वविद्यालयों को है कि फिर वे चाहें तो उनमें कोई संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन कर सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि कानून विभाग को दो विभागों में विभाजित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

श्री कमलापति त्रिपाठी--आवश्यकता की बात तो मैं जानता नहीं, स्टैट्यूट उस समय इसी प्रकार बनाया गया था।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह विभाजन किस साल में हुआ था?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरा खयाल है कि शायद यह दूसरा वर्ष चल रहा है। जब वह ऐक्ट बन गया था उस के बाद ही यह बनाये गये थे। ठीक तिथि मुझे इस समय याद नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि पहले स्टैट्यूट्स में यह फैकल्टी अलग-अलग क्यों बनायी गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उस समय जिन लोगों ने यह कानून बनाया, यही उचित समझा।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—क्या इस विभाजन का पहले से ही विरोध किया गया था ?

श्री अध्यक्ष—आप पिछली बातों को ज्यादा पूछ रहे हैं। प्रश्न दोनों कानून विभागों के एकीकरण करके पुरानी व्यवस्था कायम करने का है। पुराने इतिहास को पूछने की मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी विश्वविद्यालय को लिखने की कृपा करेंगे कि वह स्टेट्यूट्स में संशोधन करके दोनों विभागों का एकीकरण करे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—विश्वविद्यालय को पूरा अधिकार है कि वे अपने स्टेट्यूट्स में संशोधन करें, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। जहां तक इस प्रस्ताव का संबंध है सरकार इस पर विचार कर रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार का अभी यह विचार है कि इस सम्बन्ध में पुनर्विचार करके विभागों का एकीकरण किया जाय।

श्री अध्यक्ष—वह इस पर विचार कर रहे हैं, यह उत्तर दिया जा चुका।

श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव—क्या यह सही है कि जब से सरकार ने इस योजना को बनाने का विचार किया था, तभी से आज तक, लगातार विश्वविद्यालयों के अधिकारी और शिक्षकगण इसका विरोध करते चले आ रहे थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, उनकी ओर से इसका विरोध रहा है।

*४२—श्री प्रतापसिंह—[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

आजमगढ़ में पुरानी कोतवाली की नजूल भूमि

*४३—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पुरानी कोतवाली, शहर आजमगढ़, की नजूल भूमि कितने दिन से खाली पड़ी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पुलिस विभाग के पास यह भूमि सन् १९४० ई० से खाली पड़ी है।

*४४—श्री विश्रामराय—क्या सरकार इस जमीन को नगरपालिका, आजमगढ़ या अन्य किसी सार्वजनिक संस्था को सार्वजनिक उपयोग के लिये देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। भूमि की पुलिस विभाग को स्वयं आवश्यकता है।

श्री विश्रामराय—क्या गृह मंत्री जी यह बतायेंगे कि पुलिस विभाग को इसकी किस काम के लिय जरूरत है और यह काम कब आरम्भ होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पहाड़पुर चौकी की इमारत बनाने के लिये इसकी जरूरत है।

*४५—श्री विश्रामराय—[१ अक्तूबर, १९५७ के लिये प्रश्न ७५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४६-४७—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*४८—श्रीमती चन्द्रावती—[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*४९—श्री रामायणराय—[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

जेलों में कैदियों की पढ़ाई का प्रबंध

*५०—श्री गंगाप्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कारागृहों में साक्षरता प्रसार के हेतु कौन कौन प्रबन्ध किये गये हैं?

श्री मुजफ्फर हसन—साक्षरता प्रसार के हेतु कारागारों में ७४ वैतनिक अध्यापक नियुक्त हैं। इनकी सहायता के लिये आवश्यकतानुसार पढ़े-लिखे कैदियों में से बन्दी अध्यापक भी नियुक्त कर लिये जाते हैं। जेल के सभी कैदी जिनकी सजा ३ महीने या इससे अधिक होती है और जिनकी आयु ५० वर्ष से कम है उनको लोअर प्राइमरी कक्षा तक पढ़ना पड़ता है। पढ़ने-लिखने आदि के वास्ते कैदियों के लिये साढ़े नौ बजे रात तक बैरिकों में रोशनी का उचित प्रबन्ध रहता है। जेल लाइब्रेरी तथा बाहर से किताबें मंगाने की भी उनको सुविधा है और हिन्दी तथा उर्दू के अखबार भी मिलते हैं। बाहर से कैदी कापी, किताब, पेन्सिल, कलम, दावात इत्यादि भी मंगा सकते हैं।

*५१-५२—श्री रामसनेही भारतीय (जिला बांदा)—[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*५३-५५—श्री अनन्तराम वर्मा (जिला अलीगढ़)—[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*५६-५७—श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)—[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*५८—श्रीमती सरस्वतीदेवी शुक्ल (जिला गोंडा)—[२४ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न ७८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*५९—श्री नागेश्वर प्रसाद (जिला जौनपुर)—[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*६०-६१—श्रीमती रामरती देवी (जिला फैजाबाद)—[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*६२—श्री श्यामलाल यादव (जिला वाराणसी)—[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

*६३—६४—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—[हटा दिये गये।]

*६५—श्री रामायण राय—[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

बरेली जिले में भोजीपुरा थाने की पुलिस के विरुद्ध कैथोला पंडरी निवासियों को सताने का आरोप

*६६—श्री बाबूराम (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि ग्राम कैथोला पंडरी, जिला बरेली के निवासियों को थाना भोजीपुरा, की पुलिस ने ३ और ४ जुलाई, १९५७ को बुरी तरह से मारा और पीटा? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त ग्राम में तारीख ३ और ४ जुलाई को पुलिस ने जाकर धारा ३९२ भारतीय दंड विधान के एक मामले के बारे में वहां के कुछ लोगों से पूछताछ की थी, परन्तु मारपीट करने की कोई घटना नहीं हुई, न इस आशय की कोई शिकायत ही पुलिस के विरुद्ध प्राप्त हुई।

श्री बाबूराम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या यह सही है कि रिपोर्ट लिखाने वाला व्यक्ति उस गांव में लकड़ी उठाने के लिये गया था और वहां से लकड़ी नहीं उठाने दी तो उसने थाने में यह रिपोर्ट लिखायी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, यह रिपोर्ट उन्हीं सज्जन ने लिखायी थी जो उस गांव के वनों में शिकार खेलने और लकड़ी खरीदने के उद्देश्य से आये थे।

श्री बाबूराम—माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस वाकये की शिकायत टेलीफोन द्वारा सुपरिन्टेंडेंट पुलिस को की गयी और उन्होंने इंस्पेक्टर को वहां भेजा, जिसने वहां जा कर वहां के हेड मुहर्रिर और थानेदार को मुअत्तल किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह सही है कि सब-इंस्पेक्टर वहां ३, ४, और ५ जुलाई को गये थे और उन्होंने इन अभियोगों की जानकारी, समीक्षा और विवेचना की और अब भी उसकी जांच-पड़ताल और तफतीश जारी है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो रिपोर्ट लिखायी गयी थी वह ताजीरात हिन्द की किन-किन धाराओं के अन्तर्गत लिखायी गयी थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी— ३९२।

*६७—श्री ऊदल—[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

बस्ती जिले में ग्राम पिड़िया, खांजी तथा घनघटा में पुलिस चौकियां कायम करने की प्रार्थना

*६८—श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि जिला बस्ती के थाना महुली और घनघटा में क्रमशः पिड़िया और खांजी में पुलिस चौकी कब तक स्थापित करने का सरकार का इरादा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी— बस्ती जिले के ग्राम पिड़िया और खांजी, थाना महोली तथा घनघटा में पुलिस चौकियां स्थापित करने का प्रस्ताव अभी जिलाधीश बस्ती के विचाराधीन है। उनकी सिफारिश आने पर सरकार शीघ्र ही उचित कार्यवाही करेगी।

श्री धनुषधारी पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश के पास जांच के लिये किस तारीख को भेजा गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी— अप्रैल माह में स्वयं पंडित धनुषधारी पांडेय ने यह पत्र मुझको लिखा था कि वहां चौकी कायम की जाय। मैं समझता हूं कि उसके बाद ही कलेक्टर के यहां गया होगा। तारीख तो नहीं बतला सकता, लेकिन मई वगैरह में गया होगा और उसका जवाब भी आता होगा।

*६९—श्री रामरतनप्रसाद (जिला बलिया)—[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

भीमपुरा थाने की किराये की इमारत

*७०—श्री रामरतनप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भीमपुरा थाना जो फिविहरापुर में किराये के मकान में चल रहा है उसके लिए भीमपुरा में इमारत बनाने की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

श्री रामरतन प्रसाद—क्या यह सरकार को पता है कि सालाना कितना किराया देना पड़ता है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—किराये का तो पता नहीं है, लेकिन किराये के मकानों में बहुत से सरकारी दफ्तर इत्यादि चलते रहते हैं।

*७१—७२—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

फर्रुखाबाद जिले में पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

*७३—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत तीन साल में फर्रुखाबाद जिले के हर थाने में कितने सब-इंस्पेक्टरों, हेड कान्सटेबिलों और कान्सटेबिलों की भ्रष्टाचार तथा ज्यादतियों की शिकायतें जिले के पुलिस उच्च अधिकारी तथा सरकार के पास आयी हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १६६–१६७ पर)

श्री कोतवालसिंह भदौरिया—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो शिकायतों की दरख्वास्तें सरकार के पास आयी हैं उन पर सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उनमें से जांच पड़ताल की गयी, कुछ को सजा हुई, और कुछ जो जांच करते समय निरपराध साबित हुए वे छोड़ दिये गये।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो सजा लोगों को दी गयी है उनमें मुख्य सजा क्या है?

श्री अध्यक्ष—अलग-अलग सजा दी गयी है प्रश्न अस्पष्ट है।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के खिलाफ शिकायतें थीं उनके ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा भी चलाया गया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह जरा बहुत तफसील का सवाल है, लेकिन मेरे पास इस समय जितनी सामग्री है उसके अनुसार मालूम होता है कि मुकदमा तो चलाया नहीं गया, लेकिन कुछ लोगों को बरखास्त किया गया है, कुछ लोगों को तनज्जुल किया गया है, कुछ के ईमानदारी के प्रमाणपत्र रोके गये और कुछ के कैरेक्टर रोल्स में एन्ट्री भी की गयी।

श्री बनारायण भारतीय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन सब-इंस्पेक्टर्स, हेड कांस्टेबिल्स और कांस्टेबिल्स को सजा दी गई उनकी संख्या अलग-अलग कितनी है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बहुत लम्बी लिस्ट है, जोड़कर ही, मान्यवर, मैं बता सकता हूं, माननीय सदस्य चाहें तो दफ्तर में देख सकते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—वह सब से बड़ी सजा क्या थी और सब से छोटी सजा क्या थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मैंने निवेदन किया कि कुछ लोग बरखास्त किये गये, सब से बड़ी तो यही सजा रही होगी और कुछ को अर्दली रूम में सजा दी गई, वह सब से हल्की सजा होगी और इनके अलावा बीच की सजा भी दी गई।

*७४-७६—श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई)—[३ अक्तूबर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

कानपुर जिला सूचना कार्यालय में जीप न होना

*७७—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर जिले में प्रचार हेतु सूचना कार्यालय में कोई गाड़ी (जीप) इस समय नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

गृह मंत्री के सभासचिव (श्री इस्तफा हुसैन)—जी हां। कानपुर जिले की गाड़ी की दशा इतनी खराब थी कि यातायात विभाग के अधिकारियों ने उसे कण्डेम घोषित कर दिया है और सलाह दी है कि गाड़ी की मरम्मत कराना आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं है।

*७८—श्री मुरलीधर कुरील—क्या सरकार कानपुर जिले व नगर में शीघ्र जीप गाड़ी की कानपुर सूचना कार्यालय के लिये व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री इस्तफा हुसैन—जी हां। व्यवस्था की जा रही है।

श्री मुरलीधर कुरील—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह व्यवस्था इस मास के अन्त तक हो जायगी ?

श्री इस्तफा हुसैन—यह तो नहीं कहा जा सकता कि इस मास में हो जायगी। अभी वित्त विभाग से पत्र-व्यवहार हो रहा है। जब वह कार्यवाही पूरी हो जायगी तो कानपुर में अवश्य इन्तिजाम हो जायगा।

आजमगढ़ जिला जेल में नजरबन्द राजनीतिक बंदियों का रेकार्ड न होना

*७९—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिला जेल में सन् १९४० से लेकर १९४४ तक डिफेंस आफ इंडिया रूल्स की धारा १२९ तथा १२६ के अनुसार नजरबन्द राजनीतिक बन्दियों का रेकार्ड नहीं है ?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या समाज सुरक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जेल में रेकार्ड न रहने का कारण क्या है ?

श्री मुजफ्फर हसन—१९४१ के रूल ३७ के अनुसार इन सिक्योरिटी प्रिजनर्स की सूची सिविल प्रिजनर्स रजिस्टर में रखी जाती है और यह रजिस्टर केवल ५ साल तक रहता है और बाद में जाया हो जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार के पास इस की कोई व्यवस्था है कि जेल का रिकार्ड कोई लेना चाहे तो वह किस प्रकार मिलेगा ?

श्री मुजफ्फर हसन—यह दिक्कत तो जरूर आ पड़ी है, वह तलाश किया जायगा कि कहां से वह रिकार्ड हासिल हो सकता है, इस वक्त कोई चीज सामने नहीं है।

श्री भगवतीसिंह विशारद---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बीच में इन दफाव के अन्तर्गत गिरफ्तार किये हुये राजनीतिक पीड़ितों ने जो सूचनाएं प्राप्त की हैं, उनको किस आधार पर सूचनाएं दी गई हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन---वह और किसी कागज से मिल गई हों, यह मुमकिन है, लेकिन उनका रिकार्ड मौजूद नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि यह रिकार्ड केवल आजमगढ़ जिले की जेल में ही नहीं, बल्कि और जिलों की जेलों में भी गायब है ?

श्री मुजफ्फर हसन---यह हो सकता है । मुझ से तो आजमगढ़ के लिये सवाल किया गया था, वहां की सूचना मैंने मंगायी है ।

गाजीपुर जिले में एच० टी० सी० के चुनाव में हरिजन तथा पिछड़ी जाति के उम्मीदवार

*८०---श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर में सन् १९५७ में एच० टी० सी० के चुनाव में कितने लड़कों के प्रार्थना--पत्र आये थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---२६१ ।

*८१---श्री यमुनासिंह---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उन प्रार्थना-पत्रों में से कितने हरिजन लड़कों के तथा कितने पिछड़ी जाति के लड़कों के प्रार्थना--पत्र थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---१६ हरिजन तथा ९५ पिछड़ी जाति के ।

श्री यमुनासिंह---क्या सरकार बतलाने का कष्ट करेगी कि इन आये हुये प्रार्थना-पत्रों में से कितने लड़कों को ट्रेनिंग का आदेश दिया गया और इनमें कितने हरिजन लड़के थे और कितने पिछड़ी जातियों के ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इनमें २५ चुने गये, जिसमें ६ हरिजन तथा ६ पिछड़े वर्ग के हैं ।

डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट कम्पलेंट्स, सीतापुर के पास भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें

*८२---श्री गनेशीलाल चौधरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले में डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट कम्प्लेन्ट्स की नियुक्ति के बाद से अब तक सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कितने प्रार्थना-पत्र Dy. Superintendent Complaints के पास भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में आये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कम्पलेन्ट योजना की लागू होने की तिथि १-२-१९५६ से अगस्त ३१, १९५७ तक डी० एस० पी० 'सी' सीतापुर के पास विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में २९३ शिकायती-पत्र आये ।

*८३---श्री गनेशीलाल चौधरी---क्या सरकार बतायेगी कि उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उनमें लगाये गये आरोपों की छानबीन की गयी जिसके फलस्वरूप ८४ शिकायती-पत्रों में लगाये गये आरोप सही पाये गये । इनसे संबंधित ११६ कर्मचारियों में से अधिकतर दंडित किये गये हैं और कुछ के विरुद्ध कार्यवाही जारी है ।

श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो २९३ शिकायती पत्र आये, इनमें से पुलिस विभाग के खिलाफ कितने शिकायती पत्र थे और जो ८४ शिकायती पत्रों की जांच की गयी उसमें पुलिस के खिलाफ कितने शिकायती पत्र थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बेचारे पुलिस विभाग के खिलाफ ज्यादा शिकायती पत्र आते ही हैं। ऐसे मेरे पास जो आंकड़े हैं उनसे मालूम होता है कि शिकायती पत्रों में से १७१ पुलिस विभाग, ११५ माल विभाग, ३ नियोजन विभाग, १ मेडिकल विभाग और ३ स्वायत्त शासन विभाग से सम्बन्धित थे।

बरेली जिले के लक्ष्मीपुर ग्राम में श्री रामदयाल के यहां डकैती

*८४—श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)—क्या यह सही है कि ग्राम लक्ष्मीपुर, थाना आइजटनगर, जिला बरेली में २९-३-५७ को श्री रामदयाल के यहां डकैती पड़ी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

*८५—श्री शिवराजबहादुर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मास्टर नेटराम तथा उनके दो पुत्र झम्मन लाल और धर्मेन्द्रसिंह ने डकैतों का मुकाबिला किया, जिसके फलस्वरूप उपरोक्त अध्यापक श्री नेटराम के तथा उनके पुत्र झम्मन लाल के गोलियां लगीं और उन्हीं डाकुओं की गोली से झम्मन लाल की मृत्यु हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मास्टर नेटराम के नेतृत्व में कुछ ग्राम निवासियों ने डकैतों का पीछा किया, किन्तु नेटराम के गोली लगने और धर्मेन्द्रसिंह द्वारा डकैतों के विरुद्ध सहायता दिये जाने की कोई सूचना नहीं है। हां, झम्मन लाल, जिसे मास्टर नेटराम गोद में लिये थे, को अवश्य एक गोली लगी जिसके फलस्वरूप उसकी तत्काल मृत्यु हो गई।

*८६—श्री शिवराज बहादुर—क्या सरकार उपर्युक्त मृतक श्री झम्मन लाल के घर वालों को आर्थिक सहायता देने का विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां।

श्री शिवराजबहादुर—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस डकैती में डाकू लोग कितने रुपये की सम्पत्ति ले गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—रिपोर्ट के अनुसार १,५५९ रु० ८ आने की।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आर्थिक सहायता का विचार कब तक पूरा हो सकेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बहुत शीघ्र ही करेंगे।

*८७-८९—श्री गौरीशंकरराय—[२३ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न १११-११३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

शिशु-शिक्षा की आधुनिक प्रणाली के लिए प्रशिक्षण संस्थाएं

*९०—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आधुनिक तरीके पर शिशु-शिक्षा के लिये सरकार उपर्युक्त शिक्षक तैयार करने का क्या प्रबंध कर रही है ? क्या मान्टेसरी पद्धति पर शिक्षक ट्रेन्ड करने का कोई स्कूल इस प्रदेश में है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—योग्य शिक्षक तैयार करने के लिये प्रदेश में दो संस्थायें हैं:—

(१) राजकीय नर्सरी ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद ।

(२) लाल बाग गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, लखनऊ से संलग्न ट्रेनिंग स्कूल ।

जी हां । मान्टेसरी बाल भवन , इलाहाबाद ।

*९१—श्री देवकीनन्दन विभव—Pre-primary education में सरकार ने अब तक क्या प्रयत्न किये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—(१) इस किस्म के स्कूलों को मान्यता देने के हेतु अब नियम बनाये गये हैं ।

(२) वर्तमान पूर्व प्रारम्भिक पाठशालाओं के प्रोत्साहन हेतु अनुदान दिया गया है ।

(३) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत तीन राजकीय गर्ल्स नार्मल स्कूलों के साथ शिशु-शिक्षा के लिये कक्षायें खोली गयी हैं ।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन दो संस्थाओं में अध्यापक शिक्षित करने का कार्य किया जाता है वह किस पद्धति पर किया जाता है और कितने शिक्षक प्रति वर्ष उनमें तैयार होते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जो इलाहाबाद का नर्सरी स्कूल है इसमें हाईस्कूल की शिक्षा स्वीकृत है और ४० छात्रायें प्रति वर्ष इसमें भरती की जाती हैं जिन्हें ३० रु० छात्रवृत्ति भी दी जाती है । और यह जो लालबाग के हायर सेकेंडरी स्कूल से संलग्न नर्सरी ट्रेनिंग स्कूल है इसको तो अब थोड़ी सहायता दी गई है तथा १० अध्यापिकायें अगले वर्ष से इसमें भी शिक्षित होकर निकलेंगी ।

श्री देवकीनन्दन विभव—मेरा प्रश्न था कि किस पद्धति पर यहां पर उन शिक्षकों को ट्रेन करने का प्रबंध है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मांटेसरी पद्धति से ।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने शिशुओं को मांटेसरी पद्धति पर शिक्षित करने का प्रबंध है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसका कोई प्रबंध अब तक तो था नहीं । थोड़े बहुत ऐसे ही प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस चलते रहे हैं । अब दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने इसका कुछ प्रबंध किया है और कुछ विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है । ५ नर्सरी स्कूलों को तो आदर्श विद्यालय बनाने का निश्चय हुआ है और इसके बाद कुछ मांटेसरी स्कूल म्युनिसिपैलिटीज के द्वारा चल रहे हैं । उनको ग्रान्ट दे करके कुछ सहायता करने का निश्चय किया है । राजकीय कन्या नार्मल स्कूलों से सम्बद्ध माडेल स्कूल हैं उनमें शिशु कक्षा खोलने का प्रबंध किया है और आशा है इस पंचवर्षीय योजना में कुछ इस दिशा में प्रगति होगी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन उपर्युक्त दो स्कूलों में मांटेसरी पद्धति के अतिरिक्त अन्य शिक्षा पद्धति का भी विचार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो शर्तिया सवाल है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार का विचार प्रि-प्राइमरी एजूकेशन हेतु किंडर-गार्टेन पद्धति को भी कुछ सहायता करने का है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अब किसी एक पद्धति विशेष से सरकार का न कोई बहुत प्रेम है और न कोई बहुत विरोध है। यह पूर्व-प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी है कि जिसमें लड़कों की प्रकृति का और प्रवृत्ति का और उनके विकास का कुछ अध्ययन हो और उनके लिये जिस पद्धति से शिक्षा देना ज्यादा उपयोगी हो वह चलाया जाय। अभी तो हम मांटेसरी से चला रहे हैं और किंडर-गार्टेन के भी कोई बहुत विरोध में तो हम हैं नहीं।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मान्टेसरी पद्धति की लोकप्रियता को देखते हुये और योग्य शिक्षक और अधिक संख्या में तैयार हों इसके लिये कोई और शिक्षण सेंटर खोलने का विचार सरकार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, कर रहे हैं। मैंने आपसे निवेदन किया कि जो यह माडेल स्कूल्स हैं इनमें शिशु कक्षायें खोली जायंगी और जो बालिकाओं के लिये नार्मल स्कूल्स हैं वहां भी कुछ अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित करने की चेष्टा करेंगे।

पुलिस कर्मचारियों को मुन्सफी या डिप्टी कलेक्टरी के इम्तहान में बैठने की इजाजत

*९२—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि सन १९५६ ई० तक सब-इंस्पक्टर पुलिस व असिस्टेन्ट पब्लिक प्रासीक्यूटर वगैरह को मुंसफी के या मुंसिफी के स्तर के और इम्तहानों में बैठने की इजाजत पुलिस विभाग द्वारा मिली थी और आई० ए० एस० के स्पेशल रिक्रूटमेन्ट में भी कई एस० आई० व ए० पी० पी० बैठे थे ? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस साल उक्त पुलिस कर्मचारियों को मुंसफी या डिप्टी कलेक्टरी के इम्तहानों में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसे पुलिस कर्मचारियों की १९५७ में हुई सिविल सर्विस एक्जीक्यूटिव व जुडिशियल तथा जूडिशियल आफिसर्स सर्विस की परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने पहिले नहीं दी थी। परन्तु बाद में सरकार के आदेश पर अनुमति दे दी गई थी।

डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, कम्पलेन्ट्स, उन्नाव व रायबरेली द्वारा पकड़े गये भ्रष्टाचार के मामले

*९३—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस समय से डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस (कम्प्लेन्ट्स) की नियुक्ति हुई है तब से जिला उन्नाव व रायबरेली में भ्रष्टाचार के कितने मुकदमे पकड़े गये, उनमें से कितने सही साबित हुये, कितनों का फैसला हो चुका है और कितने बकाया में हैं ?

*९४—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस समय से डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस कम्प्लेन्ट्स की नियुक्ति हुई है तब से जिला उन्नाव व रायबरेली में माल विभाग के लेखपालों और कानूनगोयान के खिलाफ भ्रष्टाचार के कितने मुकदमे पकड़े गये, उनमें से कितने सही पाये गये, कितनों का फैसला हो गया है और कितने बकाया में हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—वांछित सूचना संलग्न तालिकाओं में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १६८ पर)

नोटः—तारांकित प्रश्न संख्या ९४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री भोलालाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन मुकदमों में फैसले हो चुके हैं वह किस विभाग के हैं और किस किस विभाग के कितने-कितने मुकदमे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उसमें पुलिस के हैं और माल विभाग के हैं।

१९४२ के आंदोलन में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की सूची की मांग

*९५—श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९४२ के आन्दोलन में भाग लेने के कारण कितने विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश में स्कूल, कालेज अथवा विश्वविद्यालयों से सरकारी आदेश द्वारा निकाला (Rustication) किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मांगी गयी सूचना को एकत्रित करने पर व्यय और परिश्रम उसके उद्योग तुल्य न होगा।

*९६—श्री प्रतापसिंह—क्या इन विद्यार्थियों को "स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों" की श्रेणी में शामिल किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जहां तक शिक्षा विभाग का सम्बन्ध है इनको स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की श्रेणी में नहीं शामिल किया गया।

*९७—श्री प्रतापसिंह—उपर्युक्त श्रेणी के विद्यार्थियों में से सरकार ने कितनों को किस किस रूप में सहायता प्रदान की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मांगी गई सूचना को एकत्रित करने पर व्यय और परिश्रम उसके उद्योग तुल्य न होगा।

राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, हरदोई के अध्यापक

*९८—श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय हायर सेकेंडरी स्कूल हरदोई (Govt. High School Hardoi) में ऐसे कितने अध्यापक हैं जो आठ वर्ष से अधिक हरदोई स्कूल में कार्य कर रहे हैं और उनमें ऐसे कितने अध्यापक हैं जो हरदोई शहर अथवा जिले के रहने वाले हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—३ अध्यापक।

*९९—श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अध्यापकों के तबादले करने का कोई नियम बना रखा है ? यदि हां, तो एक अध्यापक एक जिले में अधिक से अधिक कितने वर्ष रह सकता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

जौनपुर जिले में खुलने वाले प्रारंभिक स्कूल

*१००—श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर की प्रत्येक तहसील में १९५७-५८ के अन्दर कितने और किन-किन स्थानों पर प्रारंभिक स्कूल खुल रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—द्वितीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत जौनपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में तीन प्रारंभिक स्कूल खोलने की आज्ञा दी जा चुकी है, स्थानीय अधिकारियों द्वारा उन स्थानों का चुनाव किया जा रहा है जहां ये स्कूल खोले जायेंगे।

*१०१—श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस साल १९५७ में जौनपुर के जगदीशपुर सुरेरी के जूनियर स्कूल को राजकीय बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

बिठूर में नाना धुंधूपन्त के स्मारक पर व्यय

*१०२—श्री मुरलीधर कुरील—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कानपुर जिले के बिठूर नामक स्थान पर सन् १८५७ के अमर सेनानी नाना धुंधूपन्त के स्मारक पर कुल कितना खर्च होगा और उसमें कुल कितना खर्च हो चुका है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसा अनुमान था कि इस स्मारक पर कुल ४२,२०० रु० का व्यय होगा। संशोधित अनुमान के अनुसार अब इस पर ४०,८३६ रु० का व्यय होगा जिसमें से ३०,२३६ रु० का व्यय किया जा चुका है।

*१०३—श्री मुरलीधर कुरील—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि नाना साहब के स्मारक में जो मूर्ति स्थापित की गई है वह असली तस्वीर से भिन्न है ? यदि हां, तो असली मूर्ति के स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही हो रही है ? 311.5. 332.

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। कुछ लोगों ने इस सम्बन्ध में कुछ शंका प्रकट की है जिस पर विचार हो रहा है।

मुखलिसपुर, जिला आजमगढ़ में कथित डकैती

*१०४—श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में महाराजगंज थाने के अन्तर्गत मुखलिसपुर ग्राम में दिनांक २/३ जुलाई, १९५७ की रात्रि में कोई सशस्त्र डकैती हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

सीतापुर जिले में आग्नेय अस्त्रों के लाइसेंस

*१०५—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, १९५५ से जुलाई, १९५७ तक सीतापुर जिले में रिवाल्वर, पिस्टल, बन्दूक तथा राइफल के कितने लाइसेंस दिये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यथाक्रम १९ रिवाल्वर, ५ पिस्टल, ५४६ बन्दूक, तथा २१ राइफलों के लायसेंस दिये गये।

*१०६—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या गृह मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त अवधि में ही कितने लाइसेंस सीतापुर जिले में अनियमितताओं के कारण कैंसिल किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—अनियमितताओं के कारण कोई लायसेंस कैंसिल नहीं किये जाते हैं। ४९ बन्दूक, ३ राइफल तथा २ पिस्तौल के लाइसेंस विभिन्न कारणों से खारिज हुए।

सोशलिस्ट पार्टी के प्रान्तीय दफ्तर लखनऊ में गिरफ्तारियां

*१०७—श्री रामसिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि २१ मई, १९५७ को सोशलिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रान्तीय दफ्तर लखनऊ पर पुलिस ने २ घण्टे तक घेरा डाला और दफ्तर के अन्दर घुस कर काम करते हुये चार लोगों को गिरफ्तार किया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं, घटना इस प्रकार है कि २१ मई, १९५७ को, चार व्यक्ति सोशलिस्ट पार्टी के कार्यालय के निकट मूर्ति सत्याग्रह के सम्बन्ध में धारा १५१/१०७/११७ भा० दं० सं० के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गए। उन्होंने पार्टी कार्यालय में किसी कार्यवश जाने की अनुमति मांगी जो दे दी गई। अन्दर जाकर उन्होंने दरवाजे बन्द कर लिये। जब प्रतीक्षा करने पर वह बाहर नहीं आये तो पुलिस ने उन्हें बाहर निकलने को कहा, क्योंकि वह पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। तदुपरान्त वह बाहर आ गए।

*१०८—श्री रामसिंह चौहान वैद्य—यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ऐसी अनियमितता करने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी— इस सम्बन्ध में कोई अनियमितता नहीं हुई, अतएव किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

आजाद हिन्द हायर सेकेंडरी स्कूल, करहला जिला मैनपुरी को अनुदान न मिलना

*१०९—श्री नत्थूसिंह (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजाद हिन्द हायर सेकेन्डरी स्कूल, करहल (मैनपुरी) को इस वर्ष प्रारम्भिक अनुदान मिल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियट के परीक्षार्थी

*११०—श्री डूगरू सिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५७ की हाई स्कूल और इन्टर की परीक्षाओं में कितने संस्थागत परीक्षार्थी सम्मिलित हुए और उनमें कितने राजकीय संस्थाओं के थे ?

*१११—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो परीक्षार्थी १९५६ की इंटर और हाई स्कूल की परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयोग करने के कारण १९५७ की परीक्षा से वंचित कर दिये गये थे उसकी सूचना शिक्षा संस्थाओं को कब दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्रित की जा रही है।

बांदा जिले की अतर्रा मंडी में चोरियां

*११२—श्री गोपी कृष्ण आजाद (जिला बांदा)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बांदा जिला में अतर्रा-मन्डी में सन् १९५६ से १९५७ तक कितनी चोरियां हुई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी— १ जनवरी, १९५६ से ३० अगस्त, १९५७ तक कुल ३५ चोरियां हुई।

*११३—श्री गोपी कृष्ण आजाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अतर्रा की पुलिस चौकी में वर्तमान सब-इन्स्पेक्टर पुलिस कितने वर्षों से तैनात हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—२९ अक्तूबर, १९५४ से।

बलिया जिले में बाढ़ के कारण शुल्क-मुक्त शिक्षा देने के लिये सहायता

*११४—श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले में पिछले १९५५-५६ की बाढ़ में किन-किन विद्यालयों ने कितनी-कितनी फीस माफ की थी और उन्हें सरकार ने कितनी-कितनी सहायता प्रदान की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १६९-१७१ पर)

डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, कम्पलेन्ट्स के सम्बन्ध में जानकारी

*११५—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रान्त में भ्रष्टाचार निवारण हेतु डी वाई० एस० पी०, कम्पलेन्ट्स के वेतन भत्ता, उनके कार्यालय की जीप आदि की व्यवस्था पर अब तक कुल कितनी धनराशि राज्य भर में व्यय हो चुकी है और ये डी वाई० एस० पी०, कम्पलेन्ट्स किन-किन विभागों से सम्बन्धित शिकायतों की जांच करते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—डी एस० पी०, कम्पलेन्ट्स के वेतन आदि पर व्यय हो चुकी धनराशि की सूचना अभी एकत्रित की जा रही है और पूरी सूचना एकत्रित हो जाने पर उत्तर दिया जायगा। डी वाई० एस० पी० कम्पलेन्ट्स प्रदेशीय सरकार के सभी विभागों के नान-गैजेटेड कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों की जांच करते हैं।

*११६—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डी एस० पी०, कम्पलेन्ट्स जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक के प्रति उत्तरदायी होते हैं या किसी अन्य उच्च अधिकारी के प्रति?

श्री कमलापति त्रिपाठी—डी० एस० पी०, कम्पलेन्ट्स जिलास्तर पर पुलिस अधीक्षक के प्रति उत्तरदायी होते हैं।

*११७—श्री मुक्तिनाथ राय—डी एस० पी०, कम्पलेन्ट्स और भ्रष्टाचार निवारण समिति के क्या सम्बन्ध सरकार ने निश्चित किये हैं या करने का विचार किया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—डी० एस० पी०, कम्पलेन्ट्स का भ्रष्टाचार निवारण समिति से कोई सम्बन्ध नहीं है और न सरकार का अभी इस स्थिति में परिवर्तन करने का विचार है।

गोरखपुर जिले के ग्राम 'आराजी सरकार' में बहादुर व त्रिवेनी को गोली लगना

*११८—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि थाना नई-कोट, जिला गोरखपुर के ग्राम आराजी सरकार उर्फ बौरिहवा में तारीख १८-७-५७ को बहादुर नामक पहाड़ी की हत्या गोली मार कर कर दी गई और त्रिवेनी नामक सोनार बन्दूक से बुरी तरह घायल कर दिया गया? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। घटना का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १७२ पर)

गोरखपुर जिले के बरगदवा ग्राम में किशोरी के यहां डकैती

*११९—श्री अब्दुल रऊफ लारी—क्या गृह मंत्री को यह ज्ञात है कि थाना नई-कोट जिला गोरखपुर के ग्राम बरगदवा में किशोरी नामक एक व्यक्ति के यहां सशस्त्र डकैती गत मई में हुई थी और हसन नामी एक व्यक्ति डाकुओं का मुकाबला करते हुये बन्दूक का शिकार हो गया था। यदि हां, तो सरकार हसन के परिवार के लिये क्या कर रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। श्री हसन के परिवार के सदस्यों को पेंशन देने का प्रश्न विचाराधीन है।

पीलीभीत जिले के देवरिया ग्राम में हत्याकांड

*१२०—श्री प्रताप सिंह—क्या सरकार यह बतायेगी कि ग्राम देवरिया, तहसील बिसलपुर, जिला पीलीभीत में जो एक थानेदार और दो और नागरिकों का हाल में कत्ल हुआ है उसके सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस घटना के सम्बन्ध में अभी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। आक्रमणकारियों में से कुछ पकड़े जा चुके हैं और बाकी की खोज हो रही है।

राजकीय दान सिंह विष्ट कालेज के पुस्तकालय को अनुदान

*१२१—श्री प्रताप सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि "राजकीय दान सिंह विष्ट कालेज" का कोई अपना पुस्तकालय है? यदि हां, तो उसमें कितनी पुस्तकें हैं और कितना अनुदान उपरोक्त पुस्तकालय को सरकार की ओर से इस वर्ष दिया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस कालेज का अपना पुस्तकालय है जिसमें १७,१०४ पुस्तकें हैं और वित्तीय चालू वर्ष में १२,४०० रुपये का आवर्त्तक अनुदान ११,६०० रुपया का अनावर्त्तक अनुदान पुस्तकालय के लिये बजट में निर्धारित है।

डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, कम्पलेन्ट्स के अधिकार

*१२२—श्री मोहनलाल वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि Complaint Officers को Gazetted Officers के भ्रष्टाचार की रोकथाम करने का भी अधिकार है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं।

गोंडा जिले में हत्याओं में वृद्धि

*१२३—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में जनवरी, १९५६ से २० जुलाई, १९५७ तक कितने कत्ल हुये?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस अवधि में कुल ७६ कत्ल हुये।

अतारांकित प्रश्न

बिरला विद्यामंदिर इन्टर कालिज, नैनीताल को अनुदान

१—श्री प्रताप सिंह—क्या सरकार यह बतायेगी कि बिरला विद्यामन्दिर इन्टर कालेज, नैनीताल को प्रति वर्ष व एकमुश्त कितना अनुदान आज तक सरकार की ओर से दिया गया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—तालिका 'क' सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १७३ पर)

गोविंद वल्लभ पंत इन्टर कालिज अंखिलकांडा, नैनीताल को अनुदान

२—श्री प्रताप सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोविन्द वल्लभ पन्त इन्टर कालेज (अंखिलकांडा) नैनीताल को प्रति वर्ष व एकमुश्त कितना सरकार की ओर से अब तक दिया गया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—तालिका 'ख' सदस्य की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १७४)

अनुपूरक प्रश्नों की व्यवस्था के सम्बन्ध में पूछताछ

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्नों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं आप का ध्यान ९० नम्बर के प्रश्न पर आकर्षित करूंगा। मैंने एक सवाल किया था कि मान्टेसरी पद्धति के अतिरिक्त अन्य पद्धतियों पर सरकार क्या विचार कर रही है और क्यों नहीं प्रयोग किये जा रहे हैं। तो उस प्रश्न को आप ने एलाऊ नहीं किया और ठीक वही प्रश्न जो मैं पूछ रहा था वह हमारे नारायणदत्त जी तिवारी ने उपस्थित किया, वह आप ने एलाऊ कर दिया, मैं इस व्यवस्था को समझ नहीं पाया।

श्री अध्यक्ष—यह मेरे ऊपर आक्षेप है जो आप नहीं कर सकते। लेकिन, आप ने पूछा है तो मैं आप को बता दूं। आप दो प्रश्नों को मिला देते हैं। आप ने पूछा कि अगर ऐसा नहीं किया तो सरकार क्या कर रही है, यह भी आप ने पूछा था। मैंने कहा कि यह शर्तिया आप प्रश्न पूछ रहे हैं। आप को पहला हिस्सा पूछ लेना चाहिये था। लेकिन आप एक दूसरा सवाल भी कर देते हैं जो शर्तिया होता है। यह तरीका प्रश्नों के पूछने का नहीं है।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि ३९ नम्बर का जो प्रश्न है वह अगली तारीख के लिये मुल्तवी कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—यह नहीं हो सकता।

श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत कार्यस्थगन प्रस्ताव की वापसी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—कल मैंने कहा था कि पद्माकर लाल जी का एक कामरोको प्रस्ताव है उसे आज ले लूंगा। उनका आज पत्र आया है कि कल जो उन्होंने कामरोको प्रस्ताव की सूचना दी थी उसे वह आज वापस ले लेना चाहते हैं।

विभिन्न जिलों में बाढ़ आने के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—आज कई कामरोको प्रस्ताव आये हैं। बाढ़ और कई जिलों में आयी हुई हैं उनके सम्बन्ध में वे हैं। अब मैं इस तरह से मौका नहीं दूंगा कि रोज-रोज माल मंत्री को तकलीफ दूं कि वे हर जिले की बाढ़ का किस्सा बतलायें। और भी महत्व के कामरोको प्रस्ताव आते रहते हैं। जब बाढ़ एक बार किसी क्षेत्र में आ जाती है और जब एक दफा जोर से पानी बरसा तो उसका सिलसिला कभी कभी प्रान्त भर में होता है। २००—३०० तहसीलें प्रान्त भर में हैं। उन के सम्बन्ध में बार-बार तफसील से जानकारी पूछने की मैं इजाजत नहीं दूंगा। लिहाजा इन कामरोको प्रस्तावों को मैं अस्वीकार करता हूं।

गोरखपुर जिले की अभावग्रस्त महाराजगंज व फरेंदा तहसीलों में लगान, तकावी, तथा करों की वसूली के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—एक कामरोको प्रस्ताव गोरखपुर जिले की महाराजगंज व फरेंदा तहसीलों में जोरों से निर्दयतापूर्वक लगान, तकावी, सहकारी एवं अन्य सरकारी बकायों तथा पंचायत टैक्स आदि की वसूली के सम्बन्ध में है। यह प्रश्न भी जो समिति सब पार्टियों की बनी है उसके सामने है। मदन पांडेय जी ने मुझ से कहा कि कल वह प्रश्न समिति के सामने उपस्थित किया गया लेकिन कमेटी ने उसकी परवाह ही नहीं की। जिस रोज वे चाहेंगे उसी रोज कमेटी उस पर विचार कर ले ऐसा नहीं हो सकता और इच्छापूर्ति न होने पर नाराजगी से कामरोको प्रस्ताव यहां ले आयें यह मैं समझता हूं कि उचित ढंग नहीं है।

श्रमजीवी पत्रकार कानून के अन्तर्गत बने वेतन मंडल के निर्णयों की अवहेलना के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री नारायणदत्त जी का एक कामरोको प्रस्ताव है जो इस प्रकार है:—

"उत्तर प्रदेश में समाचार पत्रों के मालिकों ने श्रमजीवी पत्रकार कानून की, विशेषकर कानून के अन्तर्गत बने वेतन-मंडल के निर्णयों की जिस प्रकार अवहेलना की है और सर्वोच्च

[श्री अध्यक्ष]

न्यायालय तक के आदेश की अवज्ञा की है उससे इस प्रदेश में गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। केन्द्रीय श्रममंत्री श्री गुलजारीलाल नन्दा ने १३ सितम्बर को लोकसभा में कहा है कि उक्त कानून और वेतन-मंडल के निर्णय लागू कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और आवश्यक आदेश राज्य सरकारों को दे दिये गये हैं। फिर भी राज्य सरकार अब तक कानून का पूर्ण पालन और खासकर वेतन-मंडल का निर्णय लागू कराने में असफल रही है, जिससे प्रदेश भर में श्रमजीवी पत्रकारों में घोर असंतोष व्याप्त है। यह सदन इस गंभीर और तात्कालिक महत्व के प्रश्न पर विचार करने के लिये अपना कार्य स्थगित करता है।"

यह सार्वजनकि महत्व का प्रश्न है। त्रिलोकीसिंह जी ने इस विषय में लिखा था और आज इस विषय में बातचीत श्रम मंत्री जी से की। मैं श्रम मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस विषय के महत्व को समझते हुए क्या वे कोई अपना मत इस पर देना चाहेंगे ?

श्रममंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)---मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई समय आपकी तरफ से निर्धारित हो तो मैं जो कुछ हमारे सामने स्थिति है उसके सम्बन्ध में सूचना दे सकूंगा।

श्री अध्यक्ष---आज तो ५ बजे के बाद आध घंटे के लिये एक प्रश्न पर बहस है। तो कल का समय आप दे सकेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां, दे सकूंगा।

श्री अध्यक्ष---तो कल का समय निश्चित रहा, एक घंटे भर का समय देना चाहिये--अगर सदन को कोई आक्षेप न हो। (एक क्षण के उपरान्त)

तो मैं एक घंटे का समय इसके लिये रखता हूं। कल इस पर विचार होगा। कामरोको प्रस्ताव पर विचार नहीं होगा, बल्कि जो विषय उन्होंने उपस्थित किया है उसके ऊपर कल विचार होगा और चूंकि इसके ऊपर कल बहस होने वाली है, इसलिए इसको मैं अस्वीकार करता हूं।

अब माननीय नारायणदत्त जी, आप कुछ ये जो आज के प्रस्ताव हैं उनके सम्बन्ध में मुझ से चाहते थे कि आप एक विधेयक उपस्थित कर दें...

कार्यस्थगन प्रस्तावों के विषय पर याचनाएं

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव कटाव से सम्बंधित था, बाढ़ से संबंधित नहीं था, उस पर तो विचार होना जरूरी था। इरोजन का सवाल है, इमीडिएट सवाल है।

श्री अध्यक्ष---वह तो बाढ़ की वजह से कटाव है।

श्री उग्रसेन---जी नहीं, जब बाढ़ के बाद पानी नीचे चला जाता है तब कटाव होता है।

श्री अध्यक्ष---सबके लिए मैंने यह कहा। वह तो चलता ही है।

श्री उग्रसेन---नाव तो दिलवा दीजिये। मैं तो नाव की मांग करता हूं। जो घर कट रहे हैं वहां नाव दे दें।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, आपने जो कहा वह माल मंत्री जी सुन रहे हैं।

श्री उग्रसेन---मैं तो नाव मांगता हूं हमारे गांव के गांव कट रहे हैं, उस जगह नाव की व्यवस्था करें। ५,००० आदमियों की व्यवस्था का सवाल है कि कहां रहेंगे। सरजू की धारा बढ़ रही है, इतने लोगों...

श्री अध्यक्ष—आप इस सदन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं कृपया आप बैठ जायं।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—मैंने जो अपना प्रस्ताव रखा है वह सादाबाद तहसील में....

श्री अध्यक्ष—आप बहुत बुजुर्ग हैं, मैं क्या कहूं।

श्री टीकाराम पुजारी श्री अध्यक्ष के कहने के बावजूद आपने स्थान पर खड़े रहे।)

देखिये टीकाराम जी, आपको सदन के नियमों का पालन करना पड़ेगा।

आगामी सत्रारम्भ के विषय में जानकारी की मांग

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां तक हम लोगों को मालूम है २० तारीख को इस सत्र का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। उसके बाद सदन की बैठक कब होगी, इसके बारे में अगर निश्चित तारीख नहीं तो सप्ताह का पता अगर लग सके तो हम लोगों को बड़ी सुविधा होगी।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—मैं कोशिश करूंगा कि कल इसके सम्बन्ध में ज्यादा कुछ बता सकूं।

कार्यसूची में व्यतिक्रम करके कुमायूं विश्वविद्यालय विधेयक पुरःस्थापित करने के सम्बन्ध में श्री नारायणदत्त तिवारी की प्रार्थना

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति चाहता हूं कि क्रम संख्या ४ में जो कुमायूं विश्वविद्यालय विधेयक को पुरःस्थापित करने के सम्बन्ध में मेरी ओर से अनुज्ञा मांगने का प्रश्न है, आज तीसरा दिन है और यह हो सकता है कि और जो प्रस्ताव चल रहे हैं उनमें विवाद होने के कारण मेरा जो क्रम है नवां, यह न आ सके। तो मैंने इस सम्बन्ध में कुछ बात-चीत भी कर ली है कि मैं वह विधेयक केवल पुरःस्थापित कर लूं उसके लिए मैं केवल एक मिनट का समय चाहता हूं। इस सम्बन्ध में यह भी बतला दूं कि पिछले वर्ष भी मुझे इसको पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा मिल गयी थी, यह लैप्स किया हुआ दोबारा इंट्रोड्यूस हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—अब यदि बीच में जिन लोगों के प्रस्ताव हैं, उन्हें कोई आक्षेप न हो, यानी अगर किसी को भी आक्षेप होगा तो मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आपके द्वारा मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि मुझे इसके पुरःस्थापित करने का अवसर दिया जाय।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, मुझे एक आपत्ति यह है कि एक विषय हमारे यहां आलरेडी लिया जा चुका है और उसके ऊपर बहस चल रही है। उसके अलावा भी ६–७ आइटम्स और हैं और हमारे यहां एक ऐसी परम्परा है कि जिस क्रम से यह आइटम्स एजेंडे में रखे जाते हैं आमतौर से उसी तरह से लिये जाते हैं। वैसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है माननीय तिवारी जी का महत्वपूर्ण विषय है लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस तरह से क्रम में दिया हुआ है उसी तरह से चलें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक महत्व के विषय में.....

श्री अध्यक्ष---अब व्यवस्था का प्रश्न इसके बारे में नहीं आ सकता है। जो कार्य शुरू है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मैंने पूछ लिया था और मैं माननीय नवल किशोर जी से प्रार्थना करूंगा क्योंकि एक मिनट की ही बात है।

श्री अध्यक्ष---बात यह है कि जब अनुज्ञा मांगने का सवाल है तो वह बोल सकते हैं और अन्य लोग भी बोल सकते हैं। अगर किसी का आपोजीशन न हो तो मैं इसकी इजाजत दे सकूंगा। अगर कोई भी सदस्य इसका विरोध करेगा तो मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री नवलकिशोर---जब तिवारी जी का इतना अनुग्रह है तो उनको इजाजत दे दी जाय।

श्री अध्यक्ष---मैं एक-एक करके सबसे पूछे लेता हूं।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता था कि यह अनुज्ञा तो उनको दे दी जाय कि आज इसको उपस्थित कर दें लेकिन इसका यह अर्थ न हो जाय कि जो इसके मौलिक सिद्धान्त हैं उनका विरोध करने का हमें अधिकार भविष्य में न रह जाय।

श्री अध्यक्ष---वह सवाल तो यह है कि जब विचार के लिये यह प्रश्न आया तो सिद्धान्तों के ऊपर आप विरोध कर सकते हैं। अगर अनुज्ञा देने में आपका विरोध हो तो इजाजत नहीं दूंगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी---अनुज्ञा देने में मुझे कोई विरोध नहीं है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)---मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---मुझे आपत्ति है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरा एक छोटा सा प्रस्ताव है जो एक साल से कई बार आया लेकिन वह नहीं लिया गया। इस लिये मेरी प्रार्थना है कि मेरा छोटा सा प्रस्ताव है और वह लिये जाने के योग्य है। इसलिये मुझे इसमें आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष---मैं विधेयक को पहिले उपस्थित करने की अनुमति नहीं दे सकता हूं। मैंने कहा था कि जब सब लोगों की राय होगी तो मैं उसे ले लूंगा। लेकिन सब लोगों की राय नहीं है इस लिये मैं उसे अभी नहीं ले सकता हूं। इसके लिये दूसरा कोई उपाय नहीं है।

*कानपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---कल माननीय ब्रजबिहारी मेहरोत्रा भाषण दे रहे थे वह कृपया अपना भाषण जारी रखें।

श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प सदन में कानपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में उपस्थित किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये बोल रहा था। कानपुर जैसे विशाल नगर में जिसकी आबादी दस लाख से अधिक है और बड़े बड़े कालेजेज विद्यमान हैं और वहां पर विद्यार्थियों की संख्या आठ हजार से अधिक है, ऐसे नगर में विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता आज से बहुत पहले से अनुभव की जा रही है।

कानपुर में शिक्षा विशारद हैं और अनेक शिक्षा संस्थायें हैं किन्तु वहां विश्वविद्यालय न होने के कारण विद्यार्थियों को बड़ी असुविधा होती है और उनके सामने आर्थिक संकट आता है।

---

*१७ सितम्बर, १९५७ की कार्यवाही से।

उनकी परेशानी को देखते हुये यदि कानपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना हो सके तो बहुत बड़ा काम हो सकेगा। हमारे कुछ मित्रों ने कानपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना के सिलसिले में धन प्राप्ति की बात कही। सचमुच में कानपुर एक बड़ा व्यापारिक नगर है और इसमें दो रायें नहीं हैं कि वहां धनीमानी लोग रहते हैं। यदि कानपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना हो तो उसमें वह लोग अपना अपना दाय भाग जरूर देंगे। यदि कानपुर प्रयाग विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक केन्द्र की स्थापना में दस लाख रुपया देने की व्यवस्था कर सकता है, यदि कानपुर कैंसर इंस्टीट्यूट के लिये दस लाख रूपया देने की व्यवस्था कर सकता है तो वह कानपुर में विश्वविद्यालय के लिये बहुत बड़ा योग देने में समर्थ हो सकेगा। कानपुर वह नगर है जहां से सेल्स टैक्स में करीब दो करोड़ रुपया सरकारी खजाने में आता है। इसके अलावा इन्कम टैक्स में रुपया आता है। किन्तु उस रुपये के बल पर नहीं बल्कि उस मांग के लिये जिसमें शिक्षा की भूख कानपुर नगर की पूरी हो सके और वहां के विद्यार्थियों को वे सुविधायें प्राप्त हो सकें जो एक रेजीडेन्शल और ऐफिलियेटड यूनिवर्सिटी होने से होती हैं मैं चाहता हूं कि कानपुर में एक ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित हो जो रेजीडेन्शल भी हो और जिसे ऐफिलियेशन की क्षमता भी प्राप्त हो ताकि कानपुर के बड़े-बड़े कालेजेज, जैसे ऐग्रीकल्चरल कालेज, मेडिकल कालेज, डी० ए० वी० कालेज, सनातन धर्म कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, बालिका विद्यालय आदि उसके अन्दर आ सकें और इस प्रकार की एक ऐसी सुन्दर योजना कानपुर शहर के लिये बन सके जिससे वहां के विद्यार्थियों को सुविधा हो और साथ ही जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें कालेज के रूप में डिग्री क्लासेज तक शिक्षा दी जा सके। इस प्रकार जो भूमि पर इस वक्त बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है उस तरफ से लोगों का ध्यान कुछ हटे। कानपुर में टेक्निकल शिक्षा प्राप्त करने के लिये बड़ी-बड़ी टेक्सटाइल मिल्स हैं, आयल मिल्स हैं, जूट मिल्स हैं और बिजली के लिये भी बहुत बड़े-बड़े कारखाने हैं जहां विद्यार्थियों को बिजली की ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। मैं आशा करता हूं कि सरकार थोड़े से पैसे के खयाल से कानपुर की इस मांग को नजर अन्दाज नहीं करेगी। मैं जानता हूं कि हमारा जितना काम शिक्षा का है वह नियोजन के रूप में चल रहा है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुछ ऐसी रकमें हैं जिनके द्वारा कानपुर की इस मांग को पूरा किया जा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं इस मांग को कि कानपुर में एक रेजीडेन्शल-कम-एफिलियेटेड यूनिवर्सिटी जिसमें टेक्निकल कालेजेज हों स्थापित की जाय, मैं मूल प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इसे अवश्य स्वीकार करेगी।

(इस समय १२ बज कर १८ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, पीठासीन हुये।)

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)—अधिष्ठाता महोदय, कानपुर में यूनिवर्सिटी की आवश्यकता बहुत दिनों से प्रतीत हो रही है जिसके परिणामस्वरूप कई वर्ष पूर्व वहां पर एक कमेटी बनी थी जिसके अध्यक्ष डाक्टर मुरारी लाल साहब थे और मंत्री पंडित वेंकटेश नारायण तिवारी थे और उस कमेटी में बहुत अच्छे-अच्छे शिक्षा विशेषज्ञ थे। उस कमेटी में पंतजी महाराज ने अपना भाषण भी दिया था और उसको उनका आशीर्वाद भी प्राप्त था। लेकिन वह बात ऐसे ही रह गयी। आज फिर जब यह बात उठी है तो मुझे इस बात की प्रसन्नता हो रही है कि हमारे उत्तर प्रदेश के लोग इस बात की आवश्यकता महसूस करते हैं कि कानपुर में एक यूनिवर्सिटी हो। कानपुर, जैसा आप जानते हैं अपने प्रदेश में सबसे बड़ा नगर है, उसी प्रकार हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा औद्योगिक केन्द्र भी है। सभी जानते हैं कि वहां पर बहुत बड़े-बड़े कालेजेज हैं और खासतौर से डी० ए० वी० कालेज तो ऐसा है जिसमें तीन हजार के करीब विद्यार्थी पढ़ते हैं। ऐसी सूरत में वहां पर यूनिवर्सिटी की आवश्यकता को सभी महसूस करते हैं।

जिस प्रकार से हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसे औद्योगिक योजना कहा जाता है प्रारम्भ हुई है उसके अनुसार यह आवश्यक है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित]

औद्योगिक विकास हो और औद्योगिक विकास के लिये यह आवश्यक है कि लोग उद्योग की शिक्षा लें और इसके लिये यह भी आवश्यक है कि एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो। आप जानते हैं कि कानपुर में हारकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट है, साथ ही वहां पर शुगर टेक्नालाजी है, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट है, लेदर वर्किंग इंस्टीट्यूट है और इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार की ओर से जो उत्तर भारत में एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनने वाला है वह कानपुर में ही खुलने वाला है। ऐसी सूरत में जब हमें उद्योगों का विकास करना है तो उसके निमित्त हमें ऐसे आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी कि जो उनको भली प्रकार से चला सकें। आपको शायद याद होगा कि एक बार पं० जवाहर लाल नेहरू ने यह बात कही थी कि हमको ग्रेजुएट्स की आवश्यकता नहीं है, हमको ओवरसियर्स, इंजीनियर्स और टेक्निशियन्स की आवश्यकता है इसलिये मैं महसूस करता हूं कि कानपुर में यदि टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाय तो बहुत अच्छा होगा। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि इसी प्रकार का एक रेजोल्यूशन कौंसिल में भी आने वाला है और आज के अखबार में आप पढ़ेंगे कि डी० ए० वी० कालेज की यूनियन ने एक प्रस्ताव पास किया है कि कानपुर में एक यूनियवर्सिटी कायम की जाय मैं समझता हूं कि यह हमारी ही पुकार नहीं है, कानपुर की ही पुकार नहीं है बल्कि तमाम विद्यार्थी समाज की पुकार है कि कानपुर में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाय। कल मेरे एक भाई ने यहां कहा था कि क्यों न कानपुर के देहात में एक यूनिवर्सिटी कायम की जाय। मैं तो चाहता हूं कि जगह-जगह यूनिवर्सिटी कायम हों, लेकिन सरकार के पास इतने साधन उपलब्ध नहीं हैं कि वह हर जगह यूनिवर्सिटी की व्यवस्था कर सके। कानपुर चूंकि एक औद्योगिक नगर है और उसमें सूबे भर के सारे उद्योग मौजूद हैं इसलिये वहां पर एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी की परम आवश्यकता है।

इसके साथ-साथ अभी थोड़े दिन हुए कौंसिल में एक प्रस्ताव इस प्रकार का पेश हो चुका है जिस में टेक्निकल यूनिवर्सिटी की मांग की गई थी। जब इस प्रकार की परिस्थिति है तब कौन ऐसी बाधा है जो हमको इसकी स्थापना से रोके। हम लोग कानपुर की महत्ता को स्वीकार करें और इस बात को भी स्वीकार करें कि इस समय इस बात की आवश्यकता है कि ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाय। मैं समझता हूं कि इस बात को सभी लोग स्वीकार करते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे कि कानपुर में टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाय।

श्री अधिष्ठाता---(एक सदस्य से) आप सदन में अखबार नहीं पढ़ सकते।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---अधिष्ठाता महोदय, कानपुर में यूनिवर्सिटी खोलने के संबंध में प्रस्तावक महोदय की तरफ से जो भावनायें व्यक्त की गईं तथा उन साथियों की तरफ से जिन्होंने उस प्रस्ताव का समर्थन किया, जो कुछ कहा गया, उसका पूर्णतया आदर करते हुये भी मैं इसका विरोध करना चाहता हूं। मुझ को सिद्धान्ततः नया विश्वविद्यालय खोलने पर कोई विशेष आपत्ति नहीं है। मैं यह समझता हूं कि यदि हमारे पास साधन हों तो अच्छा तो यह हो कि हमारे प्रदेश के ५१ जिलों में अलग-अलग विश्वविद्यालय खोल दिये जाएं और यदि उसके आगे साधन होवें तो जितने कस्बे हैं उन सब में डिग्री कालेजज खोल दिये जाते और हर ग्राम में हायर सेकेन्डरी स्कूल खुल जाते। यह भावनायें और ध्येय अच्छे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आज का जो समय है और जो हमारे सामने प्राथमिकतायें हैं उन को देखते हुए मुझे दुःख है कि मुझे इसका विरोध करना पड़ रहा है।

हमारे प्रस्तावक महोदय ने बार-बार मांग की कि कानपुर की आबादी को देखते हुए, उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए आवश्यक है कि वहां एक विश्वविद्यालय खोला जाय। मेरा अपना यह विश्वास है कि आज भी यदि हम वहां एक विश्वविद्यालय खोल दें तो उससे कोई विशेष आवश्यकतायें वहां की पूरी होने वाली नहीं हैं। आज भी कानपुर के अन्दर हमारे प्रदेश के

अच्छे डिग्री कालेजेज हैं, अभी मेडिकल कालेज वहां खुला है, वहां बटलर इंस्टीट्यूट है। कहा जाता है कि मौजूदा जो पैटर्न आफ यूनिवर्सिटीज हैं उसको छोड़ कर आप एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी वहां खोलिये। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि जिस प्रकार का उनका खड़गपुर इंस्टीट्यूट है उसी प्रकार कानपुर में एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोला जाय, जिसमें अगर मैं भूलता नहीं हूं तो केन्द्रीय सरकार ४, ५ करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि जब इतना बड़ा टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोलने का निर्णय लिया जा चुका है तो एक टेक्निननकल विश्वविद्यालय खुलने से ही वहां की जनता का क्या विशेष फायदा होने वाला है और किन खास आवश्यकताओं की पूर्ति होने वाली है। जहां तक टेक्निकल आवश्यकताओं की, आदमियों की पूर्ति की बात है वह सब उस टेक्निकल इंस्टीट्यूट से ही पूरी होने वाली है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज केवल सवाल कानपूर का नहीं है। हमने देखा कि तिवारी जी ने यह मांग पेश की कि नैनीताल में एक कुमायूं विश्वविद्यालय खुलना चाहिये। हमारे बहुत से साथी जो बरेली से आते हैं वे भी यह मांग पेश करते हैं कि बरेली में विश्वविद्यालय खुले। मेरठ में भी खोलने के लिये बहुत जमाने से मांग चली आती है और इसके अलावा हम जानते हैं कि हमारे इस प्रदेश के अन्दर ५ विश्वविद्यालय आलरेडी हैं। ३ हमारी प्रदेशीय सरकार के अन्तर्गत हैं और २ केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत हैं। पिछली विधान सभा ने २ के लिये और अपनी स्वीकृति दी। एक गोरखपुर विश्वविद्यालय की और दूसरी संस्कृति विश्वविद्यालय बनारस की। इसी तरह से मुझे एक खबर यह मिली है कि एक ग्रामीण विश्वविद्यालय रुद्रपुर में खुलने वाला है। तो आज हम इतनी यूनिवर्सिटी खोलते जा रहे हैं जब कि हम यह भी जानते हैं कि एक यूनिवर्सिटी के लिये, केवल उसका तय कर देना काफी नहीं है, कम से कम एक करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च पड़ता है। हमारे एक भाई ने कहा कि करीब २ करोड़ रुपया कानपुर से हमारे एक्सचेकर को मिलता है। मगर उन्होंने साथ ही यह भी कह दिया कि इस आधार पर कौन कितना टैक्स देता है वह इस मांग को पेश करना नहीं चाहते हैं। लिहाजा मैं उस बात के ऊपर जाना नहीं चाहता। मेरा खयाल यह है कि यह यूनिवर्सिटी की जो मांग आए दिन हमारे प्रदेश में चल रही है इसको कम होना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—सदन में काफी शोर हो रहा है। शान्ति होनी चाहिये।

श्री नवलकिशोर—हम यह भी देखते हैं कि हर जगह से यूनिवर्सिटी की मांग पेश होती है। मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि इतने विश्वविद्यालय खोलने से सिवाय इसके कि हमारे प्रदेश का जो आर्थिक ढांचा है उस पर बोझ बढ़ जाय और कोई फायदा दिखाई नहीं पड़ता है। इतना फायदा जरूर है कि अगर कानपुर में विश्वविद्यालय खुले तो जो वहां पर कालेजों के प्रिन्सिपल्स या प्रोफेसर्स हैं उनकी तनख्वाह बढ़ जायगी वर्ना एजूकेशन की मांग का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कि एक डिग्री कालेज जहां पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज भी होती हैं, वह डे टु टू डे की जरूरतों को बहुत दूर तक पूरा कर सकता है।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे साथियों को इस बात का पता होगा कि केन्द्रीय सरकार ने एक मुडालिया कमीशन बिठाया था। उसने इस बात का निर्णय किया कि हर सरकारी नौकरी के लिये बी० ए० और एम० ए० की डिग्री आवश्यक नहीं है। उन्होंने हमारी सरकारी सर्विसेज को २ हिस्सों में तकसीम किया है। एक वह सर्विसेज हैं जिनके लिये बी० ए० और एम० ए० की डिग्रियों की आवश्यकता नहीं है और एक वह सर्विसेज हैं जिनके लिये ग्रेजुएट होना आवश्यक है। मैं समझता हूं यदि केन्द्रीय सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो फिर यह बी० ए०, एम० ए० वर्ज के खोलने और यूनिवर्सिटी के खोलने की मांग अपनी जगह पर बहुत कम हो जायगी और इसकी आवश्यकता उतनी ज्यादा नहीं रहेगी कि जितनी लोग इसके लिये समझते हैं।

[श्री नवल किशोर]

टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात का जहां तक सम्बन्ध है इसको खोलने के लिये एक बात याद रखनी चाहिये कि हमारे इस प्रदेश के अन्दर इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय रुड़की में है। वह केवल इस प्रदेश के लिये ही नहीं बल्कि हमारे सारे देश के लिये जितनी आवश्यकता है उसको पूरा करने की कोशिश करता है बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों से भी विद्यार्थी उसमें पढ़ने के लिये आते हैं। इसके अलावा हमारे यहां कई टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस भी हैं जिनमें ओवरसियर्स, सुपरवाइजर्स और ड्राफ्ट्समेन की ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिये अगर आज यह मांग होती कि ऐसे इन्स्टीट्यूशन की तादाद बढ़ाई जाय तो मैं समझता हूं कि उसको अपना सपोर्ट देने के हक़ में मैं होता। यह कह देना आसान होता है कि यूनिवर्सिटी खोल दी जाय या ग्रामीण यूनिवर्सिटी खोल दी जाय लेकिन उनका स्पष्ट पैटर्न हमारे सामने नहीं होता है। एक ग्रामीण यूनिवर्सिटी खुलने की बात रुद्रपुर में सुनी जाती है। मगर उसका पैटर्न क्या होगा? मैं नहीं जानता, हां हमने देखा कि गोरखपुर में जो विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है उसका पैटर्न वही होगा जो लखनऊ और इलाहाबाद या प्रदेश में अन्य विश्वविद्यालयों का है। उसका कोई नया पैटर्न नहीं बनने वाला है। उस में कोई नयी परिस्थिति नहीं है। तो मैं समझता नहीं कि उस पैटर्न के बार-बार दोहराने से क्या फायदा विशेष होने वाला है। अगर यह कहा जाय कि खेती की उन्नति के लिये एक ग्रामीण विश्वविद्यालय बनाया जाय तो मैं समझता हूं कानपुर में हमारा इतना बड़ा डिग्री कालेज एग्रीकल्चर का चल रहा है मगर क्या ईमानदारी से यह कहा जा सकता है कि वह ग्रामीण कालेज है। मैं समझता हूं कि नहीं है। तो आइडियाज का होना एक बात है और उन आइडियाज को कार्यान्वित करना दूसरी बात है जिसको करने में बड़ी कठिनाई होती है। राधाकृष्णन् कमेटी में में जो रूरल कालेज की बात है उसको अगर उसके मेम्बर्स से पूछा जाय कि इससे उनकी क्या मंशा थी तो उसमें मुझे शक है कि वह भी इस चीज को कहां तक ठीक २ बता पायेंगे।

यह बात सही है कि आज हमारे सामने एजूकेशन की एक बड़ी भारी समस्या है और उसको प्राइमरी से ले कर यूनिवर्सिटी स्टेज तक तब्दील करने की बात है। अगर इस सब के ऊपर गौर हो जाय तब तो मेरी समझ में बात आती है लेकिन केवल विश्वविद्यालय के प्रसार की बात जहां तक है, उसके लिये मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने विश्वविद्यालय हमारे यहां मौजूद हैं, अच्छा यह हो कि उनकी मौजूदा मांगों को पूरा किया जाय। आज लखनऊ और इलाहाबाद विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है? तमाम विश्वविद्यालय डेफीसिट में रन कर रहे हैं। उनकी लाखों रुपये की मांग है जिसको स्टेट मीट नहीं कर पा रही है। इस प्रकार से मौजूदा इंस्टीट्यूशन्स स्टार्विंग कंडीशन में हैं, हमें पहले उनकी मांगों और उनके इविवपमेंट की कमी को पूरा करना चाहिये। विश्वविद्यालय नैनीताल, मेरठ, बरेली या कानपुर में खोले जायं, मैं मानता हूं यह अच्छी भावना है, अच्छे विचार हैं परन्तु समय के हिसाब से अनुकूल नहीं हैं। नये विश्वविद्यालय भी किसी प्लान के ही अन्तर्गत खोले जा सकेंगे।

मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा अच्छा तो यह है कि हमारे छोटे-छोटे गांवों की जो मांगे हैं उनको हम पूरा करें और इस स्थिति में हों कि हर गांव में अथवा हर दो मील पर एक प्राइमरी स्कूल खुल जाय। उनके पढ़ने के लिए पक्की इमारत नहीं तो कम से कम ऐसा स्थान दे सकें जहां छप्पर तो हो जिसमें लड़के-लड़कियां बैठ कर तालीम पा सकें। मैं समझता हूं अगर यह कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

जहां तक इस विचार का सम्बन्ध है, यह बहुत अच्छा है कि कानपुर में एक विश्वविद्यालय खोला जाय। कानपुर में ही नहीं जहां-जहां भी इसकी भी व्यवस्था हो सके, खोले जायं लेकिन इसमें हमें देखना यह है कि कितना खर्चा होगा और क्या स्टेट उस खर्च को बर्दाश्त कर पायेगी। मेरा ख्याल है बरदाश्त नहीं कर पायेगी। मैं इस सम्बन्ध में सरकार से और इस सदन से

यह कहना चाहूंगा कि ऐसी बातों के लिए एक एमाउन्ट फिक्स कर दें कि ५० लाख होगा या ८० लाख होगा यानी इतना रुपया होगा, इतनी जमीन होगी और इतना पैराफर्नेलिया होगा, तब इस प्रकार की मांग पर विचार किया जा सकेगा।

मैं और अधिक समय इस सदन का न लेते हुए केवल अपने उन भाइयों से जिन्होंने इस प्रस्ताव को रक्खा है, यह कहूंगा कि मुझे गलत न समझें, उनकी मांग को अच्छी समझते हुए भी मैं यह समझता हूं कि मौजदा हालत में, जहां तक कि स्टेट के रिसोर्सेज का ताल्लुक है, सेकंड फाइव ईयर प्लान में जितने धन की आवश्यकता है, उसको देखते हुये नये-नये विश्वविद्यालयों की मांग को पेश करना उचित नहीं है।

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तावक महोदय ने एक बहुत ही सुन्दर प्रस्ताव इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त कार्यसूची को देखने से यह भी पता चलता है कि और भी माननीय सदस्यों की यह आकांक्षा है कि मेरठ, नैनीताल आदि स्थानों पर भी विश्वविद्यालय खोले जायं। तो माननीय सदस्यों की आकांक्षाओं पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि हमें पहले यह तय करना होगा कि अगर नये विश्वविद्यालय खोले जायं तो उनके खोलने का आधार क्या होगा, विश्वविद्यालय खोलने का मापदंड क्या हो जिसके आधार पर वे खोले जायं। यहीं नहीं जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रक्खा है उससे यह भी प्रश्न उठता है कि अगर कानपुर में विश्वविद्यालय खोला जाय तो उससे वहां के विद्यार्थियों को क्या लाभ होगा और अगर न खोला जाय तो क्या हानि होने वाली है। इन सारे प्रश्नों पर अगर व्यवस्थित रूप से देखा जाय तो मैं समझता हूं कि आज जैसी हम लोगों की आर्थिक स्थिति है, हमारा उत्तर प्रदेश एक अभावग्रस्त प्रदेश है, ऐसी परिस्थिति में एक नवीन विश्वविद्यालय खोलने की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में पहले से ही ५–६ विश्वविद्यालय विद्यमान् हैं और मानी हुई बात है कि उत्तर प्रदेश के ५१ जिलों में से करीब ८ जिले एक विश्वविद्यालय के क्षेत्र में आते हैं और जैसा कि स्वयं प्रस्तावक महोदय ने अपने प्रस्ताव को उपस्थित करते हुए कहा है कि कानपुर विश्वविद्यालय से लगभग ७–८ जिले सम्बन्धित होंगे। तो जब पहले से ही अपने प्रदेश में ५–६ विश्वविद्यालय कायम हैं, उनके कार्यक्षेत्र में लगभग ८ जिले आते हैं तो ऐसी परिस्थिति में एक और नवीन विश्वविद्यालय खोलने की कोई बात समझ में नहीं आती। इतना ही नहीं, कभी-कभी एक ग्रामीण विश्वविद्यालय खोलने की बात भी की जाती है लेकिन अभी तक उसकी कोई स्पष्ट रूप-रेखा हमारे सामने नहीं आयी जिनके आधार पर एक नवीन विश्वविद्यालय खोलने की बात कही जाय।

यह बहुत कहा गया कि कानपुर में बहुत से कालेजेज हैं और उनके अन्दर विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक है। वे आगरा यूनिवर्सिटी से परीक्षा देते हैं और इस प्रकार उन विद्यार्थियों के अध्ययन अध्यापन का काम चलता जाता है और उनकी परीक्षा भी नियमित रूप से चलती जाती है। फिर समझ में नहीं आता कि कानपुर में एक विश्वविद्यालय के खोले जाने से उनको क्या नयी विशेष सुविधा होगी। वे जिस कालेज में पढ़ रहे हैं, उसी में पढ़ते रहेंगे, उनकी परीक्षा भी उसी तरह से चलती रहेगी। अभी तक वे कालेज आगरा यूनिवर्सिटी से मान्य हैं, बाद में कानपुर यूनिवर्सिटी से मान्य समझे जायेंगे। केवल नाम का फर्क पड़ जायगा। ऐसी परिस्थिति में ऐसा कोई हेतु समझ में नहीं आया कि कानपुर के नाम पर एक नया विश्वविद्यालय खोला जाय। उनको इससे क्या नयी सुविधा मिल पायेगी या क्या अधिक प्रामाणिकता या मान्यता प्राप्त होगी? जिस प्रकार से आज वहां की परीक्षाओं का संचालन आगरा यूनिवर्सिटी के नाम से हो रहा है उसी प्रकार से उन परीक्षाओं का संचालन कानपुर यूनिवर्सिटी के नाम से होने लगेगा। इस तरह से सिर्फ नामान्तर होगा। इसके अलावा और कोई सुविधा या फायदे की बात मेरी समझ में नहीं आयी।

इस तरह से विचार करने से पता चलता है कि जिस तरह का हम लोगों का अभावग्रस्त क्षेत्र है और यही नहीं हमारे प्रदेश में एक योजना चल रही है, सारा काम एक योजना के अधीन

[श्री मदनगोपाल वैद्य]

चल रहा है। प्रथम पंच वर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कहीं भी कोई नया विश्वविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में कोई गुंजायश या औचित्य नहीं समझा गया। यूनिवर्सिटी के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में धन की कोई व्यवस्था नहीं है। यहीं तक नहीं बल्कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्दर यहां तक प्रश्न उठाया गया है कि सरकारी नौकरियों के लिये इन विश्वविद्यालय की डिग्रीज की प्रामाणिकता को माना जायगा या नहीं, इस सम्बन्ध में भी एक सन्देह व शंका ही प्रकट की गयी है। ऐसी स्थिति में भविष्य में इन विश्वविद्यालयों की डिग्रीज की मान्यता का क्या रूप होगा, सरकारी नौकरियों के लिये इनकी प्रामाणिकता का क्या रूप होगा। यह एक सन्देह और शंका की बात होती है तो ऐसी परिस्थिति में एक नवीन विश्वविद्यालय खोला जाय तो वह उचित नहीं होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि जिस तरह से हमारे प्रदेश में खर्चे का भार बढ़ा हुआ है उसी को सहन करने में हम असमर्थ हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये ही हमको नाना प्रकार की तकलीफें हैं और उसका खर्चा अकेले सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जब हम अपने खर्चे को उठाने में ही असमर्थ हैं, फिर भी जब एक नवीन विश्वविद्यालय खोलने की बात हमारे प्रदेश में की जाती है तो मैं समझता हूं कि उससे कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है। इन सब परिस्थितियों पर विचार करते हुये हम इसी परिणाम पर पहुंचते हैं कि जब तक हम यह कल्पना न कर लें कि जो नया विश्वविद्यालय होगा वह केवल परीक्षा लेने वाला विश्वविद्यालय न हो कर एक प्रकार से रेजिडेंशल विश्वविद्यालय होगा तब तक कानपुर विश्वविद्यालय के खोलने का कोई विशेष औचित्य प्रतीत नहीं होता।

इतना ही नहीं कि कानपुर एक बड़ा शहर है, बल्कि वह हमारे प्रदेश का एक बड़ा औद्योगिक शहर है। वहां बहुत सी संस्थायें हैं, बहुत से विद्यालय हैं, जिनमें शिक्षा चल रही है और उन्हीं विद्यालयों में शिक्षा बाद में भी चलती रहेगी। वे ही उनके अध्यापक भी रहेंगे जो कि आज कल हैं, केवल कानपुर यूनिवर्सिटी के नाम से एक नया विश्वविद्यालय खोलने से क्या नवीन लाभ उनको होगा और न खोलने से क्या-क्या हानि होगी, इस प्रश्न का जवाब अभी तक कोई भी नहीं दे पाया है। इस तरह से कानपुर में एक नवीन विश्वविद्यालय खोले जाने की बात समझ में नहीं आयी।

कानपुर एक बहुत बड़ा शहर है, जहां टी० बी० के मरीजों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है, फिर भी उस बड़े शहर को इस तरह से बढ़ाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है। हम तो बड़े-बड़े शहरों के विकेन्द्रीकरण की बात सोच रहे हैं। अगर कोई नवीन विश्वविद्यालय खोलने की बात सोची भी जाय तो उसे किसी दूसरे स्थान पर खोलना उपयुक्त होगा और कानपुर शहर में तो कभी भी विश्वविद्यालय खोलना उचित नहीं है, अगर खोलना ही हो तो वह कानपुर के देहात में खोला जा सकता है। आज हमारे यहां अनेक परेशानियां हैं, बाढ़ें आती हैं, अन्न की कमी है, हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना के व्यय को ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इन तमाम परिस्थितियों से हम इस निश्चय पर पहुंचते हैं कि जो हमारे विश्वविद्यालय चल रहे हैं उनके होते हुये ऐसे समय में किसी नये विश्वविद्यालय के खोलने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)--श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, मैं २ रोज के मनन करने के बाद अपने को इस मूल प्रस्ताव का समर्थन करने में असमर्थ पाता हूं। विश्वविद्यालय का सिद्धान्त बहुत अच्छा है, बढ़िया है लेकिन इस समय तो यह मांग ऐसी ही प्रतीत होती है जैसे कि हजारों आदमी प्यास के मारे मर रहे हों और उनकी जान पानी के लिये घुट रही हो और एक आदमी उस नपे तुले एक घड़ा संचित पानी से अपने कपड़े स्वच्छ करना चाहता हो जिससे हजारों आदमियों की जानें बच सकती हैं और समाज को दिखलाना चाहता हो कि वह सभ्य और स्वच्छ है। आज जब कि हमारे यहां देहातों में लाखों नहीं करोड़ों मजदूर किसान प्राइमरी शिक्षा तक से वंचित हैं और उनके पास किताब मोल लेने तक को

पैसे नहीं हैं, आज हरिजनों और सवर्णों के घर में भी ऐसे बालक हैं जो कुशाग्र बुद्धि के हैं, पढ़ सकते हैं, होनहार हैं, बुद्धि में किसी से कम नहीं हैं लेकिन साधनों के अभाव से वह शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं। आज जब कि सरकार की योजना है कि हम सब को शिक्षित बनायेंगे और वह सरकार अनिवार्य शिक्षा करने जा रही है तो हर मौजे में जब तक प्राइमरी पाठशाला न हो, हर २ मील के भीतर एक जूनियर हाई स्कूल न हो जाय और हर ५ मील के भीतर एक सेकेन्डरी हाई स्कूल न हो जाय और हर ८ से १० मील के भीतर एक इन्टर कालेज न हो जाय और इस प्रकार हर जिले के अन्दर दस पन्द्रह इंटर कालेज न हो जायं और हर जिले में कम से कम एक डिग्री कालेज न हो जाय तब तक नये विश्वविद्यालय की बात करना तो वही मिसाल होगी कि एक आदमी के हाथ, पैर, पेट, पसली सब सूख जायं और उसका सिर सवा सात मन का कर दिया जाय, तो सवाल यह होगा कि उस सिर को संभालेगा कौन? जो खर्च शिक्षा विभाग का होगा। उसको सम्भालने वाला कौन है? आज हमारी जनता अशिक्षित, अपढ़, अल्प-शिक्षित है और वह खर्च के भार से दब कर कराह रही है।

मुझे इसे देख कर दुख तो उस समय हुआ जब यह प्रस्ताव कुरील जी द्वारा आया। वह किसी धनी मानी के द्वारा या किसी और उच्च कहलाने वाले सदस्य के द्वारा आता तो मैं यह मान लेता कि वह सर बड़ा करना चाहते हैं चाहे पैर पंगु रहें, हाथ लुंज रहें, शरीर में कोई शक्ति न रहे और चाहे हजारों और करोड़ों हरिजन फीस माफ होने पर भी किताब न मोल ले सकने के कारण शिक्षा न दिला सकते हों तो कुरील जी को विश्वविद्यालय की कैसे सूझी? श्रीमन्, मैं व्याख्यान देने के लिये नहीं खड़ा हुआ। मुझे एक दर्द लगा, मैंने उस वेदना को सदन के समक्ष रख देना अपना कर्त्तव्य समझा। मैं बिलकुल असमर्थ हूं कि मैं इस मूल प्रताव का समर्थन कर सकूं। आज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला नत्थू गड़रिया का लड़का नहीं है। आज देहात का ग्रामीण जिसके पास एक बीघा जमीन है या मजदूरी करता है वह विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला नहीं है, वह तो इंटर कालेज तक नहीं पहुंचता, डिग्री कालेज तक नहीं पहुंचता जिसमें बड़े-बड़े धनवानों के घर के आदमी जो स्वयं अपनी सम्पत्ति के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं उन्हीं के लड़के उन विश्वविद्यालयों में पढ़ेंगे। मैं विश्वविद्यालयों का हृदय से समर्थक हूं। लेकिन श्रीमन्, पहले विश्वविद्यालय के योग्य जनता बनायी जाय और वह जनता बनायी जाय जो देहातों में पिछड़ी पड़ी हुई भूखों मर रही है। वह अशिक्षित है। अब भी मिडिल पास के लिये ढूंढना पड़ता है। जूनियर हाई-स्कूल, प्राइमरी स्कूल नहीं पास हैं। इंटर कालेज तक नहीं गये, डिग्री कालेज तक नहीं गये। ऐसे जमाने में विश्वविद्यालय की स्थापना उचित नहीं क्योंकि कानपुर में भी हो, कल नैनीताल में हो जाय। परसों बरेली में हो जाय। इसके बाद फतेहपुर में हो जाय। फिर रायबरेली में क्यों न हो? मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि विश्वविद्यालय न हो, मैं विश्वविद्यालय का विरोधी नहीं हूं, यह मैं बार-बार बता देना चाहता हूं। लेकिन यह समय नहीं है। पहले प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल, सेकेंडरी हाई-स्कूल और इंटर कालेज और डिग्री कालेज सम्पूर्ण रूप से जिलों में हो जायं और सब शिक्षित ही शिक्षित देख पड़ें, तो १० विश्वविद्यालय और खोल दिये जायं मुझे कोई ऐतराज नहीं है और न होगा। अभी जिनके पास लक्ष्मी है, उनके लिये आगरा विश्वविद्यालय हो सकता है, लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ सकते हैं और पढ़ते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, बनारस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। कानपुर में विश्वविद्यालय क्यों खोला जाय? मैं तो यह समझता हूं कि वह कुली, जो वहां कुलीगीरी करते हैं, या अन्य जिलों से जाकर जो आदमी वहां की मिलों में नौकरी करते हैं, कामदारी करते हैं, कुलीगीरी करते हैं, अगर वह या उनके लड़के शिक्षित होते तो वह भी विश्वविद्यालय में पढ़ कर कहीं प्रिंसिपल होते या उच्चाधिकारी बनते, तो मैं अवश्य समर्थक होता। इसलिये मैं इस मूल प्रस्ताव का सर्वांगीण विरोधी हूं और तब तक विरोधी हूं जब तक कि आम तरह से शिक्षा सब जगह देहातों में न हो जाय। हर जिले में इंटर कालेज, एक-एक डिग्री

[श्री गुप्तार सिंह]

कालेज न हो जायं तब तक विश्वविद्यालयों की तादाद बढ़ाना यह वैसा ही होगा जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक मूड़ बड़ा कर देना है। जो विश्वविद्यालय पैदा होंगे वह शोषण करेंगे क्योंकि हम जो गरीब हैं उनके पास कोई साधन नहीं है। जब तक हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी नहीं यह खर्चा कहां से आयेगा ? सब देहाती दब जायेंगे क्योंकि कर अधिक उन्हीं पर है।

इसलिये श्रीमन्, मैं बड़ी नम्रता से विश्वविद्यालय का समर्थक होते हुये समय के अनुकूल न होने के कारण इसका विरोध करता हूं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब यह प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता--माननीय शिक्षा मंत्री, आपको क्या कहना है ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--अब अगर सदन की इच्छा हो तो बहस बन्द कर दें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि श्री मुरलीधर कुरील के प्रस्ताव पर जो वाद-विवाद हो रहा है, वह समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उन सब माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और उनका बड़ा अनुगृहीत हूं जिन्होंने मेरे इस संकल्प के वाद-विवाद में भाग लिया।

मैंने जो प्रस्ताव रखा था उसके अन्दर मैंने सारी बातें बतायी थीं कि किन-किन आवश्यकताओं को देखते हुये कानपुर में विश्वविद्यालय खोला जाय। और मैंने यह देखा कि विश्वविद्यालय खोलने की भावना से सभी माननीय सदस्य सहमत हैं। उसमें कुछ माननीय सदस्यों ने टेक्निकल विश्वविद्यालय का संशोधन किया और उसका कुछ साथियों ने समर्थन किया। लेकिन जहां तक भावना का प्रश्न है, जहां तक आवश्यकता की बात है सभी माननीय सदस्य महसूस करते हैं कि विश्वविद्यालय होना चाहिये। अब प्रश्न यह रह जाता है कि वह विश्वविद्यालय टेक्निकल हो या आर्ट साइड का हो।

एक बात यह कही गई कि कानपुर के आसपास थोड़ी-थोड़ी दूर पर विश्वविद्यालय खोलने से कोई लाभ नहीं। मैं बतलाना चाहता हूं कि अब तक जो भी विश्वविद्यालय हैं वे सभी करीब-करीब ५० मील से दूर ही होंगे, कोई १०,२० मील की दूरी पर नहीं है।

दूसरा प्रश्न यह भी था कानपुर नगर ही में खुले, देहात में क्यों न खोला जाय। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कानपुर नगर से मतलब कानपुर शहर से नहीं है बल्कि उसका तात्पर्य कानपुर जिले से है। इसके अलावा मैंने बताया कि कानपुर के आस पास करीब-करीब ७,८ जिले हैं जो प्रान्त के मध्य में हैं और वहां के सभी बच्चे कानपुर में शिक्षा पा रहे हैं। उनकी सुविधा को देखते हुये, आवश्यकताओं को देखते हुये वह विश्वविद्यालय सिर्फ कानपुर का न होगा बल्कि प्रान्त के जो मध्य के जिले हैं उन सब के लिये वह विश्वविद्यालय होगा और आगे चल कर मैं तो यह कहता हूं यह विश्वविद्यालय पूरे प्रान्त का होगा।

एक बात यह कही गई कि इस समय जो पंचवर्षीय योजना चल रही है उसके अन्तर्गत इतने अधिक खर्चे हैं कि इसके लिये जो फंड की आवश्यकता है वह कहां से पूरी होगी ? इस सम्बन्ध में अभी माननीय मेहरोत्रा जी ने आपके सामने बताया कि कानपुर में जहां तक दान का सम्बन्ध है शिक्षा संस्थाओं को चलाने का सम्बन्ध है, प्रान्त की कई शिक्षा संस्थाओं को दान दिया है। बहुत सी योजनाओं में कानपुर से काफी रुपया खर्च किया जाता है। कानपुर

से करोड़ों रुपये की आमदनी सालाना सरकार को होती है। मैं समझता हूं कि जब वहां विश्वविद्यालय खोलने की बात आयेगी तो वहां के सभी लोग इस प्रयत्न में पीछे नहीं रहेंगे कि दान इकट्ठा करने में कमी हो जाय और सरकार को कोई अधिक खर्च करना पड़े, ऐसी बात मेरी समझ में नहीं आती। वहां के लोग इसके लिये तैयार हैं और जैसा बताया जा चुका है एक कमेटी पिछले दिनों इस सम्बन्ध में बनी थी और उसने काफी दिनों तक खोजबीन की और उसकी सिफारिशें सरकार के पास आयीं। लेकिन उनका क्या परिणाम हुआ, यह मैं नहीं कह सकता। लेकिन इतना अवश्य है कि इसके लिये जब कमेटी पहले बन चुकी थी और वहां पर विचार हुआ तो इसके माने यह हैं कि कानपुर के नागरिक पहले से ही तैयार हैं और फंड की बात को पूरा करने के लिये तैयार है।

एक बात यह कही गई कि विश्वविद्यालय कानपुर में ही क्यों हो? इसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि अगर मेरठ में रुहेलखंड में या नैनीताल में कहीं भी खोला जाय उसका इस प्रस्ताव द्वारा कहीं पर विरोध नहीं है और यदि उन जगहों पर आवश्यकता है तो अवश्य खोले जायं। लेकिन जिन परिस्थितियों के वश दूसरी जगह की मांग की जाती है वे परिस्थितियां क्या कानपुर में नहीं हैं? कानपुर भी काफी पिछड़ा हुआ जिला है। सिर्फ कानपुर नगर में कुछ थोड़े से कल कारखाने होने से, या चंद धनीमानी लोग होने से यह मतलब लगा लिये जायं कि कानपुर सब तरह से पूर्ण है, तो मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। कानपुर जिला काफी पिछड़ा है। इसके साथ जो उसके आसपास के जिले हैं, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, आदि, आदि—यह सब जिले क्या आगे बढ़े हुये हैं? मैं समझता हूं प्रान्त के जितने पिछड़े हुये जिले हैं, उनसे ये जिले कम पिछड़े नहीं हैं। और हर मानी में काफी पिछड़े हुये हैं और जो सुविधायें दूसरे जिलों को मिलती हैं वह इन जिलों को भी इनकी तरक्की के लिये मिलनी आवश्यक हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मेरठ, नैनीताल या अन्य जिलों में जो परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से वहां विश्वविद्यालय खोलने की मांग उठती है तो वह परिस्थितियां कानपुर में भी मौजूद हैं और वहां पर उस दृष्टिकोण को सामने रखते हुये विश्वविद्यालय की स्थापना आवश्यक है।

जहां तक रही टेक्निकल विश्वविद्यालय की बात उस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि टेक्निकल शिक्षा संस्थायें वहां पर काफी हैं और टेक्निकल कालेजेज वहां पर खोले जा सकते हैं, उनकी परीक्षा आदि की सारी सुविधायें जो कि होनी चाहिये वह इस विश्वविद्यालय से भी पूरी की जा सकती हैं। इसके द्वारा कोई ऐसी रुकावट उनमें नहीं आने वाली है जिससे कि यह समझा जाय कि टेक्निकल विश्वविद्यालय न खुला तो वह सारी चीजें रह जायेंगी। इस विश्वविद्यालय के द्वारा भी वह सारी आवश्यकतायें पूरी की जा सकती हैं और उनके लिये सारी व्यवस्था की जा सकती है। प्रश्न यह है कि अगर टेक्निकल विश्वविद्यालय वहां पर स्थापित हो तो जब वहां पर आर्ट के कई कालेज चल रहे हैं और उनमें विद्यार्थियों की काफी संख्या है तो उसको देखते हुये ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना वहां होनी चाहिये जिसमें कि आर्ट के भी विद्यार्थी और टेक्निकल साइड के भी विद्यार्थी दोनों की आवश्यकतायें पूरी हो जायं और मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय की स्थापना से उन दोनों की आवश्यकतायें पूरी हो जाती हैं। किसी अलग टेक्निकल विश्वविद्यालय की फिर जरूरत मेरे ख्याल से नहीं रह जाती है।

माननीय श्री गुप्तार सिंह जी ने एक बात यह कही कि प्रान्त के अन्दर हरिजनों की हालत बहुत खराब है। उनके लिये सरकार काफी व्यवस्था कर रही है। मेरे प्रस्ताव में कहीं पर यह नहीं है कि हरिजनों के उत्थान के लिये कोई कार्य न किये जायं या उनकी तरफ ध्यान न दिया जाय। दूसरी तरफ वह यह कहते हैं कि कानपुर में बाहर से आये हुये कुली रहते हैं, तो क्या उन कुलियों के लिये विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय? मैं समझता हूं कि कुली तो हरिजनों में से अधिकतर होते हैं और अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाय तो एक तरफ तो वह यह कहें कि हरिजनों का सुधार किया जाय और दूसरी तरफ

[श्री मुरलीधर कुरील]

यह कि कुलियों के नाम पर विश्वविद्यालय का विरोध करें तो यह तो एक तरह से वह हरिजनों के भी विरोधी होते हैं क्योंकि कुली तो अधिकतर हरिजन ही होते हैं। हरिजनों के उत्थान की भावना अगर उनकी है तो इस विश्वविद्यालय के प्रस्ताव से उन्हें विरोध नहीं होना चाहिये और जहां तक शिक्षा देने का सवाल है चाहे वह हरिजन हों, चाहे वह कुली हों सभी को आज स्वतंत्रता के युग में अधिकार है कि यह बराबर अपनी उन्नति कर सकता है और वह देश की व्यवस्था में किसी भी स्थान पर, किसी भी हिस्से में किसी भी पद के योग्य बन कर के उस स्थान पर पहुंच सकता है। जब ऐसी व्यवस्था संविधान के द्वारा है तो हम यह कहें कि यह तो कुलियों का शहर है, तो क्या कुलियों के लिये व्यवस्था की जाय, मैं समझता हूं कि यह बिलकुल अनुचित बात है।

दूसरी बात जो है, इस प्रस्ताव में कहीं भी यह नहीं है कि यह सिर्फ परीक्षा की यूनिवर्सिटी होगी। यह परीक्षा भी लेगी और रेजीडेंशल भी होगी। इसमें टीचिंग का भी काम होगा। तो थोड़े से समय में मैंने आपकी आज्ञा से भवन के सामने यह बताने की चेष्टा की कि हर दृष्टिकोण से, समय की मांग को देखते हुये और जो हमारी डेवलपमेन्ट की योजनायें चल रही हैं उनको देखते हुये आज प्रान्त के अन्दर अगर विश्वविद्यालय की मांग है तो वह कानपुर में उचित ही है। इसके लिये जो कठिनाइयां हैं उनको पूरा करने के लिये कानपुर तैयार है और जहां तक इक्विपमेंट और साधन वगैरह की बात है कुछ माननीय सदस्यों ने बतलाया कि वहां पर साधन भी मौजूद हैं। बहुत ही थोड़े से प्रयास से वहां यूनिवर्सिटी बड़ी आसानी से चल सकती है।

और जहां तक खर्चे की बात है मैंने पहले ही निवेदन किया उसके लिये कानपुर पूरी तरह से तैयार है। उसमें सरकार को कोई ऐसी कठिनाई नहीं आने पायेगी जिससे सरकार की पंचवर्षीय योजना में कोई बाधा पड़े, कोई इतना खर्चा उठाना पड़े जिससे कोई नया काम रुक जाय। मैं समझता हूं कि इन सब दृष्टिकोणों को रखते हुये मेरा यह प्रस्ताव सदन स्वीकार करेगा और वहां पर सरकार इन बातों को मान कर विश्वविद्यालय खोलने की कृपा करेगी।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, यह जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख विचारार्थ उपस्थित है और जिसके ऊपर इस सदन के कतिपय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये, हैं वह ऐसा है कि इसके पीछे जो भावना है उससे तो कोई विरोध हो नहीं सकता, न सिद्धांत से विरोध हो सकता है, पर फिर भी उस प्रस्ताव को स्वीकार करना व्यवहार की दृष्टि से सरकार के लिये असंभव हो रहा है।

आज हमारे प्रदेश में विश्वविद्यालयों की मांग कई दिशाओं से है। अभी विधान परिषद् में भी तीन रोज हुये मेरठ के विश्वविद्यालय की मांग के सम्बन्ध में विचार हुआ था और यहां कानपुर के लिये प्रस्ताव पेश है। अभी हमारे भाई नारायणदत्त जी सामने बैठे हुये हैं और बड़ी सतर्क दृष्टि से मेरी ओर देख रहे हैं। उन्होंने तो कुमायूं का बिल ही बना कर पेश कर दिया, यहां तो प्रस्ताव ही प्रस्ताव है, उन्होंने तो बिल की रूपरेखा हाउस में पेश कर कर दी। रुहेलखंड की बात भी मेरे सुनने में आती है। तो विश्वविद्यालयों की स्थापना की मांग तो चारों ओर से है और जैसा कि माननीय प्रस्तावक जी ने कहा कहीं-कहीं तो विश्वविद्यालय की स्थापना के सारे आधार भी मौजूद हैं। जैसे कि कानपुर की बात कही गई। उन्होंने बताया कि कानपुर में बहुत विद्यार्थियों की संख्या है। इसमें कोई संदेह नहीं, एक ही कालेज जो डी०ए०वी० कालेज कहलाता है उसमें ५,६०० विद्यार्थी हैं और कतिपय कालेज और हैं। स्वयं एक ही शहर में इतने विद्यार्थी आसपास के क्षेत्रों को मिला कर हैं कि एक विश्वविद्यालय की तादाद वहां मिल सकती है। तो आधार होते हुये भी और यह स्वीकार करते हुये भी जिन लोगों ने यह मांग पेश की है वह कोई ऐसी बात नहीं है जो बिल्कुल निराधार हो। हमारे लिये कठिनाई यह हो रही है कि हम उसे इस रूप में "कि तुरन्त सरकार आवश्यक कार्यवाही करे" स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

हमारे प्रदेश में ऊंची कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती चली जा रही है। विश्वविद्यालयों में उनकी इतनी संख्या हो रही है कि पठन-पाठन में एक प्रकार का आघात सा पहुंचता है और बार-बार यह कहा जाता है, यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने भी कहा है विश्वविद्यालयों के जो अध्यापक लोग हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जो हैं उनका भी कहना है कि संख्या की वृद्धि जो हो रही है विद्यार्थियों की विश्वविद्यालयों में इससे शिक्षा का स्तर गिरता है, क्योंकि अध्यापक और विद्यार्थी का अनुपात जो होना चाहिये, अध्यापकों को उससे कई गुना ज्यादा छात्रों को देखना पड़ता है और यह बड़ा कारण है कि यूनिवर्सिटी एजूकेशन का भी स्तर गिरता है। तो संख्या बहुत हो रही है और उस संख्या को देखते हुये—मैं कोई सिद्धांततः यूनिवर्सिटियों की संख्या में वृद्धि हो उसका विरोधी नहीं हूं। कोई कारण नहीं है कि अगर हमारे यहां आधार यूनिवर्सिटी स्थापित करने का है और क्षेत्र हमारा विशाल है ही तो प्रदेश की जो यूनिवर्सिटियां हैं उनके अलावा भी अगर कुछ यूनिवर्सिटियां स्थापित हों तो उनसे मूलतः मुझे कोई विरोध नहीं है। प्रश्न प्रायर्टीज का हो जाता है।

कुछ मित्रों ने यह कहा और मैं समझता हूं कि ठीक कहा कि एक विश्वविद्यालय की स्थापना पर अधिक धन का व्यय होता है, यदि आपके पास उतना पैसा हो तो उससे अधिक आवश्यक कामों को प्रायर्टी देनी चाहिये। क्योंकि विश्वविद्यालय तो यों ही ५–६ और कुछ को ले करके ७–८ तक हमारे प्रदेश में पहुंचते हैं। तो पैसा अगर हो तो उन क्षेत्रों में प्रसार करो कि जिनमें प्रसार करना सरकार का प्रमुख कर्त्तव्य है। जैसे प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में पैसे की आवश्यकता है, सेकेंडरी एजूकेशन में भी आवश्यकता है। माध्यमिक शिक्षा की क्या दशा है? अध्यापकों की क्या दशा है? उनके पास साधनों की और सामग्रियों की कितनी कमी है? उसमें अगर सरकार कुछ कर सकती है तो ज्यादा उचित होगा। सैकड़ों ऐसे विद्यालय माध्यमिक क्षेत्र में हैं जिन्हें प्रारंभिक अनुदान भी नहीं दे सके हैं, यद्यपि वे कई साल से चल रहे हैं। फिर डिग्री कालेज हैं, उनमें साधनों की और सामग्रियों की जो कमी है उससे उनका स्तर ऊंचा नहीं हो पाता है। अध्यापकों के भी बहुत से प्रश्न हैं। तो उन कमियों को दूर करो और उस रुपये में, जितना कि एक यूनिवर्सिटी बनाने में लग सकता है, थोड़ा बहुत काम इन दिशाओं में हो सकता है। तो कुछ का यह विचार हो सकता है कि पहले प्रायर्टी फिक्स कर दी जाय और उधर ध्यान दिया जाय।

दूसरी कठिनाई इस बात की भी हो जाती है कि २ विश्वविद्यालयों की स्थापना के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की सरकार इस नयी सरकार के आने के पहले ही—एक प्रकार से वचन-बद्ध चुकी है—वाराणसी का महाविद्यालय और गोरखपुर का विश्वविद्यालय। हमारी तत्कालीन विधान सभा उसे स्वीकार कर चुकी है और उसके लिए विधेयक पारित हो चुका है। वह कार्य आगे चल रहा है। अब दो यूनिवर्सिटियों की स्थापना में ही बहुत सा धन लगने की आशा है। साथ ही मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार हो रहा है। उनसे कोई अश्वासन नहीं मिला है। उनका कहना यह है कि हम यह आदेश दे चुके हैं कि कोई यूनिवर्सिटी किसी भी प्रदेश में बिना हमारी पूर्व सम्मति के स्थापित न की जाय, और अगर की जायगी तो भारत सरकार, यूनिवर्सिटी ग्रांटस कमीशन और प्लानिंग कमीशन उसकी कोई सहायता नहीं करेंगे, तुम्हारी ये यूनिवर्सिटियां कायम हो गयीं तो हमसे तो कुछ पूछा नहीं, हमसे स्वीकृति नहीं ली तो हम पर इसकी जिम्मेदारी नहीं है। यद्यपि उनसे कहा जा रहा है कि उन यूनिवर्सिटियों की स्थापना की बात तो उस समय से चल रही है जबकि प्लानिंग कमीशन और हमारी पहली पंचवर्षीय योजना का कदाचित् सूत्रपात ही हो रहा होगा और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के ये आदेश उस समय नहीं थे। प्रदेश की सरकार और यहां की विधान सभा ने उसी समय कह रखा था कि ये यूनिवर्सिटियां स्थापित होंगी। तो यह तो पुराने उत्तरदायित्व का निर्वाह हम कर रहे हैं, कोई नयी यूनिवर्सिटी हमने कायम नहीं की है। उस सम्बन्ध में अभी तक तो स्वीकृति नहीं मिली है, यद्यपि हमारा आग्रह है और हम आशा करते हैं कि उनकी

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

सहायता हमें मिलेगी। मैं समझता हूं, अगर नहीं मिली तो एक बड़ी भारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर आ जायगी। इस कार्य को हमने शुरू भी कर दिया है।

कोई भी यूनिवर्सिटी स्थापित की जाय तो बड़ी सूझ और बड़े प्रबन्ध की आवश्यकता होती है। मैं अभी तीन दिन इलाहाबाद रह कर आ रहा हूं। मैं यूनिवर्सिटी के आग्रह से गया था, यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने कई बार कहा था कि आपको आना चाहिये। इसलिये मैं वहां गया था और तीन दिन वहां रहा। मैंने वहां रह कर यूनिवर्सिटी की सारी स्थिति को देखा और माननीय सदस्य जिनका शिक्षा से प्रेम है, जिनका इस संस्था से प्रेम है, वह वहां की हालत अच्छी तरह से जानते हैं। उनकी कितनी मांगें हैं? मैंने स्वयं भी देखा है कि उनकी बहुत सी ऐसी मांगे हैं जो उचित हैं। विद्यार्थियों को बैठने के लिये जगह नहीं है, होस्टल के लिये जगह नहीं है, लायब्रेरी के लिये जगह नहीं है, आफिस के लिये जगह नहीं है, यह तमाम चीजें है जिनकी, कमियां हमारी पुरानी यूनिवर्सिटीज में हैं जिनका स्थान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऊंचा है। शिक्षा की तरफ जनता का ध्यान तेजी के साथ बढ़ा है और विद्यार्थियों की संख्या भी बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। और उनको यूनिवर्सिटी की शिक्षा देने से सज्जा, सामग्री, स्थान तथा अन्य साधनों की कमी के कारण हमें बड़ी कठिनाई पड़ रही है।

श्रीमन्, यदि सरकार के पास आर्थिक साधन हों तो हमारे विश्वविद्यालयों में जो कमियां हैं उनको हमें दूर करना चाहिये। हमारे विश्वविद्यालयों में जहां ५, साढ़े ५ हजार विद्यार्थी लिये जाने चाहिये वहां साढ़े ७ हजार विद्यार्थी भर्ती किये जा चुके हैं और हजारों को इन्कार करना पड़ा है। किस प्रकार से वहां विद्यार्थी रहते हैं इसको भी हमने देखा है। इस समय यदि हमारे पास साधन हों तो जितना कदम हमने शिक्षा के क्षेत्र में उठा लिया है उसे पूरा करने की आवश्यकता प्रतीत होती है और फिर इसमें कोई संदेह नहीं है अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो और भारत सरकार तथा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से स्वीकृति मिल सके और खाली स्वीकृति ही नहीं बल्कि आर्थिक सहायता भी मिल सके और वह भी ऐसी जिसे आप माकूल कह सकें तो आपका इन प्रश्नों पर विचार करना ठीक है और यदि यूनिवर्सिटीज में कुछ वृद्धि करना सम्भव हो तो जरूर करना चाहिये। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि सिद्धान्त की दृष्टि से इनको अस्वीकार किया जाता है बल्कि इस सम्बन्ध में कुछ किया नहीं जा सकता। यद्यपि सरकार ऐसी मांगों के प्रति सहानुभूति रखती है परन्तु मौखिक सहानुभूति से काम चलने वाला नहीं होता है। यदि सक्रिय रूप से भार उठाने के लिये तैयार हों तो कोई काम हो सकता है और वह भार उठाने के लिये हम तैयार नहीं हैं।

यह बड़ी खुशी की बात है कि हायर टैक्नालोजिकल इंस्टीट्यूट के वहां स्थापित करने के संबंध में बात हुई थी। पहले कानपुर के इस मसले के लिये इनकार किया गया था कि वहां पर यूनिवर्सिटी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहां हायर टेक्नोलोजी कायम करने के लिये सोचा जा रहा है और वह बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट होगा। ऐसा कहा गया था और.....

श्री अधिष्ठाता--अभी तो आप और समय लेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं, अभी एक मिनट में समाप्त किये देता हूं। यह हायर टैक्नोलोजी का इंस्टीट्यूट उनकी तरफ से स्थापित होने वाला है। जहां तक सिद्धान्तों का प्रश्न है सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। जहां तक व्यवहारिकता का प्रश्न है सरकार उसको कतई अव्यावहारिक नहीं समझती है लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती है। अगर सरकार को इच्छा हो तब भी उसके लिये असम्भव है। ऐसी हालत में मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को वापस कर लें और यह विश्वास रखें कि सरकार की दृष्टि इन बातों की ओर है और यदि कभी सुविधा मिल सकी और सम्भव हो सका तो अपने प्रदेश में शिक्षा के प्रसार में हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। मैं एक बार पुनः प्रार्थना करूंगा कि वह इसको वापस ले लें और सरकार के ऊपर इस बात को छोड़ दें।

श्री मुरलीधर कुरील---मैं इस आश्वासन के साथ अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं कि भविष्य में जब यूनिवर्सिटी खोलने की बात पैदा हो तो कानपुर को प्राथमिकता मिले।

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस लिया गया।)

(इस समय १ बज कर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नेकराम शर्मा के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

कार्यसूची में व्यतिक्रम करके कुमायूं विश्वविद्यालय विधेयक पुरःस्थापित करने के सम्बन्ध में श्री नारायणदत्त तिवारी की प्रार्थना

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मेरा यह प्रस्ताव पुनः होगा कि चूंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी तथा दूसरे दलों के नेता मान चुके थे, आप मुझे अपने प्रस्तावित विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा दे दें और इसके लिये मैं सदन की अनुमति भी आपके द्वारा चाहूंगा और इसका क्रम जैसा है उसी हिसाब से चलता रहेगा।

श्री अधिष्ठाता---इसके लिये आपको सदन की अनुमति प्राप्त करनी होगी। जिन लोगों के प्रस्ताव हैं उनको यदि कोई आपत्ति नहीं है तो हो सकता है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)---यह बात तो हो चुकी थी और केवल एक सज्जन ने अनुमति नहीं दी थी।

श्री अधिष्ठाता---तो मैं उन सज्जन से पूछना चाहता हूं कि यदि वह चाहें तो यह प्रस्ताव लिया जा सकता है। (यह देख कर कि श्री रमेशचन्द्र शर्मा उपस्थित नहीं है) श्री रमेशचन्द्र शर्मा यहां उपस्थित नहीं हैं, जब तक वह न आ जायें इस पर निर्णय नहीं हो सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी---उनसे पुछवा लीजिये।

श्री अधिष्ठाता---जी हां, वह आ जायं तो उनसे पूछ लूंगा।

प्रदेश में भिखमंगों का समुचित प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में संकल्प

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस संकल्प को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करता हूं कि "प्रदेश में बड़ी संख्या में भिखमंगों की दुखित अवस्था को ध्यान में रखते हुए यह सदन सरकार से प्रार्थना करता है कि इस गहन समस्या को सुलझाने के लिये जल्दी से जल्दी एक सर्वे कमेटी स्थापित करें जिसमें सरकारी अधिकारी तथा गैर सरकारी व्यक्ति हों जो इस समस्या के सभी पहलू विशेषतया देश में प्रचलित ऐसी प्रमुख संस्थाओं के संचालन का अध्ययन करके उसके उपचार के उपाय बतायें और उसके आधार पर सरकार अविलम्ब ऐसा कानून बनायें जिसके द्वारा साधारणतया भिक्षा मांगना दण्डनीय अपराध घोषित हो और अनाश्रित तथा अपाहिज भिखारियों के आश्रय का समुचित प्रबन्ध एवं समर्थ भिखारियों को काम में लगाने की उचित व्यवस्था हो"।

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, उस दिन मैं सदन में उपस्थित नहीं था लेकिन मैंने अखबारों में पढ़ा था कि माननीय अध्यक्ष जी ने ऐसा कहा था कि इस सदन की मर्यादा यह मांगती है कि हम इसमें ऐसे शब्द न प्रयोग करें, जैसे "यह सदन सरकार से प्रार्थना करता है", इसलिये उनके सुझाव को आज्ञा मानते हुए मैं आपकी आज्ञा चाहूंगा कि मैं इसमें एक शाब्दिक संशोधन कर सकूं और यह प्रस्ताव उस संशोधन के बाद पढ़ा जाय।

क्या मैं यह समझूं कि मुझे आपकी अनुमति प्राप्त है।

श्री अधिष्ठाता---जी हां।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—मैं इसमें यह संशोधन करना चाहता हूं कि प्रस्ताव की दूसरी पंक्ति में शब्द "सरकार से प्रार्थना करता है" के स्थान पर शब्द "निश्चय करता है" रख दिये जायं और तीसरी पंक्ति में शब्द "सुलझाने के लिये" के बाद शब्द "सरकार" बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—आप यह संशोधन लिख कर भेज दीजिये।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—मैं अभी लिख कर भेज देता हूं। अब मेरा प्रस्ताव इस रूप में हो जायगा :

"प्रदेश में बड़ी संख्या में भिखमंगों की दुखित अवस्था को ध्यान में रखते हुए यह सदन निश्चय करता है कि इस गहन समस्या को सुलझाने के लिये सरकार जल्दी से जल्दी एक सर्वे कमेटी स्थापित करे"...आदि आदि। शेष तो मैंने पहले ही पढ़ दिया है।

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, इस संकल्प को प्रस्तुत करते समय मैं आपके द्वारा माननीय सदन से इस बात के लिये और इस धृष्टता के लिये क्षमा याचना करना चाहता हूं कि मैं इस संकल्प को प्रस्तुत करके कुछ समय के लिये उनका ध्यान, इन गगनचुम्बी अट्टालिकाओं से, इन वैभव सम्पन्न प्रसादों से हटा कर उन गलियों की तरफ ले जाना चाहता हूं जहां मानवता दानवता के रूप धारण किये हुए ठोकरें खाती दिखाई पड़ती है। मैं उनका ध्यान उन वैभवशाली व्यक्तियों से, जिनके हम आये दिन सम्पर्क में आते हैं, जिनके चेहरे पर उत्साह दिखाई देता है, मुस्कान दिखाई देती है, हटाकर उन निराश्रित, अपाहिज और अपंग व्यक्तियों की तरफ ले जाना चाहता हूं जिनके ऊपर प्रकृति का भी प्रकोप है, जिनके ऊपर समाज का भी प्रकोप है, जिनको आश्रय देने वाला इस संसार में कोई नहीं है, जिनके प्रति कदाचित् समाज अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर सका है। जिनके पास न वोट की शक्ति है और न उनके पास कोई और ऐसी शक्ति है जिससे वह अपनी आवाज इस माननीय सदन तक पहुंचा सकें। कदाचित् वह समझ भी नहीं सकते कि हम इस सदन में उनके लिये क्या कर रहे हैं। हम इसके प्रतिफल-स्वरूप उनसे आशा भी नहीं कर सकते हैं। केवल यह सन्तोष मिलता है कि हम अपने कर्त्तव्य का पालन किसी अंश में कर रहे हैं।

श्रीमन्, यदि 'भिखारी' की परिभाषा में वही व्यक्ति होते जिनका मैंने जिक्र किया तो यह समस्या उतनी जटिल नहीं होती। भारतीय परम्परा के कण-कण में उदारता और सहृदयता भरी हुई है। उस उदारता से कदाचित् उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती किन्तु आज दुर्भाग्य से समस्या इतनी जटिल हो गई है कि उन अनाथ, अपंग और निराश्रित व्यक्तियों के साथ बहुत से ऐसे व्यक्ति भी मिल गये हैं जो सशक्त और समर्थ हैं लेकिन उन्होंने भिक्षा को एक व्यवसाय मान रखा है। हमने श्रीमन, देखा कि इंडियन सेन्सस रिपोर्ट जो सबसे नयी हमारे सामने आयी उसमें जहां व्यवसाय की सूची थी उसमें एक भिक्षावृत्ति का भी व्यवसाय है। उन समर्थ और सशक्त व्यक्तियों ने यह अपना व्यवसाय बना रखा है। इस तरह से भिखारियों की संख्या हमारे यहां बहुत बढ़ गई है। यह हमारे लिये कठिनाई का विषय है।

श्रीमन्, यह कठिनाई कुछ और भी बढ़ जाती है, इसलिये कि हमारे देश में कुछ ऐसी धार्मिक भावना और ऐसी धार्मिक आस्था रही है जिससे हमारे समाज की यह आज्ञा रही है कि जो व्यक्ति अपनी एक अवस्था को पहुंच चुका है, उस व्यक्ति को अपनी उस अवस्था में पहुंचकर अपना सब कुछ समाज के लिये अर्पण कर देना चाहिये। वह व्यक्ति समाज सेवा में लग सकता है या भगवान् की भक्ति में लग सकता है। उसके लिये हमारे धर्म-शास्त्रों ने यह आज्ञा दी है कि वह समाज की भिक्षावृत्ति पर अपना निर्वाह कर सकता है और वह भिक्षावृत्ति उसकी तपस्या और तप का अंग मानी जाती है। हम देखते हैं कि हमारे समाज में ऐसे भी व्यक्ति मौजूद हैं जो अपने जीवन में उच्च पदों पर रहे हैं। जज या वकील रहे हैं लेकिन अब वह तपस्या कर रहे हैं।

वे समाज की भिक्षा पर आश्रित रहते हैं यह तीसरी श्रेणी के लोग हैं लेकिन यह तीसरी श्रेणी के लोग बहुत थोड़ी संख्या में हैं। हमारे लिये उनकी कोई समस्या नहीं है। उनको न पब्लिक प्लेसेज में भिक्षावृत्ति करने की आवश्यकता पड़ती है और न वह करते हैं।

लेकिन अगर कोई कठिनाई आकर पड़ती है तो वह यह है कि जो आज्ञा हमारे धर्मशास्त्रों ने दी उसके अनुसार भिक्षावृत्ति का हमारे देश में जो मान बढ़ा उससे वह दूसरी श्रेणी के लोग जो सशक्त और समर्थ हैं वह इस भिक्षा को अपना व्यवसाय बनाना चाहते हैं। तीसरी श्रेणी के लोगों के लिये धर्मशास्त्र ने जो आज्ञा दी है और उसके लिये जो लोगों में धार्मिक भावना है उस भावना को ये दूसरी श्रेणी के लोग एक्सप्लायट करते हैं। इस प्रकार के बेगर्स की समस्या हमारे सामने है।

मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार के किसी विभाग के पास या किसी सामाजिक संस्था के पास हमारे देश के भिखमंगों के आंकड़े भी नहीं हैं। आंकड़े ऐसे होने चाहिये जो बुद्धि की कसौटी पर ठीक जचें। वे हमारे सामने नहीं हैं। १९४१ में एक कमेटी ने आंकड़े प्राप्त करने का प्रयत्न किया था और उस समय हमें बताया गया था कि ६३,५९९ भिक्षुक हमारे प्रदेश में हैं जिनमें से १५,७६२ एबिल-बाडीड हैं, १२,२७४ डिसेबिल्ड-बाडीड हैं, ३,७५० बच्चे हैं जो १० वर्ष से कम के हैं और १,८१३ लेपर्स हैं। १९५१ में यू० पी० आरफनेज एण्ड विडोज होम्स कमेटी ने भी इन्हीं आंकड़ों को दुहराया है यानी १९५२ तक ये आंकड़े हमारे सामने आते रहे। लगभग १९५१ या १९५२ में ही दूसरे आंकड़े प्राप्त किये गये जिनके फलस्वरूप सरकार ने सदन को बताया कि भिखारियों की संख्या ३ लाख से अधिक है। लेकिन मैं बड़े आदरपूर्वक निवेदन करूंगा कि ये आंकड़े बिलकुल गलत हैं। अभी जो मैंने आंकड़े पढ़ कर सुनाये उनमें कुल ६३,५९९ में, १,८१३ लेपर्स हैं, यानी ३ परसेन्ट हैं। मैंने इसी सदन में १९५५ में १९ वें बुधवार को प्रश्न किया था और उसके उत्तर में मन्त्री जी ने बताया था कि हमारे प्रदेश में लेपर्स की संख्या २ और ३ लाख के बीच में है। यदि यह सही है तो उसी अनुपात से भिक्षुकों की संख्या ६३ लाख हो जायगी। मैं यह नहीं सकता कि उनकी संख्या ६३ लाख है लेकिन सरकारी आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं। यदि हम इन्हें आधार मान कर चलें तो कोई हल नहीं निकाल सकते। जिस मर्ज का ही पता नहीं उसकी दवा कैसे हो सकती है ?

यदि मैं यह कहूं कि इस समस्या का हल करने में हमारा प्रदेश सबसे पीछे है और सबसे कम कार्य किया गया है, तो मुझे क्षमा किया जायगा। कभी-कभी छोटी मोटी कोशिशें हुई हैं लेकिन सबसे पहले १९४८ में ५ जुलाई को एजूकेशन विभाग की एक राजाज्ञा के आधार पर एक यू० पी० आर्फनेज एण्ड विडोज होम्स कमेटी बनी थी, जिसके पिछले सदन के कई माननीय मेम्बर थे। पहले तो उसके टर्म्स आफ रेफरेंस में भिक्षुक समस्या का नाम ही नहीं था, लेकिन २७ नवम्बर, १९४८ को फिर उनकी टर्म्स आफ रेफरेंस का विस्तार हुआ और उसमें एक धारा इस प्रकार बढ़ाई गई :

"To make suggestions for dealing with the problem of disabled beggars in municipalities and in particular to consider the suggestions made by the Samaj Sewak Samiti, Allahabad. In this connection the committee will also consider the financial implications of the measures which they may recommend".

इसका अनुवाद यह है कि—नगरपालिकाओं के डिसेबिल्ड भिक्षुकों के सम्बन्ध में अपने सुझाव दें और विशेषतया समाज सेवक समिति, इलाहाबाद, के सुझावों के बारे में और आर्थिक पहलू से भी देख कर सुझाव दें। लेकिन यह होने पर भी उसकी परिधि सीमित थी, उसमें केवल डिसेबिल्ड भिक्षुकों के लिये था। मैंने अभी कहा कि ३ श्रेणियां भिक्षुओं की हैं। तो दो श्रेणी के भिक्षुक उसकी परिधि से बाहर थे। फिर केवल नगरपालिकाओं के ही देखने की बात थी।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

दूसरा प्रयत्न कदाचित् यह हो रहा है कि कबाल शहरों में इस समस्या का सर्वे हो रहा है। यह किस प्रकार हो रहा है, मैं नहीं जानता। लेकिन इसका सारे प्रदेश से संबंध होते हुये केवल कबाल शहरों का ही सर्वे काफी नहीं है, सारे प्रदेश का सर्वे होना चाहिये। उसके बाद आर्थिक स्थिति के अनुसार काम करना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि हमारा पब्लिक एक्सचेकर कोई रबर है कि चाहे जितना रुपया हम खर्च करें, लेकिन इस समस्या को सुलझाना हर क्रान्तिकारी राज्य का कर्त्तव्य है और इससे हमारा सिर नीचा होता है। अगर हम किसी शहर में ड्रेनेज करना चाहें तो केवल एक ही मोहल्ले का सर्वे काफ़ी नहीं है। इससे तो सारा रुपया बेकार जायगा। मैं देखता हूं कि हो यह रहा है कि ऐसा कोई प्रयत्न अभी तक सरकार की ओर से नहीं हुआ है जिससे हर दृष्टिकोण से सारे सूबे की समस्या हल हो सके।

मैंने अभी कहा था कि हमारा सूबा इसमें पीछे है। हम से आज कहा जाता है कि इसका कानून बनाने में दिक्कतें हैं। लेकिन सारे सभ्य संसार में इसके कानून १०० वर्ष पहले बन चुके हैं। जिस समय ईस्ट इंडिया कम्पनी का राज्य था तो अंग्रेजों ने १८७४ में सब से पहले यूरोपियन 'बैगरेंसी ऐक्ट' बनाया, क्योंकि वे यह नहीं बर्दाश्त कर सकते थे कि कोई अंग्रेज किसी के सामने भिक्षा मांगे या हाथ फैलावे। जब वे राजा होकर आये थे तो उन्होंने ऐसा करना आवश्यक समझा था कि ऐसा कानून यूरोपियन्स के लिये बनावें। भिक्षा मांगना उन्होंने दण्डनीय क़रार दिया। हमें जरा यह भी देखना चाहिये कि हमारे पड़ोसी प्रदेश क्या कर रहे हैं। वे इस दिशा में हम से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मैं उन प्रदेशों का नाम लेना चाहता हूं जो आज से बहुत पहले अपने यहां ऐंटी बेंगरी ला पास कर चुके हैं। बंगाल ने बंगाल बैगरेंसी ऐक्ट, १९४३ में पास किया और उन्होंने भिक्षा पर बड़े प्रतिबन्ध लगाये। "मद्रास प्रीवेंशन आफ बैगरी ऐक्ट १९४५", "मैसूर प्रीवेंशन आफ बैगरी ऐक्ट १९४५", "भोपाल प्रवेंशन आफ बैगरी ऐक्ट, १९४६", "हैदराबाद प्रीवेंशन आफ बैगरी ऐक्ट १९४५", "बाम्बे प्रीवेंशन आफ बैगरी ऐक्ट, १९४५", "बिहार प्रीवेंशन आफ बैगरी ऐक्ट, १९५२" पास हो चुके हैं। श्रीमन्, मैं समझ नहीं पाता कि जब यह सारे हमारे पड़ोसी प्रदेश, जिनसे हम उन्नति की दौड़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस दिशा में इतने दिनों पहले ही कदम उठा चुके हैं तो फिर हमारे सामने कौन सी दिक्कत है जो हमें इस दिशा में बढ़ने से आज १९५७ में भी रोकती है। इन प्रदेशों के अतिरिक्त जिनका मैंने नाम लिया, और भी कई प्रदेश ऐसे हैं जिनके यहां पुलिस ऐक्ट में अथवा म्युनिसिपैल्टीज ऐक्ट में बैगरी के खिलाफ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। कलकत्ता पुलिस ऐक्ट में भी बैगरी के खिलाफ बड़े प्रतिबन्ध लगा रखे हैं। पंजाब में म्युनिपल ऐक्ट में सक्रिय प्रतिबन्ध लगा रखे हैं। इस प्रकार किसी न किसी रूप में सारे प्रान्तों में इसके लिये ऐक्ट मौजूद हैं।

श्रीमन्, कहा जा सकता है कि यू० पी० म्युनिसिपल ऐक्ट में भी बैगरी के खिलाफ प्राविजन मौजूद है और वह सन् १९१६ से रक्खा हुआ है। मेरा तो वह जन्म का साल है। आज से ४१ साल पहले एक प्रावीजन रखा गया था। वह म्युनिसिपल ऐक्ट की धारा २४८ (१) है। उसमें यह कहा गया है कि:—

"28 (1) Whoever, in a street or public place within the municipality begs importunately for alms, or exposes or exhibits with the object of exciting charity a deformity or disease or an offenssive sore or wound, shall be liable on conviction to imprisonment which may extend to one month or to a fine which may extend to fifty rupees or to both."

यह १९१६ का प्राविजन है। समझा यह गया और अनुभव ने यह बताया कि यह साबित करना दिक्कत-तलब है कि इम्पारचुनेट बैगिंग वह कर रहा है या नहीं। इसके अतिरिक्त

उनमें बहुत से बहुत गरीब होते हैं; उन पर अगर आपने २० रुपया जुर्माना कर दिया तो उसका मतलब यह है कि वह आपका जुर्माना अदा करने के लिये भी भिक्षा मांगे। पहले तो उसमें केवल जुर्माना ही रखा गया था, लेकिन बाद में उसमें एक अमेंडमेंट हुआ और उसके अनुसार उसमें सजा भी जोड़ दी गयी। लेकिन यह (इम्पार्चुनेटली) शब्द उसमें फिर भी रह गया। इस कारण से यह धारा एक डैडलेटर हो कर रह गयी। अगर आप इसको जानना चाहें कि यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट की इस धारा के अन्तर्गत कितने लोगों पर ऐक्शन लिया गया तो उनकी संख्या उंगलियों पर गिनने लायक होगी।

दूसरी इसमें एक बहुत बड़ी कमी यह भी है कि आज तो उसमें यह है कि आप जेलखाने भेज सकते हैं लेकिन उसमें उन आदमियों का कोई उपचार नहीं किया गया है, जो अशक्त हैं, अनाथ हैं, जिनको संसार में कोई आश्रय देने वाला नहीं है, जिसके ऊपर प्रकृति का प्रकोप हुआ है। वर्तमान अवस्था के लिये वह दोषी नहीं हैं। उनके प्रति समाज का कर्तव्य है। जिस प्रकार घर में एक आदमी पैदा करता है या दो आदमी पैदा करते हैं लेकिन उनमें जो बीमार या बूढ़े होते हैं तो क्या वह पैदा करने वाला उस बीमार या बूढ़े की अवहेलना कर सकता है? क्या आप उसको खाना नहीं देंगे? क्या आप उसको घर से निकाल देंगे? वह व्यक्ति जो दौलत पैदा करता है और पैदा करने की क्षमता रखता है उसका धार्मिक और नैतिक कर्तव्य है आज उस व्यक्ति के लिये जो अपनी इच्छा से नहीं। लेकिन दैव के प्रकोप से उस दिशा को प्राप्त हुआ है, अपने आपको आश्रय देने की शक्ति नहीं है, उनके लिये ऐसे साधन उपलब्ध करें जिसमें वह सुविधा के साथ नहीं तो अपने जीवन को तो पूरा कर सकें।

श्रीमन्, जब जब ऐसे बिल आते हैं, ऐसे प्रस्ताव आते हैं, तब तब यह कहा जाता है कि हमारे देश का बड़ा भारी चैरिटेबिल डिसपोजीशन है। अच्छा होता पब्लिक के दान से यह सब किया जाता। श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं यह कहूंगा कि अगर बेगिंग गलत है तो बेगर्स के लिये आर्म्स देना भी गलत है। अब पुरानी बातों को बदलने का समय आ गया है। एक समय था जब कहा जाता था कि चैरिटी जो देता है उसका भी कल्याण होता है, जिसको दी जाती है उसका भी कल्याण होता है लेकिन श्रीमन्, आज वह मैक्जिम पुराना हो गया है। चैरिटी देने वाले और लेने वाले दोनों का डिमोरेलाइजेशन हो गया है। इसलिये हम चैरिटी को इन संस्थाओं पर न छोड़ें बल्कि इसके लिये समाज को जिम्मेदार कर दें और उसके लिये टैक्सेशन करके आप उस जिम्मेदारी को पूरा करें।

मेरा सक्रिय सुझाव यह है कि म्युनिसिपल ऐक्ट में तरमीम करके इसकी शुरुआत की जाय। म्युनिसिपल ऐक्ट की धारा ७ में उनकी मैंडेटरी ड्यूटीज का उल्लेख है, और धारा १४ में डिस्क्रिशनरी ड्यूटीज का उल्लेख है। जहां मैंडेटरी ड्यूटीज का उल्लेख है उसमें दिया हुआ है कि वे अपने क्षेत्र में पुअर हाउसेज और डेस्टिटयूट हाउसेज खोलें, जिसमें जो अशक्त और असमर्थ व्यक्ति हैं उनका संरक्षण हो सके। श्रीमन्, दो तीन बातें कह कर ही मैं अपने भाषण को समाप्त कर दूंगा, इसलिये मेरी प्रार्थना है कि दो तीन मिनट का समय और देने की अनुकम्पा करें।

श्री अधिष्ठाता—आपके दो तीन मिनट बाकी हैं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि आप म्युनिसिपल ऐक्ट में संशोधन करके हर म्युनिसिपैलिटी के लिये यह लाजिम कर दें कि वे अपने यहां ऐसे पुअर हाउस खोलें और वे अपनी जिम्मेदारी को समझ कर उन अशक्त और अपंग व्यक्तियों को संरक्षण दें।

अब सवाल यह पैदा हो सकता है कि म्युनिसिपैलिटीज यह कह सकती हैं कि हमारे ऊपर इसका भार पड़ेगा इसलिये हम कैसे इस काम को करें? तो उसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनको जो टैक्स करने की पावर सेक्शन १४८ में दी हुई है, उसमें उनको "टैक्स फार दि पुअर हाउसेज"—इसकी इजाजत दे दें और यह प्रतिबन्ध लगा दें कि उस सेक्शन के द्वारा

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

जो रुपया वसूल होगा, उस टैक्स की आखिरी पाई केवल इसी कार्य के लिये खर्च की जायगी। यदि हम यह कार्य कर लें तो इसका परिणाम यह होगा कि हमारी म्युनिसिपैलिटियां इस समस्या को हल कर सकेंगी।

दूसरी बात श्रीमन्, मुझे यह कहनी है कि कुछ लोगों का यह कहना है कि कानून के द्वारा यह समस्या हल नहीं हो सकती है। श्रीमन्, जो अशक्त और असमर्थ लोग हैं, केवल उन्हीं को नहीं, बल्कि हर एक के अन्दर जो भिक्षा प्राप्त करने की वृत्ति है उसे रोकने की जरूरत है। यदि हम इस प्रवृत्ति को खत्म कर दें तो यह समस्या बहुत सरल हो जाय। मैं इतना और निवेदन करना चाहता हूं और मेरा विश्वास है कि इसमें गरीबी और बेकारी के एक्सटेंशन की कोई बात नहीं है। गरीब बेगर हो सकते हैं और बेगर गरीब हो सकते हैं। हर बेगर गरीब नहीं है और हर गरीब बेगर नहीं है। इस बात को समझ कर हम इस समस्या का हल ढूंढ़ने की कोशिश करें तो उचित होगा। पुअर हाउसेज बनाना बहुत जरूरी है इससे गरीबों की समस्या बहुत कुछ हल हो जायगी। इसलिये मैंने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उस पर मेरी केवल इतनी मांग है, चूंकि अभी भिक्षा मांगना दण्डनीय नहीं है इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से इस बात की भिक्षा मांगता हूं और मेरी उनसे केवल यह प्रार्थना है कि इन सारी समस्याओं के उपचार के लिये क्या उपाय हो सकता है उस पर विचार कर लेने की कृपा करें। उनको सामूहिक रूप से, सारे प्रदेश के दृष्टिकोण से देखने की कृपा करें। इसमें न कोई ज्यादा रुपया व्यय हो जायगा और न कोई बड़े सिद्धान्त का ही प्रश्न है। इसलिये मेरी इस छोटी सी प्रार्थना को भी वे स्वीकार न करें तो मैं यही कहूंगा कि मुझे बड़ा विस्मय होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी यह प्रार्थना उनको हृदय से स्वीकार होगी।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपने संशोधन को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं—

संकल्प की पंक्ति ६ में शब्द "करके" तथा शब्द "उस के" के बीच में शब्द "जो अपंग, अपाहिज अथवा अनाश्रितों के सम्बन्ध में कार्य कर रही हैं" रख दिये जायं।

संकल्प की पंक्ति ७ के शब्द "सरकार" से लेकर पंक्ति ८ के शब्द "और" तक निकाल दिये जायं।

मैं आपकी आज्ञा से संशोधित प्रस्ताव जिस रूप में होगा वह पढ़ कर सुना देना चाहता हूं—

"प्रदेश में बड़ी संख्या में भिखमंगों की दुखित अवस्था को ध्यान में रखते हुए यह सदन निश्चय करता है कि इस गहन समस्या को सुलझाने के लिये सरकार जल्दी से जल्दी एक सर्वे कमेटी स्थापित करे जिसमें सरकारी अधिकारी तथा गैर-सरकारी व्यक्ति हों जो इस समस्या के सभी पहलू विशेषतया देश में प्रचलित ऐसी प्रमुख संस्थाओं के संचालन का अध्ययन करके जो अपंग, अपाहिज अथवा अनाश्रितों के सम्बन्ध में कार्य कर रही हैं उसके उपचार के उपाय बताये और उसके आधार पर अनाश्रित तथा अपाहिज भिखारियों के आश्रय का समुचित प्रबन्ध एवं समर्थ भिखारियों को काम में लगाने की उचित व्यवस्था हो।"

मेरे पहले संशोधन की मंशा यह है कि प्रस्तावक महोदय के प्रस्ताव में जो कमी या लैकुना रह गया है वह न रहे, उसी की पूर्ति के लिये मैं यह प्रथम संशोधन लाया हूं, यह कार्य-संचालन का पूरा अध्ययन करके स्पष्ट कर दिया गया है।

जो दूसरा संशोधन मेरा है वह विशेष महत्व का है, उसमें संशोधन करके वह शब्द हटा दिये गये हैं जिनके द्वारा निराश्रितों और भिखमंगों को भिक्षा मांगने पर दण्डनीय घोषित करने की बात कही गई है। मैंने प्रस्तावक महोदय की मंशा को बड़े ध्यान से सुना और जैसा कि मैं विश्वास करता हूं और मानता हूं कि वह एक दयालु सज्जन हैं और सदन के बहुत ही सहृदय सदस्य हैं और उन्होंने उस रूप में अपने प्रस्ताव को रख कर सदन की स्वीकृति चाही है, लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैंने अपना संशोधन इसलिये रखा है कि सब बातों का समर्थन करते हुये मुझे एक शंका पैदा हुई कि यह समस्या तो बहुत गम्भीर है लेकिन उसका निराकरण कैसे इस कानून के द्वारा हो सकेगा। देश तो निर्धन है ही, वह तो इतनी निर्धनता के गर्त में गिरा है कि भिखारी सरीखा बन गया है। इस देश में इस तरह के कानून केवल सुधार के लिये आने चाहिये, उसको गैर कानूनी बना कर और दण्ड की व्यवस्था करके यह समस्या हल नहीं होगी, यह तो उनका उपहास करना होगा। मैं उनका मन्तव्य तो समझता हूं कि वह इस समस्या को हल करना चाहते हैं और अपाहिजों, निराश्रितों को सहायता देना चाहते हैं, इसलिए उनको आप दंडनीय करके आंखों से ओझल करने का प्रयत्न न करें। मैं उन्हीं के आंकड़ों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कराऊंगा। बताया गया है कि ६,३३,०९९ भिखारी किसी गणना में आ चुके हैं और उनके अतिरिक्त यहां ३ लाख लीपर्स भी बताये जाते हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में जो भिखारी और लीपर्स हैं उनको हम दंडनीय बनाकर कहां छिपा कर ले जायंगे ? उनकी समस्या एक वास्तविक समस्या है, उसको हम किसी तरह भी टाल नहीं सकते।

मैं मानता हूं कि उनको दण्ड देने के सम्बन्ध में अनेक प्रान्तों में कानून बने हैं, मैं मानता हूं कि सन् ४२ का कानून है, मैं यह भी मानता हूं कि म्युनिसिपैलिटीज के कानून में ऐसी धारायें हैं कि जिनमें भीख मांगना दण्डनीय है, लेकिन मैं इस पक्ष के समर्थकों से पूछना चाहता हूं कि क्या यह चीज व्यावहारिक है और कभी हो सकी है। यह निराश्रित, अपाहिज, भिखमंगे ऐसे नहीं हैं कि जिनको कानून के द्वारा मनाया जा सके। इसका कानून स्वयं अपंग है। इन चीजों का सुधार करने के पहले उसका निराकरण भी सोचना चाहिये। यदि उनको आश्रय देने की सामर्थ्य किसी प्रादेशिक सरकार में नहीं है तो वह उनको दण्डनीय बना कर नहीं रोक सकती। मैं प्रान्त की स्थिति और अवस्था का ध्यान दिलाते हुये कहूंगा कि हमारे प्रान्त में भी एक समाज कल्याण का विभाग स्थापित है।

श्री अधिष्ठाता—"प्रान्त" नहीं है "प्रदेश" है, अब।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं "प्रांत" का उल्था "स्टेट" से कर जाया करता हूं ?

मेरे प्रदेश में भी एक समाज कल्याण विभाग कायम है। जहां तक मुझे स्मरण है, उस विभाग की ओर से केंद्रीय सरकार से एक अच्छा अंश सहायता रूप में मांगा गया था। वह शायद चन्द करोड़ था। लेकिन केंद्रीय सरकार ने कुछ लाख ही देकर उस बात को स्वीकार नहीं किया कि इस प्रदेश की आवश्यकता इतनी गम्भीर है। मैं नहीं कह सकता कि हमारी प्रदेशीय सरकार ने अपने समझाने में कोई कमी रखी जिसके कारण वह प्राप्त नहीं कर सकती या केंद्रीय सरकार ने आवश्यकता नहीं समझी। किन्तु यह मानी हुई बात है कि अपने प्रदेश में यह समस्या प्रमुख है।

हम अपने प्रदेश के मुख्य मुख्य नगरों की तरफ आप का ध्यान आकर्षित करेंगे। अपने ही नगर कानपुर के साथ ही साथ उन तीर्थ स्थानों की बात कहूंगा जहां यह भिखमंगों की समस्या एक गम्भीर रूप से में उपस्थित रहा करती है। यह भिखमंगों या अपंग या अपाहिज, निराश्रित, लंगड़े लूले में समझता हूं कि यह पर्यायवाची शब्द हैं। यद्यपि मेरे इस सारे कथन के साथ कुछ सज्जन इस संदेह में हो जायेंगे कि मैं इन शब्दों को कह कर सपुष्ट शरीर और समाज को धोखा देने वाले लोगों का समर्थन कर रहा हूं, परन्तु ऐसी बात नहीं है। यह तो कोई भी एक समझदार व्यक्ति इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा कि जो शरीर से पुष्ट हैं, जो मस्तिष्क से पुष्ट हैं, उन्हें किसी प्रकार से बिना परिश्रम किये समाज के ऊपर भार-स्वरूप जिन्दा रहने देने के लिये, दान-स्वरूप समाज का एक भाग बनाया जाय, यह कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। किन्तु मैं ऐसी कुछ थोड़ी सी बातों के धोखे में इस प्रदेश की समस्या को भुला नहीं सकता हूं जो हमारी निगाहों के सामने गली गली में दिखायी पड़ती है। मैं तीर्थ स्थानों की बात आपके सामने रखता हूं, विशेष रूप से काशी जी में, या मथुरा वृन्दावन आदि में हजारों, कई हजार या लाख की तादाद में विधवा

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

स्त्रियां, बूढ़ी मातायें दिखायी पड़ती हैं। उनकी समस्या आपके सामने है। आज उनकी समस्या को हल करने के लिये आप यह देख कर डर जायं कि इसमें तो लाखों रुपये का खर्च है, उसको हम न कर सकेंगे, इसलिये आंख बन्द कर लें, चाहे हम उसे गम्भीर कह कर यों ही टालने की बात कह दें, लेकिन समस्या हमारे सामने हैं।

मैं आपका ध्यान काशी जी की विश्वनाथ गली की ओर आकर्षित करूंगा। क्या वह हजारों बूढ़ी स्त्रियां जिनके शरीर में केवल अस्थि पंजर है, जिनका इस समाज में कोई आश्रय नहीं है---अगर होता तो मैं देख पाता---न उनके लिये समाज के अन्दर आश्रय है और न सरकार द्वारा ही आश्रय है, उनका आधार केवल मात्र भिक्षा है। इन बूढ़ी स्त्रियों के साथ साथ उन बूढ़े पुरुषों की भी स्थिति मैंने देखी है। इसी प्रकार मैंने अनेक तीर्थ स्थानों में देखा है। कानपुर एक औद्योगिक शहर है। उसमें भी मैंने देखा है। यह समस्या कठिन समस्या है। इस समस्या को दंडनीय बना कर, इसको आप यों टाल कर, आंखों से ओझल कर देना चाहेंगे तो कभी भी इसको हल नहीं कर पायेंगे। मैं समझता था कि समाज कल्याण विभाग बन कर शायद अपना ध्यान इस ओर आकर्षित करेगा, किन्तु मैंने देखा कि उसका भी ध्यान सब विभागों की तरह बट गया। जैसे अन्य विभाग हैं वैसा ही रवैया इस विभाग का भी हो गया। थोड़ी सी इमारतें बनाकर, पुअर हाउस या, आश्रयगृह बना कर इन इमारतों में रुपया खर्च किया जा रहा है। डाइरेक्टर और सुपरिंटेंडेंट आफिस बन रहे हैं और इस प्रकार उनके संचालन में सारा रुपया खर्च हो रहा है। पिछले प्रश्नों में मैंने पूछा था कि कानपुर में क्या कोई अपाहिजों का आश्रयगृह बन रहा है। मुझे जवाब दिया गया, नहीं। लेकिन ठीक पहले आश्वासन दिया गया था कि इसके लिये कुछ व्यवस्था कानपुर में की जा रही है। यद्यपि यह बात कही जा सकती है कि यह सारा कार्य समाज के हाथ में होना चाहिये, इसका सारा भार समाज अपने ऊपर ले ले, लेकिन इतना कह कर क्या सरकार अपने कार्य से बरी हो सकती है? मैं मानता हूं कि समाज के हाथ में बहुत कुछ होना चाहिये, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जितने भी धनीमानी हैं, जितने भी समाज के कार्य करने वाले हैं, जितने भी सामाजिक जीवन के समर्थक हैं उनका यह कर्त्तव्य है कि इस समस्या को हल करने में लगें, किन्तु हो क्या रहा है? देश में बड़ी-बड़ी संस्थायें कायम हैं, बड़े-बड़े व्यापारी हैं, किन्तु वे भी अपने व्यापार को अपने बड़प्पन को पूरा करने के लिये संस्थायें भी कायम किये हैं, नाम भी कमाये हैं। लेकिन यह सब होते हुये क्या यह समस्या हल हो पायी है? क्या हमने देखा कि वास्तविक और अपाहिज तथा पंगु लोगों को कोई मुट्ठी भर चना देने को तैयार है? मैंने बड़े-बड़े भंडार देखे हैं, बड़े-बड़े अपाहिज देखे हैं, लेकिन वहां भी चन्द लोगों को ही अन्न मिलता है। तो जब यह समाज हमारा इस प्रकार ने उनकी अवहेलना करता है, जब हमारे स्वभाव में ऐसा आ चुका है कि हमारे पास कुछ पैसे व्यय से अधिक हैं और किसी अपाहिज को दे देने में कोई हानि होने वाली नहीं है तो भी स्वभाव से अपना मुख घुमा लेते हैं और 'हट बे बगल से' ऐसे उसको गाली देकर आगे बढ़ जाते हैं, अपनी मोटर बढ़ा लेते हैं। जब एक प्राणी दूसरे प्राणी से, जिसमें परमात्मा का वही अंश है जो दूसरे में है, वही आत्मा है, इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो क्या हम उस समाज से आशा करें कि वह इस समस्या को हल कर ले जायगा? सरकार अगर चाहे तो समाज को मजबूर भी कर सकती है, लेकिन सरकार ही इस प्रकार का व्यवहार करके अपने को कड़ वा क्यों बनाये? सरकार भी तो समाज के साथ-साथ बहना चाहती है, वह भी तो उन्हीं लोगों को खुश करके कायम रहना चाहती है जिनके बल पर वह कायम है। इन सब बातों को देखते हुये हमें नहीं दिखाई देता कि इसको दंडनीय बना दिया जाय और उसकी जड़ में न जायं और देखें कि आया यह इतने अपंगु क्यों हैं? इतने ज्यादा निकम्मे क्यों हैं?.....

श्री अधिष्ठाता---अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---श्रीमन्, मैं हरद्वार शहर का रहने वाला हूं। जिस प्रकार के भिक्षुओं का जिक्र माननीय जगदीश शरण अग्रवाल जी ने किया है वे सब प्रकार के भिक्षुक भी वहां पाये जाते हैं। अपंगु भी हैं, मोटे मुस्टंडे भिखारी भी हैं, साधू भी हैं, सन्यासी भी हैं। और इसलिये उस समस्या पर कुछ कहने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि "भिक्षा" जो एक प्राचीन शब्द है "भिक्षुक" में और "भिखारी" में बहुत फर्क है।

प्राचीन साहित्य में यह आता है कि जब बचपन में विद्यार्थी गुरुकुल में दाखिल होता था तो वहां फीस नहीं ली जाती थी, न खाने पीने की और न पढ़ाई की, और वह हर घर में जाता था और कहता था "भवतु भिक्षां देहि" और घर की पत्नी उसको सत्कार के साथ जो कुछ बनता था देती थी। वह अपने गुरुओं को खिलाता था, अपने आप भी खाता था। इसी परम्परा में साधुओं और सन्यासियों की भी उत्पत्ति हुई और इसीलिये उस परम्परा का जिसका विकृत रूप देखते हैं, हम कैसा भी क्यों न समझें, लेकिन उसका आदर ऊंचा था और विचार ऊंचा था और मेरा खयाल यह है कि दुनिया में जितने धर्म फैले हैं, उनके बनाने वाले और उनका प्रसार करने वाले उसी भिक्षुक के रूप में आते हैं जोकि हमारे साधुओं और सन्यासियों में भी पाया जाता है। इसलिये चाहे उस समस्या पर किसी रूप में विचार करें लेकिन हमें यह मानना होगा कि साधु और सन्यासियों का जो वर्ग है वह उस वर्ग से अलग है जो हमारी समस्या का प्रतिरूप है। मेरा विचार है कि अपंगु जो हैं उनकी तो जरूर हम सहायता करें, यह बात तो समझ में आती है। लेकिन जो तगड़े हैं और अनपढ़ हैं और इस वक्त साधू और सन्यासी के रूप में या दूसरे रूप में हमारे यहां से दानवृत्ति पाते हैं उन पर कोई प्रतिबन्ध होना चाहिये। लेकिन उस प्रतिबन्ध में कुछ ऐसा जरूर होना चाहिये कि जो यथार्थ में आदर्श साधु हैं उन पर यह प्रतिबन्ध न लग जाय।

मैंने हरिद्वार में अपने समाज कल्याण विभाग की ओर से एक परीक्षण होते हुये भी देखा है। समाज कल्याण विभाग ने एक भिक्षुक कर्मशाला खोली है। मैं यह समझता था और शायद उसका आदर्श यह था कि अपंग लोग जो कि कोई काम नहीं कर सकते हैं, उनको वहां आश्रय मिलेगा। लेकिन उस भिक्षुक कर्मशाला में २६ भिक्षुक हैं। वह खूब तन्दुरुस्त हैं, अच्छे हैं और वह अगर काम करना चाहें तो अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। एक दिन म्युनिसिपैलिटी के कुछ अमलों ने हर की पैड़ी पर चढ़ाई की और उनको पकड़कर के भिक्षुक कर्मशाला में दाखिल कर लिया। उस भिक्षुक कर्मशाला का मैं थोड़े में वर्णन करूं तो आप अचरज करेंगे। २६ भिक्षुओं पर एक सुपरवाइजर है, तीन अध्यापक हैं, एक स्टोर कीपर है, एक एकाउन्टेंट और एक क्लर्क है। यानी १ हजार या ११ सौ रुपया का मासिक उस पर खर्च है। २६ भिक्षुक हैं और तीन जो अध्यापक हैं, मैं नहीं कह सकता कि अगस्त और सितम्बर का क्या हाल है लेकिन उससे पहले उन ३ अध्यापकों में से २ की नियुक्ति इसलिये हुई थी कि वह उनको सीने का काम सिखायेंगे। लेकिन मशीनें नहीं थीं। वह फरवरी में खुला था और आज सितम्बर का महीना है, छः महीने से अधिक हो गया है। इतना बड़ा स्थान है, वह केवल २६ भिक्षुकों के लिये, जो अगर न दाखिल किये जाते तो भिक्षा मांगकर गुजारा कर सकते थे। मैंने सुना है और माननीय मंत्री जी ने कहा भी था कि अब हम उसका रूप बदल रहे हैं और उसमें अपंग लोगों को दाखिल करेंगे। तो मैं यह समझता हूं कि माननीय जगदीश शरण जी के प्रस्ताव पर गम्भीरता-पूर्वक विचार होना चाहिये लेकिन उसके साथ यह भी सोचा जाना चाहिये कि उसमें भिक्षुक किस रूप का होगा, कौन होगा, उसके लिये क्या हम प्रबन्ध करेंगे और उस समस्या का हल किस तरीके से निकाला जायगा। अगर वही रूप निकाला जाना है जो कि हरिद्वार में है तो मेरी राय में सरकार को यह काम नहीं करना चाहिये। वह अच्छा व्यय नहीं है। वह अपव्यय है और उस अपव्यय से हमारे इस प्रदेश की सरकार को, जो कि पहिले ही कहती है कि हमारे यहां रुपये की कमी है, बचना चाहिये।

[श्री दीनदयालु शास्त्री]

तो फिर क्या करना चाहिये, यह भी प्रश्न उठता है। मेरा अपना खयाल यह है कि जो अपंग है और जो कि कुछ काम नहीं कर सकता है उसके लिये जरूर प्रबन्ध होना चाहिये। लेकिन उनकी संख्या भी इतनी अधिक है कि सरकार यह चाहे भी तो वह एकदम उनका प्रबन्ध नहीं कर सकती है और इसलिये उसको थोड़े-थोड़े रूप में उसे करना चाहिये। हरिद्वार से लेकर बद्रीनारायण तक और हरिद्वार से गंगोत्री तक कई सौ कुष्टी मिलते हैं, कई सौ लंगड़े लूले भिखारी मिलते हैं, अगर उनका प्रबन्ध सरकार करने लगे तो उसको लाखों रुपये की दरकार होगी और इसी तरह से दूसरे तीर्थस्थानों में भी इस समस्या को उसी रूप में हल करना है। तो रुपये की बड़ी आवश्यकता हो सकती है और इसलिये समाज कल्याण विभाग के लिये एक बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है कि जहां वह और प्रवृत्तियों की ओर ध्यान देता है वहां इस प्रवृत्ति की ओर भी ध्यान दे। तो हमारी सरकार की काफी बड़ी रकम इस प्रवृत्ति में खर्च होनी चाहिये।

रह जाता है प्रश्न उनका कि जो तन्दुरुस्त हैं लेकिन भिखारी हैं। मेरा अपना खयाल यह है कि केवल कानून बना देने भर से कि भिक्षा बन्द कर दी जाय, इस समस्या का हल नहीं हो सकता है। हमारे प्रदेश में बेकारी दिन ब दिन बढ़ रही है और जब तक बेकारी बढ़ती है, जब तक उस समस्या का हल नहीं निकलता है तब तक पंजाब की एक कहावत चरितार्थ होती है जब "भादो का महीना शुरू होता है तो जाट हल छोड़ कर साधू बन जाता है।" तो इसका अर्थ यही है कि हमारे देश में वह तबका जो भिक्षुक शब्द से पुकारा जाता है उसकी निरन्तर वृद्धि होती जाती है। जानकार लोगों का कहना है कि सन् २१ में जितने भिखारी नाम के साधू, सन्त और अन्य महानुभाव थे उनकी संख्या सन् ५७ में उनसे ड्योढ़ी है। हमारे देश में बेकारी बहुत अधिक है और जब तक कोई हल नहीं निकलता तब तक समाजवाद चाहे कितना ही प्रयत्न करे, हमारी प्रादेशिक सरकार कितनी ही नेकनियती से काम क्यों न करे, हम उसे दूर नहीं कर सकते हैं। इसलिये समस्या का रूप यही रह जाता है जिसकी ओर जगदीश शरण जी ने ध्यान दिलाया है कि ऐसी कमेटी बननी चाहिये जो इस सीमित समस्या पर विचार करे और इसका निराकरण करने के लिये कोई न कोई निश्चित उपाय निकाल सके।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आज भिखारियों के संबंध में जो प्रस्ताव माननीय जगदीशशरण जी ने रक्खा है और उसमें माननीय अवस्थी जी ने जो संशोधन रक्खा है उन दोनो को मिलाकर देखने पर इस संशोधित रूप से जो प्रस्ताव बनता है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

भिखारियों की समस्या हमारे मुल्क में एक अहम समस्या है। हमारे ही मुल्क में नहीं, बल्कि किसी भी मुल्क में जहां पर कोई सरकार यह दावा करती हो कि वह सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी कायम करेगी, वहां पर भिखारियों का मौजूद रहना इस बात को जाहिर करता है कि सोशलिस्ट पैटर्न की तरफ या तो उस सरकार ने कदम नहीं बढ़ाये हैं या उसकी प्रगति इतनी धीमी है कि उसको नहीं के बराबर कहा जायगा। इस दृष्टि से देखने पर, खास कर जगदीशशरण जी जब ट्रेजरी बेंचेज के सदस्य हैं, हमें यह प्रतीत होता है कि ट्रेजरी बेंचेज के लोग प्रगति की ओर जाना चाहते हैं और अगर यह प्रस्ताव सरकार ने स्वीकार कर लिया और इस सदन से पास हो कर किसी भी मानी में लागू करने की बात सोच ली गई तो हम जगदीश शरण जी के ही नहीं बल्कि सारी ट्रेजरी बेंचेज को बधाई देंगे। लेकिन मैंने जैसा कि कल भी कहा था और आज भी कहता हूं कि पहले तो बधाई दी जाती है और अन्त में जाकर प्रस्ताव वापस हो जाता है। अगर इस प्रस्ताव का भी यही अन्त होने वाला है तब तो कुछ भी कहने में हिचक मालूम होती है, लेकिन प्रस्ताव में जिन बातों का जिक्र किया गया है, प्रस्ताव रखने वाले की जो नीयत है वह बहुत उच्च मालूम होती है, इसलिये प्रस्ताव पर हर दृष्टि से विचार तो कर ही लेना चाहिये।

भिखारियों की समस्या हमारे मुल्क में आज से नहीं अनादि काल से चली आ रही है और हर मजहब और हर प्रकार की सामाजिक प्रणाली जो संसार में इस वक्त कार्य कर रही है, या जो प्रचलित है उसमें भिखारियों के लिये भी एक व्यवस्था किसी न किसी शक्ल में की गई है।

हम जब हिन्दू धर्म की तरफ देखते हैं, हम जब मुसलमानों की तरफ देखते हैं, हम जब ईसाइयों की तरफ देखते हैं तो हमें यह व्यवस्था मिलती है कि जो लोग कमाते हैं समाज के जो अर्निंग मेम्बर्स हैं , वह अपनी कमायी का उचित अंश निकाल कर धर्मादा खाते में रखें। उस समय चूंकि सरकार इस योग्य नहीं थी कि वह कुल समाज की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लें और बेकारी की समस्या का हल निकालें और उसको सम्पूर्णरूप से हल कर डालें, इसलिये समाज की व्यवस्था के जो संचालक थे, उन्होंने यह सारे समाज के लोगों की जिम्मेदारी कर रखी थी और इससे बहुत हद तक समस्या का कुछ समाधान भी होता था। लेकिन ज्यों ज्यों समय बीतता गया, हम यह देखते जा रहे हैं, जैसा कि सबने महसूस किया है, कि आज की जो हमारी सामाजिक, आर्थिक और हर प्रकार की शक्ति है उसका केन्द्रीयकरण सरकार के हाथ में हो गया है, इसलिये बेकारों की समस्या आज केवल समाज के भरोसे छोड़कर हम नहीं हल कर सकते। इसलिये जो माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा है इसकी आवश्यकता और भी अधिक तीव्र मालूम पड़ती है।

लेकिन जो अवस्थी जी का संशोधन है उसके औचित्य को स्वीकार करने का कारण क्या हो सकता है? माननीय सदस्य का मूल प्रस्ताव यह कहता है कि भिक्षावृत्ति को अपराध घोषित किया जाय। इसके माने यह हैं कि जो आदमी भिक्षा मांगता पाया जायगा उसको पकड़कर हम जेल में बन्द कर देंगे, यानी हम जबरदस्ती, राज्य की शक्ति के बल पर, भिखारियों को भिक्षा नहीं मांगने देंगे।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—साधारणतया।

श्री मदन पांडेय—साधारणतया या विशेषतया, मंशा यही है। मैं इस बारे में यह जरूर कहूंगा कि माननीय अवस्थी जी का जो संशोधन है वह इस दृष्टि से उचित मालूम पड़ता है कि जब तक स्टेट या राज्य सारे भिखारियों की जिम्मेदारी अपने ऊपर न ले ले तब तक उसको भिक्षावृत्ति को बलपूर्वक रोकने का अधिकार नहीं है। हां, नैतिक रूप से उसको यह व्यवस्था करनी चाहिये कि अधिक से अधिक भिखारियों के गृह स्थापित करें, उनमें उनको ले जाने की व्यवस्था करे।

भिखारियों में जब आप कहीं भी जाते हैं तो दो तरह के भिखारी इस वक्त दिखायी पड़ते हैं। एक तो छुआछूत के रोगी, जिनमें ज्यादा तर कोढ़ी होते हैं और दूसरे हृष्ट-पुष्ट भी होते हैं। कुछ किसी दूसरे प्रकार के रोगों से पीड़ित होते हैं। बाकी कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिये अगर खाने-पीने की व्यवस्था की जाय तो कुछ काम भी लिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में जहां तक थियरिटिकल साल्यूशन का सवाल है, स्टेट गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, उनमें में कुष्ठ आश्रम की स्थापना भी हो रही है और जहां तक उस तरह के दूसरे श्रेणी के भिखारियों को ऐकमोडेट करने का सवाल है, उनको भर्ती करने का सवाल है, तो उसका भी नमूना हरिद्वार में मौजूद है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आपके दिमाग में यह भावना है तो जरूर, लेकिन पता नहीं कौन सी मजबूरी है आपके सामने, जिससे आपको उसको व्यापक रूप से खत्म करने की योजना नहीं बना रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमें तो यह करना चाहिये कि कुष्ठ आश्रम और छुआछूत रोग के जो अस्पताल हैं उन्हें कुछ और विस्तृत करें, उनमें छुआछूत के रोगी ले जाये जायं और जो हृष्ट-पुष्ट और दूसरे प्रकार के भिखारी हैं, उनमें से जितने काम करने के लायक हों, उनसे काम कराया जाय।

इस सम्बन्ध में फंड्स का सवाल हर गवर्नमेंट के सामने होता है और वह इस गवर्नमेंट के सामने भी आवेगा और मेरा ख्याल यह है कि जब कोई माननीय सदस्य सरकारी

[श्री मदन पांडेय]

मत का समर्थन करने के लिये खड़े होंगे तो यह दलील जरूर दी जायगी, इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा कि यह ऐसा जरूरी मसला हमारे मुल्क के सामने है कि जिसका हल होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हम मुल्क की बेकारी की समस्या को हल कर दें, हम अपने मुल्क से भिक्षावृत्ति को सम्पूर्ण नष्ट कर दें या मिटा दें, तो हम समझते हैं कि हम और योजनाओं को बरस दो बरस के लिये आगे भी टाल सकते हैं, लेकिन इस भूखों मरने की समस्या का हल सबसे पहले जरूरी है।

तो मैं अधिक समय न लेकर, इन शब्दों के साथ माननीय जगदीशशरण अग्रवाल के प्रस्ताव का, माननीय अवस्थी जी के संशोधन सहित समर्थन करता हूं और सदन से अनुरोध करूंगा कि वह इसे स्वीकार करे और इस अनुरोध के साथ-साथ इस वक्तव्य को समाप्त करता हूं।

श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)—अधिष्ठाता महोदय, अभी भवन में माननीय जगदीश शरण जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसकी भावना और उसके मूल सिद्धान्त से पूर्णतया सहमत हूं। उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि भिक्षावृत्ति हमारे देश के लिये अहितकर है, और जो पुरानी प्रथा हमारे शास्त्रों में कही गई है कि दान देना एक पुण्य का काम है उस पुरानी रीति को हमें तोड़ना चाहिये। मैं उनकी इस प्रवत्ति से सहमत हूं लेकिन साथ ही साथ मैं उनका ध्यान दिलाना चाहती हूं कि हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि भिक्षा मांगने से एक मनोवैज्ञानिक ढंग से मनुष्य की आत्मा में हीनता का भाव आता है। यहां पर मुझे एक रहीम कवि का दोहा याद आ गया जो इस प्रकार है कि:—

"रहिमन वे नर मर चुके जो कहुं मांगन जाहिं।
उनसे पहले वे मुये जिन मुख निकसत नाहिं"।।

मांगने से आदमी में हीनता का भाव ही नहीं आता बल्कि आदमी में जो आत्मावलम्बन तथा आत्मनिर्भरता की भावना होती है वह उसको सदा के लिये खो बैठता है।

दूसरे भिक्षावृत्ति आदमी में आलस भी लाती है जो उसके जीवन के लिये असाध्य रोग बनकर रह जाता है। मैं समझती हूं कि उत्तर प्रदेश के लिये ही नहीं बल्कि सारे देश के लिये यह एक कलंक का टीका है। जहां हम विदेशों की अच्छी बातों की कापी करते हैं तो वहां हमें यह भूलना नहीं चाहिये कि विदेशों में मांगना एक अपराध है, और आज हमारे प्रदेश में इस चीज के लिये एक भाई ने अपनी भावना व्यक्त की है कि यह दण्डनीय घोषित होनी चाहिये, तो मुझे इसमें आपत्ति करने में कोई तथ्य समझ में नहीं आता है। यों तो हर तरह से विरोध हो सकता है कि अगर यह अपराध घोषित हो गया तो भिखारियों को जेल में भर दिया जायगा। सिर्फ कहने मात्र से ही वह उस भावना से दूर पहुंच जाते हैं।

भिक्षावृत्ति को सबसे पहले उत्तर प्रदेश में एक अपराध मान लिया जाय और साथ ही साथ सरकार द्वारा जो समाज कल्याण राज्य की स्थापना की जा रही है, इस ओर से भी प्रगति की जाय तो मैं सोचती हूं कि यह दोनों चीजें साथ-साथ चल सकती हैं। इसको अपराध मानने से यह होगा कि मनुष्य आगे के लिये इस भावना को अपनाने के लिये तैयार नहीं होगा। दूसरे ऐसे भिखमंगे जो अपाहिज हैं, दूसरों के आश्रित हैं, उन लोगों की रक्षा करना सरकार का धर्म हो जाता है।

यहां पर मैं एक अपने जीवन की घटना व्यक्त करना चाहती हूं। श्रीमन्, यह मेरे अनुभव की बात है। मैं उस समय बी० ए० में पढ़ती थी तो जिस समय फेयरवेल पार्टी हुई उसमें हम लोगों को फैंसी ड्रेस में बुलाया गया था। एक बहिन जो देखने में बड़ी सुन्दर थी, एक भिखारिन का भेष धारण कर पार्टी में पहुंची तो श्रीमन्, मैं यहां यह कहने में संकोच नहीं कर सकती कि हम सब उसको देख कर पहिचान न सके, बल्कि यह समझ बैठे कि

यह भिखारिन कहां से आ गयी। उसने कोढ़ी का रूप धारण किया था। मुझे उसके आर्ट की सराहना करते हुये और उसके रूप को देखते हुये यह कहने में संकोच नहीं है कि बहुत से भिखारियों ने इसे एक मांगने का पेशा बना लिया है। मैं जब भी भिखारियों को देखती हूं तो मेरी विशेष रुचि इस ओर है कि मैं उनकी गहराइयों तक पहुंचने की कोशिश करती हूं। बहुत से भिखारी कोढ़ का आवरण पहिने हुये जमीन पर लोट-लोट कर इस बुरी तरह से कराह-कराह कर चिल्लाते हैं कि उनके देखने मात्र से हृदय द्रवित हो जाता है और मनुष्य न देना चाहते हुये भी देता है। मैंने श्रीमन्, ऐसा देखा है कि वही कोढ़ी का रूप धारण करने वाले बाद में नहां धोकर और स्वस्थ होकर उस भिक्षावृत्ति के पैसे से गांजा, चरस, अफीम, ऐसी-ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं। मैं सोचती हूं कि जितने भिखारी हैं अगर उनकी गहराइयों के आंकड़े जानने की कोशिश की जाय तो उनमें वास्तविक रूप से बहुत ही कम भिखारी मिलेंगे।

मेरे एक और अनुभव की अभी याद आ गयी है, कि दिल्ली के स्टेशन पर एक भिखारी मांगता है जो कि अभी भी शायद जीवित है, जिसके दोनों हाथ कटे हुये हैं और वह दानी के हाथ से अपने जेब में पैसा गिरवा लेता है। पता लगाने से यह ज्ञात हुआ कि उसको दो हजार रुपये माहवार की आमदनी मकान के किराये और जो उसकी बस चलती है उससे होती है। उसके परिवार के लोग भी बड़े अच्छे हैं लेकिन उसको भिक्षा-वृत्ति से इतना मोह हो गया है कि ये सब साधन होते हुये भी वह स्टेशन पर मांगना नहीं छोड़ सका। ऐसी दशाओं को अगर देखा जाय तो मैं सोचती हूं कि वह कमाई जो गृहस्थी में पसीने की कमाई से उपलब्ध हो सकती है, उसका इस तरह से भिक्षा के रूप में देकर अपव्यय करते हैं। मैं समझती हूं कि ऐसे अपराध को अगर अपराध न कहा जाय तो वह घोर अपराध है।

मैं इस सम्बन्ध में दो एक सुझाव देना चाहती हूं, जो कि अपने प्रदेश के लिये लाभ-कारी होंगे। इस ओर जब हमारी सरकार ने प्रगति करना शुरू कर दिया है कि जगह-जगह पर भिक्षुक केन्द्र खोल कर उनकी जन-शक्ति का सदुपयोग किया जाय तो थोड़े ही दिनों में जो आज अपराधी घोषित किये जाने वाले हैं या जो और लोग इसी तरह से अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं उनका जीवन बड़े सुचारु रूप से चल सकेगा।

दूसरे एक और चीज मैं कहना चाहती हूं। अभी दो, तीन दिन ही हुये होंगे, मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते हुये माननीय श्रम मंत्री जी न बतलाया था कि सन् १९५१ के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में भिखारियों की संख्या १,०७,०४९ है। हो सकता है कि सन् १९५१ से सन् ५७ तक ये आंकड़े कुछ और प्रगतिशील हो गये हों। लेकिन ये आंकड़े इतने ज्यादा नहीं हैं जिनके हित के लिये अपनी सरकार कोई कदम न उठा सके। मैं इस सम्बन्ध में खर्च हुये धन को एक सदुपयोग समझती हूं और उत्तर प्रदेश की भलाई के लिये समझती हूं। इसमें उत्तर प्रदेश का सबसे पहला नाम होगा, कि अपने देश के लिये उसने एक ऐसा उचित कार्य किया और एक नया कदम उठाया, जिससे वह और प्रदेशों से आगे चल निकला। अभी हमारे प्रदेश ने रिटायरमेंट की एज को तीन साल और बढ़ाकर जो एक नया कदम उठाया है, मैं समझती हूं कि यह उससे कम लाभ कर कदम नहीं होगा।

भिखारियों की कई श्रेणियां होती हैं। कुछ तो बच्चों के रूप में भिखारी पाये जाते हैं, कुछ वृद्धों के रूप में, लंगड़े और अपाहिज भिखारी भी मिलते हैं, और युवा अवस्था के भिखारी भी मिलते हैं। तो श्रीमन्, मैं यह उचित समझती हूं, कि उनके लिये जो साधन उपयुक्त समझे जांय वह अलहदा-अलहदा अपनायें जायं। उनको भिक्षुक गृहों में भेज दिया जाय और इस प्रकार अपने प्रदेश की जनशक्ति का समाज के कल्याण के लिये उपयोग किया जाय।

दूसरी बात, जैसा कि अग्रवाल जी ने अपने प्रस्ताव में कहा, इसके लिये एक सर्वे कमेटी होनी चाहिये। मैं उनकी इस भावना से पूरी तरह सहमत हूं। जब तक हमें

[श्रीमती चन्द्रावती]

कमेटी के द्वारा पूरी स्थिति का ज्ञान नहीं होगा, आगे के लिये कोई कदम उठाना अच्छा नहीं हो सकता। यदि पूरी तरह से सर्वेक्षण करके इस काम में कोई प्रगति की जायगी तभी यह कार्य शीघ्रता से तथा अच्छी तरह सम्पन्न हो सकेगा।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो मुल्क आज अपनी आजादी के दसवें साल में प्रवेश कर चुका है और जहां प्रदेश की सरकार यह दावा करती है कि हम कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने जा रहे हैं वहां जो यह समस्या आज हमारे सामने है वह बहुत गम्भीर है और मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि इस दिशा में उसने क्या किया? हमें यह जवाब मिल सकता है कि १९४९ में यू० पी० आर फेनेजेज ऐण्ड विडोज होम्स कमेटी सरकार ने स्थापित की और उसने भी अपनी रिपोर्ट के पेज १० पर सरकार को यह इशारा किया था और प्रदेश के लोगों को यह बतलाया था कि यह समस्या क्या है। मैं श्रीमन्, की इजाजत से दो शब्द पढ़ लेना चाहता हूं, "As the question is vast and complicated one the committee decide that it may be taken up separately" उन्होंने कहा है कि यह समस्या बहुत गम्भीर है और अहम है और इसको पृथक रूप से विचार किया जाना चाहिये। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि १९४९ के बाद इस पर क्या कदम उठाये गये?

यह प्रश्न अब उठता है, कि लोग भीख क्यों मांगते हैं? हमारे प्रदेश में दो प्रकार के भिखारी पाये जाते हैं। अगर हम शाम को पांच बजे के बाद यहां से निकल कर नये अथवा पुराने विधायक निवास की ओर जायं, यदि मंत्री जी किसी दिन प्रयत्न करें तो वह भी अपनी आंखों से स्वयं देख सकते हैं कि जो लोग भीख मांग रहे हैं, उनमें कोई अंधा है, कोई अपाहिज है, कोई लाचार है। अगर कोई शौक से भीख मांगता है तो यह ठीक है कि उसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर नहीं जाती, लेकिन जिसकी कोई सहायता करने वाला नहीं है और वह अंधा या अपाहिज है, और अगर ऐसे लोग उत्तर प्रदेश में हैं तो मैं समझता हूं कि कल्याणकारी राज्य और समाज की स्थापना करने वाली सरकार के लिये यह एक कलंक की बात है।

दूसरे, मैंने यह किसी और मुल्क में नहीं देखा, कि हम ३,००० आदमियों को एक तरफ सिर्फ इसलिये पेंशन दें कि वह जेल हो आये हैं और ऐसे अपाहिजों को भीख मांगने दें। पेंशन उन लोगों को देनी चाहिये कि जो डिसएबिल्ड हैं, मजबूर हैं.....

श्री अधिष्ठाता---यह विषय पेंशन का नहीं है। प्रस्ताव भिखारियों के सम्बन्ध में है।

श्री प्रतापसिंह---आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन मैं उसके मुताल्लिक ही कह रहा हूं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज आजादी पाने के दस साल बाद भी हमको लखनऊ, इलाहाबाद या नैनीताल की किसी सड़क पर भी यह भिखारी देखने को मिल सकते हैं। इस समस्या पर हमें बड़ी गम्भीरता के साथ सोचना चाहिये। मैं अपने मित्र माननीय अग्रवाल जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस प्रस्ताव द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। यहां यह भी कहा गया कि इसके लिये कानून बनना चाहिये और जो लोग भीख मांगते हैं, और डिसएबिल्ड नहीं हैं, उनको सजा दी जानी चाहिये। मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि शारदा ऐक्ट यहां पर पास हुआ है, छुआछूत का कानून पास हुआ, क्या वे कार्यरूप में परिणत हुये हैं? ऐसी चीजों के लिये ऐक्ट की जरूरत नहीं होती। ऐसी चीजों के लिये भावना की जरूरत होती है। हमें यह भावना पैदा करनी चाहिये कि भीख मांगना पाप है। अभी यह कहा गया कि दान देना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हमारे यहां भी कहा गया है कि :---

"रहिमन कर पर कर करो, कर तर कर न करो,
जा दिन कर तर कर करो, ता दिन मरण करो।"

यह भावना थी, लेकिन आज वह नहीं आ सकती है। इस बात के लिये यह भावना पैदा करने की आवश्यकता है। भावना हृदय परिवर्तन से आती है, वह कानून के द्वारा पैदा नहीं हो सकती है। भावना के लिये हृदय परिवर्तन करने की आवश्यकता है। एक तो वे बच्चे जो भीख मांगते हैं, जिनके मां बाप नहीं है, और उनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है, उनके लिये शिक्षा और खाने का प्रबन्ध सरकार की ओर से होना चाहिये। दूसरे, वे लोग जो देख नहीं सकते हैं, हाथ पैर टूट गये हैं और जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं है, उनके लिये भी म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा इन्तजाम होना चाहिये। म्युनिसिपल बोर्ड कोई ऐसा प्रबन्ध करे जिसमें उनको लिया जा सके।

तीसरे जो कोढ़ी हैं, जिनके लिये देहरादून, अल्मोड़ा, हल्द्वानी और इलाहाबाद में रखने का इन्तजाम किया है, उनके लिये पूरा प्रबन्ध किया जाय। केवल होम्स खोल देने से काम नहीं चल सकता। सरकार को चाहिये कि बस्ती से दूर यह होम्स खोले और वहां पर उनके रहने के लिये व्यवस्था की जाय। हम देखते हैं कि अल्मोड़ा में कोढ़ी घर होते हुये भी वे वहां पर सड़क पर पड़े रहते हैं। यह ऐसी बीमारी है कि अगर इसको चेक नहीं किया जाय तो यह दूसरे लोगों को भी हो सकती है। इसलिये सबसे ज्यादा प्रायरिटी इस मसले को देनी चाहिये कि जो हाथ से काम नहीं कर सकते अगर वह भीख मांगते हैं तो उनके लिये प्रबन्ध किया जाय।

एक वर्ग और है जो शौक से भीख मांगते हैं, तो सरकार को उनके लिये कदम उठाना चाहिये। कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे होते हैं लेकिन जब वह देखते हैं कि समाज में उनके लिये कोई व्यवसाय नहीं है और उनके पढ़ने लिखने का मूल्य समाज में कोई आंकने वाला नहीं है और उनको सर्विस नहीं मिलती है, वह परेशान हो जाते हैं और वे हमारे सामने गेरुये वस्त्र पहनकर आते हैं, वह भी अपना इस तरह से निर्वाह करते हैं।

यह प्रस्ताव देखने में तो छोटा है लेकिन यह मसला बहुत अहम मसला है। सरकार इसके लिये कोई कमेटी बिठाये। अगर उस कमेटी का वही फेट होना है, जैसा कि सन् ४९ वाली का हुआ, तो तब वह बेकार है। मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि इस मसले पर सोचें। यदि इस प्रकार के इस मसले को हल नहीं किया गया तो यह और पेचीदा हो जायगा।

इन शब्दों के साथ मैं सदन से निवेदन करूंगा कि वह इस मसले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे और ध्यान दे।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—चेयरमैन महोदय, जो प्रस्ताव अग्रवाल साहब ने हमारे सामने पेश किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और उसके उसूल के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है। बड़ा अच्छा हुआ कि इस प्रस्ताव के जरिये हम लोगों को इस बात का मौका मिला कि हम लोग यहां पर ऐसे प्राबलम पर गौर करें कि जो हमारे मुल्क और प्रदेश का सब से बड़ा प्राबलम है।

यह सही है कि किसी भी वेलफेयर स्टेट के लिये इस बात की जरूरत है कि वहां ऐसा कानन हो जिसके जरिये से उन लोगों को सुख पहुंच सके जो तकलीफ में हैं और उन लोगों के सुधार और रिफार्म के लिये जो किया जा सकता है, वह किया जाय। इस नुक्तेनजर से हम देखें तो इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती कि यहां पर बेगरी या भीख मांगने का जो तरीका है उसके लिये हमें किसी कानून की जरूरत है। वह कानून इसलिये जरूरी है कि न सिर्फ हमें अपने सूबे के अन्दर सोशल रिफार्म लाना है बल्कि इकानामिक प्राबलेम को हल करने के लिये इसके जरिये मौका मिल सकता है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि यह मामला बहुत अहम है और इस मामले की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जब हम यह महसूस करते हैं कि हमारी इस भीख मांगने वालों की प्राबलम के साथ-साथ मजहब का सवाल भी वाबस्ता कर दिया जाता है। मैं यह जानता हूं कि यह जो भीख मांगने वालों की प्राबलम है वह हमारे देश की पुरानी प्राबलम है, उसके साथ हमारा पूरा इतिहास वाबस्ता है। अगर इसके जरिये से उन लोगों की दिक्कतों और दुश्वारियों

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुल्तान आलम खाँ]

के दूर करने का खयाल हो तो क्या वह हमारे बुजुर्गों के दिल में न था ? अगर ऐसा न होता तो हमारे यहां और हमारी डिक्शनरी में 'दान' शब्द न होता। जब किसी को दान देना चाहिये या उसको पुण्य का काम मान लिया जाता है, सवाब का काम मान लिया जाता है तो उसमें से यह सवाल भी उठता है कि वह दान दिया किसको जाय, दान का लेने वाला कौन हो ? चाहे कोई भी नाम उसको दिया जाय, लेकिन जो भी शख्श दान लेगा, उस पुण्य के रुपये को लेगा, वह शख्स ही भिखारी कहा जा सकता है। हो सकता है पिछले जमाने में यह चीज इसलिये जरूरी समझी गयी हो कि उस वक्त स्टेट का आईडियल ऐसा आइडियल नहीं था, सोसाइटी की प्राबलम्स को कम्युनिटी बेसिस पर हल नहीं करते थे। लेकिन आज जमाना बदल गया है। आज के जमाने में हर चीज को हल करने का यहां के लोगों का फर्ज है या स्टेट का फर्ज है। लेकिन जब मैं यह सोचता हूं कि अगर कोई ऐसा कानून फौरन बना दिया जाय, जिसके जरिये से बेगरी बन्द कर दी जाय तो उससे कुछ दिक्कतें भी पैदा हो जायंगी। कानून को बना देने के बाद बेगरी को रोक देने का सवाल पैदा होता है और यह भी सवाल पैदा होता है कि जो लोग आज तक बेगरी से अपनी बसर औकात करते रहे हैं, उनके लिये आप क्या प्रबन्ध करते हैं।

यह सही है कि सूबे के अन्दर और मुल्क के अन्दर भीख मांगने वाले एक ही किस्म के लोग नहीं हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो भीख इसलिये मांगते हैं कि वह डिसएबिल्ड हैं, किसी काम को करने के लायक नहीं हैं। अगर वह दूसरे लोगों से कुछ न पायें तो वे अपनी गुजर औकात नहीं कर सकते। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तगड़े, मोटे-ताजे हैं, काम करने के लायक हैं लेकिन वह सुस्त हैं और भीख मांग कर अपनी बसर औकात करते हैं। ऐसे भी लोग हैं, जैसा कि अभी हमारी एक बहन ने कहा जो बहुत सा रुपया जमा कर लेते हैं, नशीली चीजों का इस्तेमाल करते हैं या और तरह की बुरी तफरीह के जरिये से उसको खर्च करते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो काम तो कर सकते हैं लेकिन उनको काम करने की इच्छा नहीं है, और कोई दूसरा जरिया-- माश नहीं है, उनके अजीज या रिश्तेदार भी उनकी मदद करने से इन्कार करते हैं। ये तमाम किस्म के लोग हैं जो भीख मांगते हैं। उन सब को हमें अलहदा,अलहदा रखना होगा। वह लोग जो काम करना नहीं चाहते लेकिन एबिल बाडीड हैं तो वे जरूर इस बात के मुस्तहक हैं कि उनके साथ कोई हमदर्दी न की जाय बल्कि उनको किसी न किसी तरीके से मजबूर किया जाय कि वह भीख मांगना छोड़कर काम करें और मुल्क के लिये कारामद बनें। उनको किसी श्रमदान के काम में लगाया जा सकता है, किसी डेवलपमेंट के काम में लगाया जा सकता है। उससे मैं समझता हूं कि मुल्क की दौलत में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा जो डिसएबिल्ड हैं उनका हमें इन्तजाम करना है। उनके लिये हमें होम्स बनाना है, ऐसे मुकाम पर उनको रखना है जहां उनके रोटी और कपड़े का इन्तजाम हो और इस किस्म का काम भी उनको मुहय्या किया जा सके जिससे बावजूद डिसएबिल्ड होने के वे कुछ न कुछ काम भी कर सकें। यह एक मिसाल है।

इन बातों की तरफ हमें तवज्जुह करने की जरूरत पड़ेगी। यह उम्मीद म्युनिसिपैलिटीज से करना कि वह इस प्राब्लम को टैकिल करने की तरफ कदम बढ़ायें, तो मैं समझता हूं कि कोई म्युनिसिपैलिटी इस काम में कामयाब नहीं हो सकती। पहले भी लोकल बाडीज इस मामले में नाकामयाब ही साबित हुई हैं और इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठा सकी हैं। मैं गवर्नमेंट को मुबारकबाद देता हूं कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को कायम हुए अभी देर नहीं हुई कि उसने इस मसले की तरफ कुछ कदम उठाये हैं।

इन हालात में मैं समझता हूं कि यह मुनासिब होगा कि अगर गवर्नमेंट इस मसले पर गौर करने के लिये कोई सर्वे कमेटी बैठा दे। उस सर्वे कमेटी में ऐसे लोग भी हों जो एक्सपर्ट्स हों तो ज्यादा अच्छा होगा और जिनको इस विषय की अच्छी वाकफियत और जानकारी हो। उसमें पब्लिक के लोग भी लिये जायेंगे। व सब लोग न सिर्फ इस प्रदेश में इस काम को देखें बल्कि

उन दूसरे प्रदेशों में भी जायं जहां-जहां बेगरी ऐक्ट्स आयद हैं। वहां भी उनके वर्किंग को देखें। अलग-अलग तरह के बेगर्स की प्राबलम्स को टैकिल करने की कोशिश करें ताकि अमली तौर पर कोई कदम उठाया जा सके।

जनाबवाला, मैं उन लोगों में से हूं जिनका यह ख्याल है कि सोशल रिफार्म्स कानून के जरिये से कभी नहीं हो सकती। इसके बारे में तजुर्बा भी हमारे सामने है। हमारे सामने कई ऐसे कानून बने जिनका मकसद तो बहुत अच्छा था लेकिन हमने देखा कि जब हमने अमली तौर पर उसको लागू किया तो कोई नतीजा न निकला। इसलिये इस बेगरी को सिर्फ कानून के जरिये से हल करने की कोशिश न की जाय नहीं तो हमें सफलता नहीं मिल सकती। इसलिये मैं सोचता हूं कि गवर्नमेंट इसकी सर्वे कराये। गो इस मामले में कानून तो बनाना ही पड़ेगा लेकिन कानून बनाने के साथ-साथ हमें ऐसी बहुत सी सोसाइटीज और एसोसियेशन्स को भी इम्दाद देनी होगी जो इस काम को अपना रहे हैं। अगर वे इस काम में तेजी करें और कोई ज्यादा ठोस कदम इस ओर उठायें तो सरकार उनको मदद दे। इस तरह से यह चीज बेहतर होगी और ज्यादा अच्छी सूरत उससे निकल सकती है।

मैं समझता हूं कि इस काम के लिये जो रिजोल्यूशन अग्रवाल जी ने पेश किया है, मुझे उससे पूरी हमदर्दी है। इसके शुरू करने की एक बिना भी है। मैं समझता हूं यह साल १९५७ का साल है और अपनी क्रान्ति की हम शताब्दि मना रहे हैं। ऐसे मौके पर अगर इस किस्म का प्रस्ताव आया है तो उसकी कुछ तारीखी अहमियत भी है। शायद अग्रवाल जी का नाम भी उससे वाबस्ता रहेगा। ऐसे मौके पर जब हम एक तारीखी साल में से गुजर रहे हैं और उस वक्त ऐसा सुझाव आया है तो हमें उस सुझाव पर गौर करना चाहिये। मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस साल के खत्म होने से पहले ही इस तरह कम से कम इतना कदम तो जरूर उठा दे कि एक सर्वे कमेटी बैठा दे। यह कदम ऐसा होगा जिसमें कोई कमिटमेंट भी न होगा और हमारे लिये एक मौका होगा कि हम एक कदम इस मामले को हल करने के लिये आगे बढ़ सकें।

श्री मदनगोपाल वैद्य—अधिष्ठाता जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—मैंने माननीय सदस्य (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) का नाम ले लिया है, इसलिये आप माननीय सदस्य के बोलने के बाद अपना प्रस्ताव उपस्थित करें।

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—अधिष्ठाता जी, जो प्रस्ताव अग्रवाल जी ने सदन के सम्मुख उपस्थित किया है, उसके मंशा से किसी की कोई झगड़ा नहीं हो सकता। उस प्रस्ताव के द्वारा हमारे मित्र अग्रवाल जी ने इस सदन का, इस प्रदेश का और इस सरकार का ध्यान भिखारियों की समस्या की तरफ खींचने की कोशिश की है। इसका मतलब श्रीमन्, कतई यह नहीं होता कि उस समस्या की तरफ हमारा रुजहान नहीं था या वह समस्या कोई ऐसी थी जो प्रस्ताव आने के बाद ही हमारे सम्मुख उपस्थित होती। लेकिन निश्चय ही उस भावना की जो उस प्रस्ताव के स्वरूप में दिखलायी पड़ती है, मैं कद्र करता हूं। इतना जरूर कहना चाहता हूं कि भावनाओं से प्रेरित होकर कमेटी की जो मांग उन्होंने की है, वह अनावश्यक है। आज जो सरकार का रुख है, माननीय मंत्री जी की बातों से बाद में स्पष्ट भी हो जायगा और पूरी तौर से उसको समझने के बाद शायद वे भी स्वयं स्वीकार करेंगे जो काम वह कमेटी से कराना चाहते हैं, उसकी अब आवश्यकता नहीं है। यह तो सभी मानते हैं कि यह समस्या ऐसी है, जिसका स्वरूप सामाजिक है और सामाजिक समस्याओं का हल किन उपायों से होना चाहिये, इसमें कई मत हो सकते हैं.....

श्री अधिष्ठाता—बहुगुणा जी आप बैठ जायं।

मैं इसके पहले भी सदन में कई बार कह चुका हूं कि जब माननीय सदस्य बोल रहे हों तो इस तरह से चपरासी बीच में न आया करें। आइन्दा इसका खयाल रखा जाय।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—तो श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस समस्या के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जो काम हो रहे हैं, उनकी जब विवेचना होगी तो निश्चय है कि माननीय सदस्य को, इस सदन को और इस सदन के बाहर जनता को यह आभास हो जायगा कि प्रदेश की सरकार इसके प्रति जागरूक है।

हमारे एक मित्र श्री प्रताप सिंह जी ने तो कहा कि १९४९ की कमेटी की रिपोर्ट जो शाया हुई थी और इस समस्या के सम्बन्ध में जो कमेटी का निर्देशन था, उन पर कोई तवज्जह इस सरकार ने नहीं की। श्रीमन्, बात ऐसी नहीं है। १९४९ के बाद सरकार ने तरह-तरह की इनक्वायरी कराने की कोशिश की है। म्युनिसिपैलिटियों के अन्दर सैम्पुल सर्वे कराने की कोशिश की और उस प्राबलम को साल्व करने के रास्ते निकालने की कोशिश की। इसके बाद ही सन् ५१ के सेशन का रिजल्ट सामने आ गया और जो नेचर आफ दि प्राबलम है, उसका जो साइज हमारे प्रदेश में है, वह हमारे सम्मुख उपस्थित हो गया कि अब ऐसी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि फिर इन्क्वायरी करायें। प्रादेशिक सरकार ने फिर भी सन् १९५५–५६ में इन्क्वायरी करायी, प्रादेशिक सरकार के पास चार-पांच और जगहों की सेंसस रिपोर्ट आयी। प्रदेश की म्युनिसिपैलिटीज के जरिये, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जरिये या जो सामाजिक संस्थायें हैं उनके जरिये जो रिजल्ट था वह हमारे सामने आ गया था कि उन संस्थाओं के काम के जो रिजल्ट हुए, मिलते-जुलते हैं, वह भी सेन्सस से।

मैं आपकी आज्ञा से इतना और कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में और क्या-क्या किया जा रहा है, उसके बारे में माननीय मंत्री जी बतलायेंगे। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि भिखारियों को सुविधायें देने के लिये जो स्थान आज प्रदेश में चल रहे हैं चाहे वह सामाजिक संस्थाओं के द्वारा चल रही हों, चाहे वह सरकार द्वारा चलाई जा रही हों उन सबका एक कामन अनुभव है कि भिखारियों को बड़ी मुश्किल से इन संस्थाओं में रहने के लिये समझाना पड़ता है। उनको वहां हर तरह का आराम देते हैं, खाना देते हैं। कुछ हलका काम भी सिखाने की कोशिश करते हैं जिसे वह कर सकते हैं ताकि वह किसी काबिल हो जायं तो कुछ कमाने लगें। लेकिन जो बोहिमियन टेंडेंसीज (Bohemian tendencies) उनको बाहर मिलती हैं, वह उनको वहां नहीं रहने देतीं और वह खिलाफ जाती हैं, हमारी व्यवस्था के, बड़ी मुश्किल से उनको हम रखने की कोशिश करते हैं, वह अंधे हैं, कोढ़ी हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, पर उनकी समझ में यही आता है कि बाहर का विशाल जगत ही उनको ज्यादा सुख देगा, चाहे हम उनके लिये इन होम्स में कितनी ही सुविधा दें। ऐसा मालूम होता है कि हमारे देश में ऐसी परम्परा है कि अपने हाथ से ही दान पात्र को दिया जाय और यह परम्परा ऐसी है कि अगर किसी को कोढ़ी या अपाहिज दिखाई देगा तो उसका हाथ सीधा जेब में ही जायगा, दान का विचार मन में आ जायगा। अन्दाजा किया जाता है कि औसतन उनको एक डेढ़ रुपया दिन भर की भीख से मिल जाता है जिसको वह चटपटा, पकौड़ी, खाना, गांजा, भांग आदि में खर्च करते हैं और जिस वक्त चाहे, जो चीज मन में आयी खाते हैं। हमारे इन होम्स में तो बन्दिश है, वक्त से खाना मिलेगा, वक्त से उठना, सोना सब होता है, वहां देख कर भोजन दिया जाता है कि गलत भोजन तो नहीं है, उसमें प्रोटीन की मात्रा ठीक है या नहीं, स्वास्थ्य के लिये हानिकारक तो नहीं है। बाहर उनको कोई बन्धन नहीं है जो चाहें खायें, चाहे जिस वक्त खायें। वह इस तरह से प्रतिबन्धों में बन्द रहना पसन्द नहीं करते, कोई दूसरी सूरत भी उन्हें रखने की नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ कायदे कानून रखने ही होते हैं। आप को मंत्री जी बतायेंगे कि साइज आफ दि प्राबलम क्या है?

शास्त्री जी ने हरिद्वार की शिकायत की कि चाहे एक भिखारी भी रहे फिर भी भोजन की व्यवस्था करने वाला रखा जाय। सरकारी कर्मचारियों की नौकरी की शर्तें होती हैं, यह तो है नहीं कि चाहे जब आये घंटा भर काम किया या नहीं किया, वहां तो चौकीदार रखना ही होगा, रसोई बनानेवाला रखना ही होगा और जब सब आवश्यक कर्मचारियों को रखा

जायगा तो निश्चय ही स्टाफ बढ़ेगा। शास्त्री जी की बात सिद्ध करती है कि सरकार के हाथों के द्वारा इस तरह के काम कुछ अधिक सफल नहीं होंगे, उसमें उनके करने की सामर्थ्य नहीं है। फिर भी सरकार इस तरह के लोगों की थोड़ी बहुत सेवा करने की कोशिश करती है, जिससे अंधों को, बच्चों को बहुत सहायता मिलती है।

जैसा कि अभी माननीय सुल्तान आलम खां साहब ने कहा कि जब कभी भी यहां किसी सोशल प्राब्लम को कानून बना कर तय करने की कोशिश की गई तो उसमें फेल्योर हुआ है। आज बम्बई में, जहां कानून है वहां पर लोग और छोटे लड़के पालिश की डिबिया, कंघे-शीशी, अखबार आदि लेकर निकलते हैं, २ पैसे की वह चीज बेचते हैं और बाद में कहते हैं कि साहब दो पैसे और दे दीजिये। जो कानून वहां का है उसको बाईपास करने के लिये इस तरह की चीजें वह करते हैं और मास स्केल पर वहां यह चीज हो रही है। सन् १९४९ तो क्या, जब से स्वराज्य हुआ, पिछले दस साल में हमने क्या किया? इसके इतिहास की तफसील में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर करूंगा कि जो अनुदान विभिन्न संस्थाओं को जो ऐसे सामाजिक प्रश्नों के विचार पर लगी है, मिला है, उसके आंकड़े हमारी दिलचस्पी उसमें साबित करते हैं। उदाहरण के लिये, इलाहाबाद में दो-दो संस्थायें हैं 'नवीन सेवा आश्रम' और 'समाज सेवक संघ', दोनों के द्वारा भिखारियों को खोजने की कोशिश की जाती है लेकिन वह उनके यहां भी रहना पसन्द नहीं करते। भिखारियों के अन्दर जो भय है, उसको दूर करने की जरूरत है और असल में देश में भिखारियों की समस्या इतनी नहीं है बल्कि बुनियादी तौर से जो हमारे देश में भिक्षा देने की समाजिक रीति है उसमें आमूल परिवर्तन करने की जरूरत है। भिक्षा बजाय व्यक्ति को देने के समाज के किसी अंग को देने की चेष्टा की जाय, जिस तरह से दूसरे मुल्कों में कम्युनिटी चेस्ट्स का सिस्टम है, उसके जैसे अलग-अलग बेनिफिशियरीज होते हैं, जैसी सामाजिक संस्थाएं उसको चलाती हैं, जिस तरह से लोग दान सामूहिक रूप में देते हैं, उसी प्रकार हमारे प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की ओर से जो कल्याण समिति की योजना है, उसके हाथों को अगर आप सब साहबान मजबूत करने की कोशिश करें तो निश्चय ही बेगरी की प्राबलम काफी कम हो जायगी और हमें उस दिशा में जाने के लिए काफी बल मिलेगा जिस तरफ जाने के लिये यह प्रस्ताव हमें इंगित करता है। मुझे पूरा भरोसा है कि सेंसस रिपोर्ट की बात ध्यान में रखते हुए, जो सरकार ने इन्क्वायरी की है उसको मद्देनजर रखते हुए, यह मानते हुए कि सरकार इस प्राबलम के अस्तित्व को स्वीकार करती है और उसको स्वीकार करते हुए इसके निराकरण के लिए विभिन्न कदम उठा रही है, इन बातों को स्वीकार करते हुए श्री जगदीश शरण जी का जो प्रस्ताव है वह स्वयं समझ कर उस पर उचित कदम उठायेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय अग्रवाल जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। किसी भी राष्ट्र या समाज के लिये यदि वहां भिखारियों की संख्या बड़ी है, तो यह उसके लिये एक कलंक की बात है।

जैसा माननीय अग्रवाल जी ने बताया हमारे प्रदेश में भिखारियों की क्या संख्या है यह ठीक निर्धारित नहीं है। वह तीन लाख हो या ६३ लाख हो मैं उस चर्चा को नहीं उठाना चाहता, लेकिन इतना अवश्य है कि हमारे प्रदेश में भिखारियों की संख्या बहुत बड़ी है।

यदि इसका वास्तविक स्वरूप देखना है तो काशी में जाकर देखा जा सकता है, प्रयाग में जाकर देखा जा सकता है, हरिद्वार में जाकर देखा जा सकता है। किसी भी तीर्थ स्थान पर चले जायं आपको वहां वह नारकीय दृश्य उपस्थित मिलेगा जिसे देखकर मानवता भी शरमा जायगी। काशी के विश्वनाथ मंदिर के सामने चले जाइये या संकट मोचन के सामने चले जाइये, संकट मोचन को जाने वाली सड़क के दोनों किनारों पर बैठे हुये वहां अपाहिज, असमर्थ, अपंग, ऐसे भिखारी हैं जिन्हें देखकर माननीय मंत्री को भी दया आ जायगी ऐसे भिखारियों के लिये जो अपाहिज हों, अपंग हों, असमर्थ हों, नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हों, उनका जीवन-निर्वाह करने के लिये सरकार ने क्या ठोस कदम उठाया

[श्री चन्द्रजीत यादव]

है ? या ऐसे भिखारी जिनका काम भिक्षा मांगना हो गया है, भिक्षा मांगना जिन्होंने अपना पेशा बना लिया है, उनके लिये सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

भिखारी दो प्रकार के होते हैं। एक पेशेवर भिखारी हैं जो शरीर से भी पुष्ट होते हैं, काम करने में भी समर्थ होते हैं और जिनको काम के साधन भी उपलब्ध हैं, लेकिन उनका पेशा हो गया है भीख मांगना। भिक्षा मांग कर ही जीवनयापन करते हैं। दूसरे प्रकार के वह भिखारी हैं जो अपंग और असमर्थ हैं या ऐसे रोगों के शिकार हैं जो भिक्षा मांगने के लिये विवश हैं। जब कि हमारे देश के दूसरे प्रदेशों में ऐसे कानून बने हैं जो समर्थ हैं, उनको भिक्षा मांगने से वर्जित किया गया है और जो अपाहिज भिखारी हैं उनकी व्यवस्था वहां की सरकारों ने की है, तो कोई वजह नहीं होती कि हमारी सरकार इस काम में पीछे रहे। यह विधेयक तो सरकार की तरफ से आना चाहिये था। सरकारी विधेयक होना चाहिये था। लेकिन माननीय अग्रवाल जी ने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। वह इसके लिये बधाई के पात्र हैं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब बजट पर वाद-विवाद चल रहा था उस समय हमारे श्रम कल्याण मंत्री ने बताया था कि एक दो केंद्र उन्होंने प्रदेश में खोले हैं जहां भिखारियों के रहने की व्यवस्था की गयी है। काशी जैसा नगर जहां भिखारियों की संख्या इस प्रदेश में सबसे अधिक है वहां उन्होंने इसके लिये कोई कदम नहीं उठाया। सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया कि वहां जो भिखारियों की संख्या बढ़ रही है उनके लिये सरकार कोई व्यवस्था करे। तो ऐसी सूरत में जब यह संकल्प आया है तो सरकार को चाहिए कि इस प्रस्ताव को मान ले और निश्चित रूप से एक ऐसा विधेयक पारित करे जिससे हमारे समाज में, प्रदेश में, जो बहुत बड़ा अभिशाप है वह शीघ्र से शीघ्र दूर हो।

मैं इस राय का नहीं हूं और कतई इसे मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि कोई भी सामाजिक दुर्गुण कानून द्वारा नहीं दूर किया जा सकता। इसके प्रमाण मौजूद हैं—सती प्रथा जो एक नारकीय प्रथा थी कानून पास हुआ और सती प्रथा समाप्त हुई। अस्पृश्यता कानून जिसे सरकार ने पास किया है, कौन मानने से इंकार करेगा कि प्रभाव यह हुआ कि होटल वालों के दिल में यह भय पैदा हुआ कि अब वे यह कह नहीं सकते कि तुम अछूत हो, तुमको खाना नहीं देंगे, चाय नहीं देंगे। उसका प्रभाव समाज पर पड़ता है निश्चित रूप से, १०० फीसदी न पड़े तो २०-१५ प्रतिशत ही सही। मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं यदि यह कानून पास किया गया और १ फीसदी सफलता मिली तो इसको पास करना चाहिये। हर सरकार का कर्त्तव्य होता है जो सामाजिक दुर्गुण होते हैं, जो ऐसा मर्ज समाज के अन्दर पैदा हो जाता है जो समाज को खोखला बना देता है, लाँछन लगाता है, उसको दूर करने के लिये सरकार को कानून पास करना चाहिये। सरकार मर्यादा के नाम पर, तिष्ठा के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च करती है। चाहे केंद्रीय सरकार हो, प्रादेशिक सरकार हो, जब इस बात की शिकायत की जाती है कि राष्ट्रपति के ऊपर, राजदूतों के ऊपर, राज्यपाल के ऊपर, मंत्रियों की साज-सज्जा के ऊपर इतनी बड़ी रकम क्यों खर्च की जाती है तो सरकार इस प्रकार का जवाब देती है कि हमें अपने राष्ट्र की मर्यादा और प्रतिष्ठा का ध्यान रखना पड़ता है। सरकार से मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसे मुल्क में जहां लाखों लोग विवश हो करके ऐसा जीवन-यापन कर रहे हों, नारकीय जीवन व्यतीत करते हों, नाबदान के कीड़े की तरह से गरमी में सड़क पर चले जाइये काशी में, रेंगते हुये दिखाई पड़ते हों तो उनसे क्या राष्ट्र की प्रतिष्ठा बढ़ती है ? क्या वह राष्ट्र के लिये कलंक की बात नहीं है और ऐसी सरकार के लिये जो इस बात का दम भरती हो कि वह समाजवादी लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है, ऐसी सरकार जो बराबर इस बात का दावा करती हो कि वह प्रगतिशील सरकार है और गरीबों की सरकार है ?

अभी जब हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी महोदय जवाब दे रहे थे तो उन्होंने बताया कि लोग इस बात के लिये तैयार नहीं होते हैं कि जो भिक्षा शालायें बनी हुई हैं उनके अन्दर जायं। एक माहौल ऐसा होता है जिसके अन्दर रहने के वे आदी होते हैं। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। अगर वे नहीं छोड़ने के लिये तैयार हैं तो सरकार को मजबूर करना चाहिये कि वे छोड़ें। ऐसे लोग जो कोढ़ी हैं, उनसे इस बात का भय है कि वह कोढ़ फैल सकता है, इस बात का भय है कि उनकी इस प्रवृत्ति का मनोवैज्ञानिक प्रभाव बच्चों पर पड़ सकता है और देखा गया है समाज के अन्दर जो भिखमंगे होते हैं, उनके अन्दर ऐसे होते हैं जो कुछ अवगुणों के शिकार हो जाते हैं, जिसको स्वीकार भी किया गया है, तो उनका प्रभाव बच्चों पर और समाज पर पड़ता है। फिर क्या सरकार इस बात पर परवा डालना चाहती है और यह कह कर कि वे आना नहीं चाहते ? इससे तो काम नहीं चलेगा, आप कानून बनाइये। अगर आपने उनके लिये विटामिनों की व्यवस्था कर दी है, डाक्टरों की सुविधा कर दी है, उनके सुख-सुविधा की व्यवस्था करदी है तो बड़ी अच्छी बात है, इससे समाज को खुशी हो सकती है। आप ऐसा कानून तो पास करिये, समाज इसका स्वागत करेगा, चाहे कुछ लोग इसको अच्छा न समझें तो मैं मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि वे इस बात से भयभीत न हों और इस बात को ध्यान में न रख करके इस प्रकार का कानून पास करने की कोशिश करें। हमारे प्रदेश में जहां तीर्थ स्थानों की संख्या बहुत अधिक है, जहां ऐतिहासिक स्थानों की संख्या अधिक है और देश के कोने-कोने से लोग आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं जहां वे ताजमहल देखते होंगे एक तरफ और उसके सामने अपाहिजों को, ऐसे लोगों को जो मजबूर हैं, भिक्षावृत्ति अपनाने के लिये उनको देखते होंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे राष्ट्र की मर्यादा इसमें बढ़ नहीं सकती है। एक बार माननीया सुचेता कृपलानी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बात की चर्चा एक जगह की। उन्होंने बताया कि जब वह संयुक्त राष्ट्र संघ में गयी हुई थीं तो वहां लोगों ने उनसे इस बात की शिकायत की कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां भिखमंगों की तादाद बहुत बड़ी है, जहां अपाहिज लोग हैं, बीमार लोग हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था उनकी नहीं की जाती है और वह वही नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं, तो उन्होंने शरमाते हुये यह कहा कि हमारा देश बहुत गरीब देश है, हमारे देश में एक विदेशी हुकूमत रही है जिसने इस बात की उपेक्षा की है, लेकिन अब अपने देश में अपनी सरकार स्थापित हो चुकी है और हम इसकी तरफ प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जितना चित्र आप उपस्थित करते हैं वैसी दशा नहीं है। संयोग की बात, एक कार्यक्रम मनोरंजन का चल रहा था। उसके अन्दर एक फिल्म दिखाई गई। इस फिल्म में विश्वनाथ मंदिर दिखाया गया जिस मंदिर के ऊपर हिन्दू गर्व करते हैं। जिस काशी नगरी को विश्व से अलग एक नगरी मानते हैं, उस काशी नगरी का वह चित्र आया जिसमें कि हजारों की तादाद में कोढ़ी, लूले, लंगड़े, भिखारियों का दृश्य सामने आया, तो उस समय उन्होंने बताया कि उनका सिर लज्जा से झुक गया, उनके पास उसका कोई जवाब नहीं था।

तो मैं तो माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि इस बार का बजट पेश हुआ, पूरक बजट आयेगा, फिर दूसरा बजट आयेगा, उनमें वह इस बात का प्रयत्न करें कि समाज से इस कलंक को इस बड़े अभिशाप को दूर करने के लिये यदि उन्हें मंत्रियों के और उच्च सरकारी अधिकारियों की साज-सज्जा को कम करना पड़े, यदि सरकार के तमाम गलत खर्चों को रोकने के लिये सक्रिय कदम उठाना पड़े, यदि प्रदेश के बड़े-बड़े पूंजीपतियों पर अधिक टैक्स लगाना पड़े और यदि ऊंचा वेतन पाने वालों की आय का एक हिस्सा इस काम को पूरा करने के लिये लेना पड़े तो उसमें उन्हें हिचकना नहीं चाहिये। उनको यह कदम अवश्य उठाना चाहिये। मैं इस बात का भी समर्थन करता हूं कि सरकार को यह कानून बनाना चाहिये कि जो लोग समर्थ हों और भिक्षा मांगते हों उनको कानून द्वारा रोका जाय। मैं इसका हामी नहीं हूं कि इससे समाज के अन्दर दुर्व्यवस्था पैदा होगी। इस प्रस्ताव का यह आशय भी नहीं है कि सरकार कानून पास करके सभी भिक्षा मांगने

[श्री चन्द्रजीत यादव]

वालों को दंड दे। जो समर्थ हैं और जिनके अन्दर काम करने की शक्ति है वह अगर जानबूझ कर पेशा के रूप में भिक्षावृत्ति को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से वह दंड के भागी हैं।

उसी के साथ-साथ सरकार को काफी सक्रिय कदम उठाना पड़ेगा। निश्चित रूप से आज जो बेकार हैं उनको सरकार को काम देना पड़ेगा और हर सरकार का यह कर्त्तव्य होता है कि वह काम की गारन्टी दे। अगर ऐसे लोग जोकि काम करने के योग्य हैं वह काम नहीं पा रहे हैं, बेकार हैं इसलिये भिक्षा वृत्ति अपनाते हैं तो सरकार का कर्त्तव्य है कि उन्हें काम दे। ऐसे लोग जोकि गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, आश्रयहीन हैं, इसलिये भिक्षा मांगते हैं सरकार उनको भिक्षुकशालाओं में रखे। उनके लिये भी ऐसे उद्योग दिये जा सकते हैं कि अन्धा भिक्षुक काम कर सके, गूंगे और बहरे भिक्षुक भी काम कर सकते हैं।

जो अभी हमारे माननीय पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी ने बताया कि लोगों को वातावरण से एक मोह होता है वह उसे छोड़ना नहीं चाहते, तो वातावरण का मोह नहीं होता। अगर आप किसी कोढ़ी भिखारी को पकड़ लें और उससे कहें कि तुमको भिक्षुकशाला में रखेंगे लेकिन उसके छोटे-छोटे बच्चों की ओर कोई ध्यान न दें या आप ऐसे भिक्षुक को पकड़ लें जिसके साथ दो विधवा औरतें रह रही हों, उनके रहने की व्यवस्था आप न करें तो निश्चित रूप से वह वहां नहीं रहना चाहेगा। तो जहां आप ऐसे भिक्षुकों को ऐसे स्थानों पर ले जायेंगे और उनको काम दिलाने की व्यवस्था करेंगे वहीं आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे आश्रयहीन लोग जो उनके परिवार में हैं उन्हें भी काम दिलाने की और उनकी शिक्षा-दीक्षा आदि की व्यवस्था करें। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इस प्रस्ताव से लाभ उठाकर एक उम्दा विधेयक सदन के सामने माननीय मंत्री जी प्रस्तुत करेंगे और यह अभिशाप जो हमारे प्रदेश के ऊपर है यह समाप्त होगा।

श्री मदन गोपाल वैद्य---मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता---अभी काफी लोग बोलने वाले हैं, ऐसा मालूम होता है। तो दो चार भाषण और हो जायं उसके पश्चात् आप प्रस्ताव उपस्थित करें।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। यों तो इस प्रस्ताव का भविष्य हमारे सामने है। अब तक जो भी प्रस्ताव इस सदन में आये जिन पर पिछले तीन दिन से वादविवाद हुआ वे हमारी सरकार के संकेत पर सरकारी सदस्यों द्वारा वापस ले लिये गये और अब इस प्रस्ताव का भी भविष्य अभी माननीय बहुगुणा जी के भाषण से ऐसा प्रतीत होता है कि इसे भी वापस लिये जाने का विचार है। परन्तु फिर भी यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे प्रांत की प्रतिष्ठा जिसमें निहित है। इसलिये इस पर जो भी वादविवाद हुआ और जिन माननीय सदस्यों ने इसके पक्ष और विपक्ष में विचार व्यक्त किये उससे मैं समझता हूं कि सरकार को कुछ संकेत ही मिलेगा जिससे वह प्रांत की उन्नति के लिये, प्रांत की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिये कोई अच्छा उपाय सोचेगी और उस पर अमल करेगी।

मैं एक बात और, श्रीमन्, के द्वारा कहना चाहता हूं कि असरकारी कार्य के लिये तीन दिन रक्खे गये थे और वे तीनों दिन आज समाप्त हो रहे हैं और ऐसे प्रस्तावों की बहस में वे बीत गये जिनको अन्त में वापस ले लिया गया। मैं यह समझता हूं कि यदि इन तीनों दिवस को हम असरकारी दिवस न कह कर सरकारी दिवस ही कहें तो कोई ज्यादती की बात नहीं है। मैं यह समझता हूं कि अगर ऐसे प्रस्ताव बैलट में आवें जो सरकारी सदस्यों के

नाम से हों तो प्रधानता उन लोगों को दी जाय जो विरोधी पक्ष से बोलें ताकि वे जिस प्रस्ताव को लाना चाहते हैं सदन के सामने, उस पर ईमानदारी से और सच्चाई के साथ बहस तो हो और वे उस पर अपना मत प्रकट कर सकें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। मैं आपका ध्यान उस शब्द की ओर आकर्षित करना चाहता हूं "ईमानदारी के साथ"। सदन में जो कुछ भी कहा जाता है वह ईमानदारी के साथ ही कहा जाता है। तो "ईमानदारी के साथ" शब्द कहना मैं समझता हूं पार्लियामेंटरी नहीं है। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—मैं माननीय सदस्य का ध्यान इसी ओर खींच रहा था। जितने भी असरकारी प्रस्ताव होते हैं उनके लिये बैलट होता है और जिस क्रम से वे निकलते हैं उसी क्रम से उनको पेश किया जाता है। जिसका नम्बर पहले निकलता है उस पर पहले बहस होगी। यह बात कहना उचित प्रतीत नहीं होता कि पहले विरोधी दल के सदस्यों के प्रस्ताव आवें और दूसरी बात यह कि आप किसी की ईमानदारी पर हमला नहीं कर सकते।

श्री देवनारायण भारतीय—मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूं। मेरी मंशा यह कभी नहीं थी कि सरकारी पक्ष की ओर से ईमानदारी नहीं बरती जा रही है। मैं जो बात कह रहा था वह यह थी कि उन्हीं प्रस्तावों पर बहस हो जिन पर बहस होने से सदन और प्रान्त की जनता का कल्याण हो तो वह ज्यादा अच्छी बात है, बजाय इसके कि सरकारी सदस्यों के प्रस्तावों पर बहस हो और वे वापस ले लिये जायं। मेरी मंशा केवल इतनी ही थी।

जहां तक बैलट का प्रश्न है वह तो मैं भली प्रकार जानता हूं कि बैलट में जो प्रस्ताव पहले आ जाते हैं वे पहले पेश किये जायेंगे उसी क्रम से और यह भी निश्चित है कि उनमें से अधिकांश सरकारी बेंचेज के सदस्यों के ही होंगे क्योंकि उनकी संख्या विरोधी पक्ष वालों से दुगुनी है....

श्री अधिष्ठाता—यह आवश्यक नहीं है कि सरकारी सदस्यों के ही प्रस्ताव आवें। किसी का भी, प्रस्ताव, सरकारी या असरकारी सदस्य का प्रस्ताव हो, आ सकता है।

श्री देवनारायण भारतीय—श्रीमन्, मैं इस सम्बन्ध में सदन के सामने आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक इन भिखारियों की समस्या का प्रश्न है, १९३८ में इस प्रान्त में इसी सदन में यह प्रस्ताव सबसे पहले मैंने इस सदन के एक सदस्य की हैसियत से पेश किया था। उस समय मैं भी ट्रेजरी बेंचेज में था।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—उस वक्त क्या प्रस्ताव का हाल हुआ था, इतना मैं जानना चाहता हूं।

श्री देवनारायण भारतीय—वही मैं कहने ही जा रहा था। उस समय मुझे भी ट्रेजरी बेंचेज में होने के प्रायश्चित में विवाद के पश्चात् उसको वापस लेना पड़ा था। वह तो एक अभिशाप है ट्रेजरी बेंचेज में होने का, वही बात मैं आपके सामने वर्णन कर रहा था।

उसके बाद इस भिखारी की ही समस्या को फ्रांटियर के एक माननीय सदस्य ने वहां की असेम्बली में रखा। उसके बाद बम्बई की असेम्बली में रखा गया और उसके बाद यह भी हुआ कि हमारे प्रान्त में बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज ने इस प्रस्ताव को अपनी ओर से स्वीकार करके अपनी-अपनी हद के अन्दर भीख मांगना रोक दिया था। तो मैं इस बारे में आपके द्वारा सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि यह समस्या इतनी साधारण नहीं है कि जिस तरीके पर माननीय बहुगुणा जी ने उसको अपने भाषण के द्वारा सदन को समझाने का प्रयत्न किया।

[श्री देवनारायण भारतीय]

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि भीख मांगना इतना निषिद्ध कर्म है कि इसके लिये मनुष्य कभी स्वाभाविक रूप से तैयार नहीं होता। मनुष्य जब विवश हो जाता है तभी वह भिक्षा मांगने के लिये तैयार होता है। हमारे समाज में एक प्राचीन कहावत है कि "उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान"। भीख एक ऐसा काम है जिसको कि हमारे समाज शास्त्रियों ने बहुत पहले से निषिद्ध बता रखा है, जो न करने का काम है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि हमारे समाजशास्त्रियों ने इसे दंड रूप में भी रखा था। जिन लोगों से गऊ की या किसी और पशु की हत्या हो जाय करती थी, हमारे समाज का यह नियम था कि वे उसकी पूंछ लेकर गांव गांव, चाहे वह जितने धनवान हों, लेकिन भिक्षा मांगते हुये ही वह हत्या-हरण को जाते थे, और जैसी कि हमारी समाज का भावना थी, हत्या-हरण में जा कर के उस पाप से मुक्ति होती थी। उसके लिये आवश्यक था कि वह भिक्षा मांगते हुये जायं और भिक्षा मांगना एक सामाजिक दण्ड था और भी ऐसे पाप थे जिनके लिये समाज की ओर से ऐसे दण्ड थे कि गांव में भिक्षा मांगें, तब गांव के पंच लोग उस अपराध को क्षमा कर सकते थे। लोगों से अक्सर गांव में रहते हुये अपराध हो जाया करते हैं, जिन से समाज रुष्ट हो जाता है। तो ऐसे रिवाज आज भी जहां-तहां गांव में मौजूद हैं कि जहां छोटे-छोटे अपराधों पर, उदाहरणतः किसी पराई स्त्री के प्रति दुर्भावना रखने पर समाज ऐसा दण्ड देता है कि वह आदमी गांव के प्रत्येक दरवाजे पर जाकर के भीख मांगे और उसके बाद उस गांव के पंच लोग उस व्यक्ति को क्षमा प्रदान करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भिक्षा मांगना एक बहुत ही निषिद्ध कर्म है।

दूसरी बात, हमें इस पर एक दृष्टि से यह भी विचार करना है कि भीख मांगना तभी मनुष्य शुरू करता है जब वह बेकारी से, गरीबी से और बेरोजगारी से मजबूर हो जाता है। इसकी जिम्मेदारी उसी व्यक्ति पर नहीं है, जो कि भीख मांगता है, बल्कि समाज पर, सरकार पर और राष्ट्र पर है जिसका कि वह एक अंग है। तो जिस साधारण स्थिति से माननीय पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी महोदय ने इस विषय को टालने का प्रयत्न किया वह उचित नहीं है। मैं इस बारे में आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी समझे और ऐसे उपाय काम में लाये जिनसे भीख मांगना रुके।

मैं इस बारे में जो भीख मांगने के रोकने के उपाय हैं उनके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। कुछ भिखारी अवश्य ऐसे हैं जो भीख मांगने के लिये मजबूर हैं। अपंग हैं, अंधे हैं अथवा ऐसे लोग हैं जो परिश्रम नहीं कर सकते हैं। जहां तक छूत की बीमारी के भिखारी हैं उनके लिये सरकार का कर्तव्य है कि उनको भीख न मांगने दे। कोढ़ी अगर भीख मांगता है तो उसके द्वारा समाज में कोढ़ की बीमारी फैलती है। इसलिये उसको भीख मांगने से रोकने के लिये न सही तो समाज में कोढ़ की बीमारी फैलने न पाये, ऐसे मरीजों के लिये पहाड़ों में गंगा के किनारे या और उपयुक्त स्थानों पर सरकार द्वारा आश्रम खोले जायं और उनको वहां जबर्दस्ती पकड़कर रखा जाय और उनका इलाज कराया जाय जिससे भीख मांगने की कुप्रथा बंद हो जाय और साथ ही साथ इस रोग के बढ़ने की भी आशंका न रहे। इस प्रकार के रोगियों के लिये यानी भिखारियों के लिये सरकार कानून बनाये और उनको जबर्दस्ती पकड़कर इलाज कराये।

इसके अलावा ऐसे लोग हैं, जो अपंग हैं, अंधे हैं और जो अपनी रोजी नहीं कमा सकते हैं उनके बारे में मैं समझता हूं कि प्रत्येक म्युनिसिपैलिटी, टाउन एरिया या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मातहत हैं, उनको सरकार ऐसा अनुदान दे कि जिसके द्वारा वह अपने अपने क्षेत्रों में इन भिखारियों को एक जगह पर रखकर उनके जीवन निर्वाह की व्यवस्था करे बजाय इसके कि वह समाज में जहां तहां बिखरे रहकर लोगों की दया पर निर्भर रहें। जो स्वायत्त शासन की संस्थायें हैं उनकी जिम्मेदारी हो कि वह उनको आश्रमों में रखकर उनके जीवन निर्वाह का प्रबंध करें।

इसके अलावा एक प्रकार के ऐसे भिखारी हैं जो स्वस्थ हैं उनके बारे में सरकार कानून बनाये कि मुस्टंड लोग जो परिश्रम कर सकते हैं उनको भीख मांगने देना समाज के साथ सरकार का अन्याय है। इसलिये सरकार उनको भीख मांगने से रोके और उनको मजबूर करे कि वह परिश्रम करें या फिर जेलखाने में रखकर उनको परिश्रम करना सिखायें। एक प्रकार के और भिखारी हैं जो पंडे और पुजारी कहलाते हैं। यह लोग अपने घरों पर रहते हैं और बड़ी बड़ी गद्दी बनाये हुये हैं। मैं उनके लिये आवश्यक समझता हूं कि इन गद्दीधारी भिखारियों की गद्दियों को सरकार जब्त कर ले और इनको समाज का सेवक बनाने के लिये यत्न करे।

एक और प्रकार के भिखारी हैं जो जातिगत हैं और जो हमारे समाज में बहुत पुराने चले आ रहे हैं। यह हिन्दू और मुसलमान दोनों में पाये जाते हैं और यह लोग अपना जातिगत अधिकार भीख मांगना समझते हैं। मैं समझता हूं कि सरकार ऐसे कानून बनाये जिनसे इनको रोका जा सके। इसके साथ ही साथ सरकार प्रचार-कार्य भी करे और ऐसे पैम्फलेट्स छपवाये जिससे इन लोगों के अन्दर आत्मग्लानि की भावना पैदा हो कि भीख मांगना किसी का भी अधिकार नहीं हो सकता है, भीख मांगना निषिद्ध है, बुरा है और सबके लिये बुरा है। यह भावना उनके अन्दर जागृत हो और वे भीख मांगने से बाज आयें। उन जातियों के अन्दर परिश्रम करने की भावना पैदा हो और उन जातियों के नवयुवक शिक्षित होकर भीख मांगने से अपने आप को वंचित रखें और आगे आने वाली औलादों को यह शिक्षा दें कि वे भीख मांगना बन्द कर दें। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह अपना कर्तव्य समझता हूं कि माननीय अग्रवाल जी ने जिस समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है उसके लिये उनको बधाई दूं। इसमें सन्देह नहीं कि भीख मांगने की समस्या हमारे लिये एक बहुत बड़े कलंक की बात है। यदि कानून बनाने से इस समस्या का निराकरण हो सकता है तो मेरे खयाल से इस सदन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इसके पक्ष में न हो। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो समस्या आपके देश में है वह उस बड़ी समस्या का एक अंग है जिसको हल किये बिना इस समस्या का हल नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि आपके देश की बढ़ती हुई आबादी, उससे देश की भूमि पर बढ़ता हुआ भार और उसके साथ कार्य के दूसरे साधनों का प्रयुक्त न होना, यही हमारी समस्याएं हैं। जिनके हल किये बिना इस देश में यदि आप कोई भी भिक्षा सम्बन्धी कानून बनायें तो उसका कोई व्यावहारिक रूप आपके सामने नहीं हो सकता। मैंने एक दफा एक पत्र में एक लेख लिखा था, उसका शीर्षक था "मोबिलाइजेशन आफ़ मैन पावर इन इंडिया"। आज अपने देश में इस बात के सर्वे की आवश्यकता नहीं है कि कितने लोग भीख मांगते हैं बल्कि आवश्यकता तो हमें उस सर्वे की है कि हमारे इस प्रदेश में जो महान जनबल है उसका हम प्रयोग किन-किन कार्यों में कर सकते हैं। आप कानून बनायें, लेकिन यदि उस जन बल का प्रयोग करने के लिये आप के पास साधन नहीं हैं तो उसमें कोई बल नहीं होगा। इसीलिये मैंने कितने ही बार इस सदन का ध्यान दिलाने की चेष्टा की है कि आज इस देश की गरीबी, इस देश की बेकारी और इस देश की अर्ध बेकारी को दूर करने का एक ही साधन है कि हम लोगों के लिये नये नये काम निकालें और वह काम इस देश के छोटे-छोटे उद्योगों को जागृत करने से हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में मैं कोई विशेष जोर इस समय न दूं। मैं तो आपके सामने जिस समस्या का जिक्र श्री अग्रवाल जी ने किया है उस सम्बन्ध में कुछ व्यावहारिक बातें कहना चाहता हूं।

श्रीमन्, इस देश में भिक्षा मांगने की शुरूआत एक बड़े सात्विक रूप में हुई थी हमारे देश के विद्यार्थी और महान् व्यक्ति, जो सामाजिक और मानवीय कार्यों में लगे थे, भिक्षा मांगकर अपना जीविकोपार्जन किया करते थे। यह हमारे धर्म का अंग बन

[श्री देवकीनन्दन विभव]

गया था और प्रत्येक व्यक्ति इस महान कार्य में सहायता करने को उत्सुक था। दान देने की भावना हमारी संस्कृति का एक अंग थी, लेकिन आज वह रूप हमारे यहां नहीं रह गया है, न हमको उसे आज देश में चालू रखने की आवश्यकता ही है। जैसा कि अग्रवाल जी ने कहा, उसके आज तीन रूप हो सकते हैं। हां, समाज के लिये यदि आवश्यकता है तो हम आश्रम आदि खोल कर उसकी पूर्ति कर सकते हैं और उस भावना की पूर्ति के लिये हम उन आश्रमों को धन दे सकते हैं, लेकिन आज भिक्षा को सामाजिक और व्यावहारिक रूप देकर अपनी संस्कृति पर एक धब्बा और नहीं डालना चाहते। इसके बाद अपंग लोगों की तथा उन समर्थ लोगों की बात है जिन्होंने भिक्षा को अपना पेशा बना लिया है। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि साहब रेल का टिकट लिया था, गिर गया या हमारी जेब कट गई, बटुवा निकल गया और मुझे वहां जाना है इसके लिये इतना रुपया चाहिये। आपने यह भी देखा होगा कि बहुत सी स्त्रियां किसी एक व्यक्ति और बच्चे को लेकर घूमती हैं कि साहब इस बच्चे का जन्म अभी हुआ है, इसके लिये पैसा चाहिये। तो इस प्रकार की तमाम भीख मांगने की प्रथायें चली हैं। इसके अलावा कुछ लोग गायों को लेकर चलते हैं, कहते हैं कि इनके लिये चारे की जरूरत है। तो इस तरह के १५, २० ढंग मैंने अभी देखे हैं। इसके अलावा मैंने यह भी देखा है कि जो बड़े शहर हैं उनमें लोग लड़कों और भिखारियों को रखते हैं और उनको रोजाना के हिसाब से वेतन देते हैं और उसके बाद जो भिक्षा आती है वह उनके पास जाती है। उससे वह काफी रुपया कमाते हैं। उनको सिखलाने के लिये कोई स्कूल या कालेज तो नहीं कहता, लेकिन ऐसे व्यक्ति हैं कि जो उनको तरह तरह की बातें सिखलाते हैं कि किस तरह से भिक्षा मांगनी चाहिये और किस प्रकार लोगों में दयावृत्ति उत्पन्न करनी चाहिये। यह तो आज असंभव है कि आप कोई ऐसा कानून बना दें कि जिस से भिक्षा मांगना दण्डनीय हो जाय। क्योंकि अगर ऐसा हो जाय तो इस प्रदेश में लाखों आदमी ऐसे हैं कि जो भिक्षा से अपना निर्वाह करते हैं। उनकी जीविका कानून पास करने के बाद आप को चलानी होगी और मैं नहीं समझता कि आप क्यों उनकी व्यवस्था करें और जो लाखों व्यक्ति बेकार हैं उनकी व्यवस्था आप क्यों न करें। मैं यह कह रहा हूं कि कोई सोशल जस्टिस इस बात के लिये नहीं है कि जो लाखों आदमी बेकार हैं उनके लिये खाने-पीने की व्यवस्था क्यों न की जाय और उनके लिये क्यों की जाय जो काम करना नहीं चाहते हैं और भिक्षा मांगते हैं। पहले वह भिक्षुक के रूप में आपके सामने आये तब आप उनके लिये खाने का प्रबन्ध करें, यह किसी प्रकार से उचित नहीं है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो भिक्षा मांगते हैं यदि उनके लिये आप आज कुछ प्रबन्ध करना चाहते हैं तो मेरा अनुमान है कि ५० करोड़ रुपया सालाना आपको व्यय करना होगा। बजट का आधा रुपया भिखारियों की सारी समस्याओं को हल करने के लिये यहां कानून बनाकर आपको व्यय करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि आप इतना तो कर ही सकते हैं कि १८ वर्ष से कम उम्र का लड़का भीख मांगता है तो उसको आप भीख मांगने से रोक दें। इसका परिणाम यह होगा कि ऐसे जो छोटे-छोटे बच्चों से भीख मंगवाते हैं उन प्रोफेशनल भिखारियों के लिये एक रुकावट पैदा हो जायगी और आगे के लिये इस समस्या का निराकरण आप कर सकते हैं। आप अगर यह कानून बनायें कि जो लोग दूसरे लोगों को साधन बनाकर इस प्रकार का व्यापार करेंगे उनको दण्ड दिया जायगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायगी तो इस से लाभ होगा। इतना आप कर सकते हैं। दूसरा काम आप यह कर सकते हैं कि जो नाबालिक बच्चे हैं अगर वे भीख मांगते हैं तो उनको किसी इंस्टीट्यूशन में भेजा जाय या उनके लिये कोई संस्था खोलें। मेरा खयाल है कि हमारे प्रदेश में इस समस्या के लिये यह पहला कदम उठाया जा सकता है। आप यह कर सकते हैं कि जो १८ वर्ष से कम नाबालिक बच्चे हैं

उनके लिये कोई कानून बनायें कि वे भीख नहीं मांग सकते हैं। अगर वे भीख मांगते हैं तो उनके लिये आश्रय देने की व्यवस्था करें।

मैं समझता हूं शायद हमारी स्टेट इस बात की व्यवस्था कर सकती है। धन की पूर्ति के लिये, जो इसमें जरूरत होगी, अनेक साधन हो सकते हैं। आज धर्मादा का बहुत सा रुपया लोगों के पास पड़ा है। ऐसे व्यावहारिक साधन प्राप्त कर सकते हैं जिनसे हम उनको चला सकें मेरा खयाल यह है कि इस समस्या का निराकरण हमें व्यावहारिक रूप में करना चाहिये। हम को इस बात को सोचना है कि हम इस को किस तरह से कर सकते हैं जो हमारे साधनों के अन्दर हो। बस मुझे इतना ही कहना था।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)---श्रीमन्, आपने मुझे सदन के समक्ष भिक्षा सम्बन्धी जो प्रस्ताव है उस पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। मंत्री जी के बोलने के पहले इस समस्या पर कुछ अपने विचार प्रकट करने का मेरा इरादा नहीं था लेकिन माननीय मंत्री जी ने जिस समय अपने अनुभव बतलाये तो उन्होंने इस समस्या का ऐसा पक्ष हमारे सामने रखा कि जिस पक्ष के ऊपर मैं अपने विचार समाज-शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते सदन के सामने रखना आवश्यक समझता हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि जब भिखारियों को ऐसे आवास-गृहों में, जहां उनके खाने-पीने की अच्छी व्यवस्था है, ले जाया जाता है, तो भिखारी वहां जाने से हिचकते हैं। श्रीमन्, इसका कारण क्या है? इसका सब से बड़ा कारण यह है कि इस समस्या का सम्बन्ध केवल भिखारियों के आर्थिक जीवन से ही नहीं है। इस समस्या का सम्बन्ध उनके विचारों से भी है। इसलिये अगर इस समस्या पर आप बुनियादी तौर पर कुछ विचार करना चाहते हैं तो इसके लिये रचनात्मक कार्यक्रम आप बनायें। इस समस्या के विभिन्न पहलू हैं और उन पहलुओं पर विचार करने के लिये वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनायें, हमारे पूर्व वक्ता विभव जी ने कुछ पक्ष इस समस्या के बहुत सुन्दर ढंग से रखे। जैसा उन्होंने बताया, भिक्षा शब्द प्राचीन भारत में आर्य संस्कृति में बड़ा आदर का शब्द रहा है। आज भी बड़े-बड़े काम भिक्षा के ऊपर हुये हैं। काशी जैसा विश्वविद्यालय महामना जी ने भिक्षा के ऊपर ही खड़ा किया है। कौन नहीं जानता है कि हमारे वालंटियर गांवों में मुठिया मांगा करते थे? आज सरकार भी कुछ समस्याओं को हल करने के लिये भिक्षा का सहारा लेती है। अस्पताल में टी० बी० की सील खरीदने के लिये रोगी को विवश किया जाता है। तो क्या यह भिक्षा का एक बदला हुआ रूप नहीं है?

भिक्षा का विचार हमारे मन में इस प्रकार स्थान पा जाता है कि सहज में हम इसके प्रति घृणा पैदा नहीं कर सकते हैं। अंग्रेजी सभ्यता में हम देखते हैं कि बैग, बारो और स्टील तीनों ही बहुत बड़ी बुराइयां मानी गई हैं, लेकिन हमारे यहां ऐसी बात नहीं है। भिक्षा के सांस्कृतिक पहलू के साथ आर्थिक पहलू भी है। मंत्री जी ने स्वयं कहा कि बम्बई में कानून के होते हुये भी बच्चे नये ढंग से भिक्षा मांगने निकलते हैं। तो भिक्षा की वृत्ति किसी न किसी रूप में चलती रहेगी। आइडियाज आर दी प्रौडक्ट आफ सिचुएशन "Ideas are the product of situation. विचार किसी विशिष्ट परिस्थिति से प्रसूत होता है और बिना परिस्थिति को बदले विचार नहीं बदला जा सकता है, क्योंकि विचार पैदा होने के बाद अपनी स्वतंत्र सत्ता बना लेता है। परिस्थिति भले ही बदल जाय लेकिन विचार स्वस्थ विचार से ही बदल सकता है। हमें भौतिक परिस्थिति और विचार दोनों को ही सुधारना है। आज हम ऐसी अर्थ-व्यवस्था में रहते हैं जहां आर्थिक निश्चितता नहीं है। हमारे देश में लोगों का भविष्य अनिश्चित है। पहले यहां के शासनकर्ताओं को, व्यवस्थापकों को, इस समस्या को हल करने के लिये आर्थिक निश्चितता पैदा करनी होगी। बिना इसके भिक्षावृत्ति का विनाश नहीं किया जा सकता है। यह वृत्ति इस देश के मानस में बहुत बड़ा स्थान रखती है। उसे अच्छे विचारों द्वारा समाप्त करना होगा। इसके साथ ही साथ कि लोग भिक्षा की तरफ न जावें, उनको स्वस्थ विचार देने होंगे। हमें यह भी देखना है कि और देशों ने इस दिशा में क्या किया है। मैं आपकी आज्ञा से रूस का उदाहरण पेश करना चाहता हूं। जब रूस स्वाधीन हुआ और रचना की तरफ

[श्री रामायण राय]

अपना कदम बढ़ाया तो वहां कांसेन्ट्रेशन कैम्प्स खोले गये, बड़े-बड़े स्थान बनाये गये जहां पर ऐसे भिखमंगों को एकत्र करके प्रशिक्षित किया जा सके। उनके लिये एक नये प्रकार की चिकित्सा का ढंग निकाला गया। ऐसे लोगों को सुधारने के लिये उनको काम दिया गया जिसको वह आसानी से कर सकते हों। इसको उन्होंने आक्यूपेशनल थिरेपी यानी किसी धंधे में लगकर अपनी मानसिक प्रवृत्तियों को ठीक करने का नाम दिया। उनको आक्यूपेशन में लगाया गया और उन पर यह पाबन्दी रखी गयी कि वे बाहर न जाने पावें। उन लोगों में ऐसी प्रवृत्ति पैदा की गयी जिससे वे लोग फिर भिखारी न बनें। जो लोग सुधार कैम्प्स में रखे गये उनकी मानसिक शक्ति को ही ठीक नहीं किया गया बल्कि उनकी शारीरिक शक्ति को भी बढ़ाया गया। आपके यहां आखिर क्या होता है? कुछ अनाथालयों के जरिये, कुछ आश्रमों के जरिये मेरा अपना ऐसा अनुभव है कि ऐसे लोग पाले और पोसे जाते हैं जिनके मां-बाप हैं। कहने के लिये तो वे अनाथालय हैं लेकिन उनमें ऐसे ही लोग रहते हैं जिनके रहने के लिये छोटे-मोटे आश्रय-स्थल हैं। कुछ ऐसी मेंटैलिटी हो गयी है, माननीय मंत्री जी मुस्करा रहे हैं लेकिन मैं उनको अपने मन की बात बतला देना चाहता हूं कि वहां पर भर्ती होने के लिये बड़ी भीड़ लगती है, घूसखोरी चलती है और सिफारिशें तक पहुंचायी जाती हैं कि हमारे लड़के को अनाथालय में ले लिया जाय।

मैं नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन काशी में एक भिनगा राज अनाथालय है जहां पर छोटे-छोटे बच्चे भर्ती किये जाते हैं। उस अनाथालय में प्रवेश पाने के लिये नाना प्रकार की चेष्टायें होती हैं, इसलिये कि वहां प्रवेश पाने के बाद लड़के को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधायें प्राप्त हो जाती हैं। अगर उसका ठीक ढंग से पता लगाया जाय तो क्या उस अनाथालय में ऐसे ही लड़के हैं जिनके पास जीविका का कोई साधन नहीं है? क्या वहां ऐसे ही लड़के हैं जिनके माता-पिता नहीं हैं? मैं नाम नहीं लेना चाहता, एकाध मेरे मित्र भी हैं जिन्होंने ऊंची से ऊंची शिक्षा उसी अनाथालय के सहारे प्राप्त की और आज वे दूसरे लोगों के साथ हैं। ऐसे लोग जो अपना मतलब निकाल कर ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो उनका ध्यान उस तरफ नहीं जाता, बल्कि वे उसको बिल्कुल भूल जाते हैं। "चैरिटी ब्वायज सेल्डम प्रास्पर"। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि ऐसे लोगों को जब आगे बढ़ने का मौका होता है तब तो वे उससे फायदा उठा लेते हैं, लेकिन जिन लोगों के यहां पैदा होते हैं, जिन लोगों के बीच में पाले-पोसे जाते हैं, उनको उस मौके पर भूल जाते हैं। जिस तरह से हम लोग जब जेल में रहते थे, तो जहां तीन चार साल रहे और सोचते थे कि यहां से जाने के बाद वहां के सिपाहियों से और जेलर से जब तब मिला करेंगे, आज उनका स्मरण करने को भी जी नहीं चाहता है। उसी तरह से आज ऐसे लोगों की यह हालत है कि जिस संस्था के द्वारा इतना आगे बढ़े अब उस संस्था की तरक्की की तरफ कोई ध्यान देना भी उचित नहीं समझते। मैं अपने देश के महामंत्री का एक उद्धरण देना चाहता हूं कि एक अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी मीटिंग के अवसर पर वे काशी विद्यापीठ के विद्यार्थियों के बीच में आये थे। उस अवसर पर एक प्रस्ताव यह आया कि जिस तरह से और अनाथालय के बच्चे बाजा बजा-बजा कर भीख मांगते हैं उसी तरह से काशी विद्यापीठ के विद्यार्थी भी भीख मांगा करें। इस पर हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस प्रस्ताव का घोर विरोध किया और उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि हमारे विद्यार्थियों के अन्दर इस तरह से कोई ही नता की भावना आवे जो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिये बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है। काशी विद्यापीठ की अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी मीटिंग के अवसर पर हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो अपने विचार व्यक्त किये थे, उनके विचारों में मैं पूर्णतः अपनी सहमति प्रकट करता हूं और ऐसा मानता हूं कि इस देश में अगर इस समस्या का कोई वास्तविक समाधान करना है और इस देश में कोई रचनात्मक कदम उठाने का सरकार का इरादा है तो कानून का सहारा लेने से इसको दूर नहीं किया जा सकता है।

हमारे पूर्व वक्ताओं ने अनेकानेक इस प्रकार के उदाहरण देकर बतलाया कि अनेकों कानून समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिये जो बनाये गये, वे कानून सर्वथा असफल

रहे और उनसे कोई लाभ नहीं हुआ। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिये सामाजिक चेष्टा होनी चाहिये। एक व्यक्ति के रोकने से यह चीज दूर नहीं हो सकती है। इसकी पूरी जिम्मेदारी समाज के ऊपर होनी चाहिये कि वह सामूहिक रूप से इस तरह का प्रयास करे तभी इस तरह की समस्यायें हल हो सकती हैं।

अभी हाल ही में गोरखपुर में २०० खलासियों की जगह निकली थी जिसके सम्बन्ध में आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि उसके लिये १०,००० आदमी आये जिनमें बी० ए०, एम० ए० और हाई स्कूल पास तक भी थे। वहां इतनी ज्यादा भीड़ हुई कि उनको हटाने के लिये पुलिस को हवाई फायर तक करना पड़ा। हमारा समाज जो इतना जर्जर हो गया है और हमारी योजना किस तरह से चल रही है उसका इससे बढ़कर सुन्दर और ज्वलन्त उदाहरण कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो ऐसे समय में कोई योजना अवश्य हो सकती है और कोई बात विचारणीय जरूर हो सकती है जिससे कि लोगों में आर्थिक निश्चितता लाई जाय। यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है। भ्रष्टाचार की तमाम बातें आये दिन होती हैं।

श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)—अधिष्ठाता महोदय, यह जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख है भिक्षार्थियों के बारे में उस पर सदन में बहुत लम्बा विवाद चला। इस सम्बन्ध में मुझे भी कुछ अपनी बातें रखनी हैं। इस सूबे में जो भिक्षा मांगने वाले हैं उनकी कई जमाअतें हैं इस प्रस्ताव के विषय में हमें और सरकार को सबको बड़ी गम्भीरता से विचार करना है। अभी हमारे एक मित्र ने बताया कि इस देश में भिक्षार्थियों की कई जमाअतें हैं और बहुत सी संस्थायें भी भिक्षा से बनी हैं जैसे काशी विश्वविद्यालय है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जिसको सर सैयद अहमद खां ने तमाम देश से चन्दा लेकर बनाया। हमारे देश की यह एक प्राचीन परिपाटी थी और भारतवर्ष का एक सुनहरा जमाना था कि विद्यार्थियों को आर्यवृत्त में गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी और वह भिक्षावृत्ति करते थे, लेकिन आज जो भिक्षार्थी का मतलब है वह दूसरा है और वह एक समस्या हमारे देश की बन गई है। अब प्रश्न यह है कि इस भयानक रोग का निदान क्या हो, इसके बारे में हमें सोचना है। हमारे मंत्री जी एक स्वतन्त्र विचार के आदमी हैं और मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि भिक्षार्थियों की समस्या पर जितनी जोर के साथ विचार होना चाहिये वह नहीं हो रहा है, इस समस्या का समाधान अविलम्ब होना चाहिये। एक तबका देश में ऐसे लोगों का है कि जो नाजायज तरीके से भीख मांगता है, जब आप रेल में सफर करते हैं या मोटर से जाते हैं या कहीं जाते हैं यात्रा आदि में तो ऐसे दीनहीन भिखारियों के दर्शन होते हैं और एक ऐसा नज्जारा सामने आता है कि हृदय दो टूक हो जाता है, वह गरीबी के कारण चिथड़ों में लिपटे हुये, लाचार होते हैं और एक हृदयविदारक दृश्य पैदा कर देते हैं।

श्री अधिष्ठाता—अब आप अपना भाषण अगले दिन जारी रखें, ५ बज रहे हैं और मुझे सदन को कुछ सूचनायें देनी हैं।

कतिपय स्थायी समितियों के निर्वाचन के विषय में सूचना

श्री अधिष्ठाता—मुझे सदन को ३ सूचनाएं देनी हैं। प्रथम यह है कि स्थायी समितियों से नाम वापस लेने के हेतु माननीय अध्यक्ष ने तिथि बढ़ा कर १८-९-५७ को ३ बजे दिन तक कर दी थी। जेल, यातायात तथा सूचना स्थायी समितियों के लिये अभ्यर्थियों की संख्या रिक्त स्थानों से अधिक है। अतः निर्वाचन की आवश्यकता है। निर्वाचन १९-९-५७ को विधान वाचनालय में ११ बजे से ३ बजे तक होगा। उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय समिति के ४ स्थानों के लिये भी ११ नामांकन पत्र प्राप्त हुये हैं। अतिरिक्त अभ्यर्थियों के नाम वापस न लेने के कारण इसके लिये भी निर्वाचन की आवश्यकता है। यह निर्वाचन भी १९-९-५७ को ११ बजे से ३ बजे तक विधान वाचनालय में होगा।

कतिपय स्थायी समितियों के लिए निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अधिष्ठाता—दूसरी सूचना यह है कि शेष स्थायी समितियों के लिये निम्न सदस्यों को निर्वाचित घोषित किया जाता है। शरणार्थी स्थायी समिति—श्री बालेश्वरी सिंह तथा श्री वीरेन्द्र विक्रम सिंह। वन स्थायी समिति श्री प्रताप भान प्रकाश सिंह तथा श्री शेख अल्लाह बख्श। समाज कल्याण स्थायी समिति— श्री दुर्योधन प्रसाद तथा श्री परमेश्वरीदीन वर्मा व राष्ट्रीय इम्प्लायमेंट सेवा स्थायी समिति—श्री अब्दुल रऊफ लारी। आबकारी स्थायी समिति— श्री नरदेवसिंह। सामान्य प्रशासन स्थायी समिति—श्री अवधेशप्रताप सिंह। स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी स्थायी समिति—श्री असलम खां।

प्राक्कलन समिति के लिए श्री रूमसिंह के निर्वाचन की घोषणा

श्री अधिष्ठाता—तीसरी सूचना यह है कि प्राक्कलन समिति में एक स्थान की पूर्ति के लिए आज एक बजे तक नाम वापस लेने का समय निर्धारित किया गया था। श्री रूमसिंह ने अपना नाम वापस नहीं लिया है। अतः श्री रूमसिंह, सदस्य विधान सभा को विधिवत् निर्वाचित घोषित किया गया।

भ्रष्टाचार सम्बन्धी कमेटियों के निर्माण के सम्बन्ध में श्री कल्याणचन्द मोहिले के ११ सितम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न ३—५ के विषय पर विवाद

श्री अधिष्ठाता—अब क्रम संख्या ८ में वर्णित विषय पर विवाद होगा।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—माननीय अधिष्ठाता जी, ११ सितम्बर, १९५७ को माननीय कल्याणचन्द मोहिले के प्रश्न संख्या ३, ४ और ५ के उत्तर जो सरकार की ओर से दिये गये तथा उसी दिन इन्हीं प्रश्नों के पूरक प्रश्नों के जो उत्तर सरकार की ओर से दिये गये उन पर मुझे एतराज था। उस समय पूरक प्रश्न करते हुए भी मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया था और जब मुझे संतोष नहीं हुआ तभी मैंने आज इस विषय पर आपसे विवाद के लिये आज्ञा मांगी थी।

मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जो उत्तर उस दिन दिये थे कि जो डी० एस० पी० कम्प्लेन्ट्स प्रत्येक जिले में रखे गये हैं वे इस बात की प्रतीक्षा नहीं करते हैं कि सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस की स्वीकृति ले लें बल्कि वे स्वयं ही अपनी जांच आरम्भ कर देते हैं इसके विपरीत मेरा अपना अनुभव था और उसी के आधार पर मैंने पूरक प्रश्न किये थे। मैंने अपने जिले शाहजहांपुर में कई शिकायतें डी० एस० पी० कम्प्लेंट्स के सामने रखीं और उनमें कुछ ऐसी थीं जो पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध थीं और जिनमें तात्कालिक कार्यवाही करने की आवश्यकता थी। परन्तु उन्होंने अपनी मजबूरी प्रकट की कि मैं जब तक सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस की अनुमति नहीं ले लूंगा तब तक मैं इन पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। इस मामले में मैंने उनसे यह भी पूछा कि क्या पुलिस कर्मचारियों के अतिरिक्त दूसरे लोगों के विरुद्ध भी जो शिकायतें होंगी उनमें भी क्या ऐसा आवश्यक है कि जिलाधीश अथवा एस० पी० की आज्ञा के बिना आप कार्यवाही कर सकते हैं अथवा नहीं। इस पर उनका उत्तर यही था कि जो पुलिस के कर्मचारी की शिकायत होगी बिना एस० पी० की आज्ञा के उसकी हम इनक्वायरी नहीं कर सकते और पुलिस के अलावा और विभागों के जो कर्मचारी होंगे उनकी जो शिकायत होगी उसके बारे में हम बिना जिलाधीश की आज्ञा के कोई इन्क्वायरी नहीं कर सकते। उस दिन माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया वह इस बात के विपरीत था। इसलिए मुझे इस विवाद के मांगने की आवश्यकता प्रतीत हुई।

मैं, श्रीमन्, आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन डी० एस० पी० कम्प्लेन्ट्स का जिले में रहना केवल इसीलिए आवश्यक समझा गया है जिससे रिश्वतखोरी

जिलों में बन्द हो। मैं इस बारे में आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि उन्होंने प्रत्येक जिले में एक ऐंटी करप्शन कमेटी भी बनायी है। उसका भी उद्देश्य यही है कि रिश्वतखोरी रोकी जाय। लेकिन मंत्री जी ने आज के कुछ प्रश्नों के उत्तर में, माननीय मुक्तिनाथ राय जी के प्रश्न संख्या ११५, ११६ तथा ११७ के उत्तर में जो प्रश्नोत्तर के समय आज सदन में नहीं आ सके, परन्तु उत्तर में माननीय मंत्री जी ने यह बतलाया है कि ऐंटी करप्शन कमेटी का डी० एस० पी० कम्प्लेंट्स से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। मैं इस बारे में श्रीमन्, यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब दोनों ही संस्थाओं का, डी० एस० पी० कम्प्लेन्ट्स और ऐन्टी करप्शन कमेटीज का एक ही उद्देश्य है कि जिले में रिश्वतखोरी बन्द हो तो उनका परस्पर सम्बन्ध न होना इस बात का द्योतक है कि वे दोनों ही अपनी-अपनी जगह पर बेकार हैं। ऐन्टी करप्शन कमेटी के पास आसानी से जनता पहुंच सकती है अपनी शिकायतों को ले करके और उनके द्वारा जो शिकायत डिप्टी सुपरिन्टेन्डेंट आफ पुलिस कम्प्लेंट्स के पास जाय उसका वह तुरन्त उनके कोआपरेशन से पता लगाये और उस कर्मचारी को पकड़ने के लिये तैयार हो, तभी ये संस्थायें दोनों मिल करके कामयाब हो सकती हैं और रिश्वतखोरी रोकी जा सकती है। जब तक कि इन दोनों संस्थाओं को परस्पर मिलने का, परस्पर एक दूसरे से परामर्श करने का और सहयोग करने का अवसर नहीं है तब तक मैं समझता हूं वे दोनों संस्थायें अपनी-अपनी जगह पर बेकार हैं और सरकार का जो उद्देश्य है कि रिश्वतखोरी जिले में रुके वह नहीं रुक सकती है।

मेरा एक सुझाव और है। जहां तक पुलिस के कर्मचारियों की शिकायत है, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट कम्प्लेंट्स जिसके बारे में आज मंत्री जी ने माननीय मुक्ति नाथ राय जी के प्रश्न के संबंध में उत्तर दिया है कि वह जिला स्तर पर एस० पी० के अधीन है, तो मैं समझता हूं एस० पी० के अधीन रहते हुये डिप्टी सुपरिंटेंडेंट कम्प्लेंट्स कोई भी शिकायत की जांच जहां तक पुलिस के कर्मचारियों का संबंध है, ठीक तरीके से नहीं कर सकता है। जो सरकार का उद्देश्य है वह तभी पूरा हो सकता है जब कोई मैजिस्ट्रेट के दरजे के आदमी को यह अधिकार दें कि पुलिस के कर्मचारी. . .

श्री अधिष्ठाता--माननीय भारतीय जी आधे घंटे का समय है इसलिये आप संक्षेप में ही कहें।

श्री देवनारायण भारतीय--मैंने अभी तक ५ मिनट ही लिये हैं और १० मिनट के अन्दर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। तो मैं कह रहा था कि पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस कम्प्लेंट्स न करके किसी मैजिस्ट्रेट के सुपुर्द यह काम रखा जाय। चाहे वह मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का हो, सेकेंड का हो, थर्ड का हो या एक्स्ट्रा मैजिस्ट्रेट हो, वह मैजिस्ट्रेट की कैटेगरी का आदमी हो जो पुलिस के कर्मचारियों की शिकायतों की जांच करे। पुलिस के अलावा जो और विभाग हैं उनकी शिकायतों की जांच डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस कम्प्लेंट्स के द्वारा करायी जाय; एक तो सुझाव यह है।

दूसरा सुझाव मेरा मंत्री जी से यह है कि वे डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस कम्प्लेंट्स को एस० पी० की मातहती से स्वतंत्र कर दें और वह या तो जिलाधीश के डायरेक्ट कंट्रोल में रखें अथवा उसको किसी प्रांतीय अफसर की मातहती में रखें। मैं १९३७ और १९३९ के कांग्रेस राज्य काल का मंत्री जी को स्मरण दिलाऊंगा कि एक ऐंटी करप्शन अफसर प्रान्त में रहता था और जिलों में जो ऐन्टी करप्शन इंसपेक्टर्स या और जो कोई रहते थे वे प्रांविंशियल ऐंटी करप्शन अफसर की मातहती में रहते थे .....

श्री अधिष्ठाता--माननीय भारतीय जी प्रश्न यहां पर यह है कि जो मंत्री जी ने जवाब दिया है उससे आप असंतुष्ट हैं। सरकार की क्या नीति है यह प्रश्न नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय---आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं उसी के संबंध में निवेदन कर रहा था। मेरा निवेदन यह है कि मंत्री जी ने जो उत्तर दिया था उससे हमको यह संतोष नहीं है कि सरकार जो रिश्वतखोरी रोकने का प्रयत्न कर रही है और रिश्वत रोकने के लिये जो उपाय काम में ला रही है उन दोनों में सामंजस्य नहीं है। हमको उन दोनों में परस्पर विरोध दिखाई दिया इसलिये हमने यह विवाद मांगा। जो मेरे सुझाव थे वे आपके द्वारा माननीय मंत्री जी की सेवा में उपस्थित किये हैं और हम आशा करते हैं कि मंत्री जी इस बात पर प्रकाश डालेंगे। मैं जहां तक समझता हूं उनका उद्देश्य इस बात में बिलकुल ठीक है और उसमें हमको किंचितमात्र भी संदेह नहीं है कि वे रिश्वतखोरी को रोकना चाहते हैं। लेकिन उसको रोकने के लिये जो उपाय वे काम में ला रहे हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। यही मेरा निवेदन है। मैं उनका उत्तर सुनने के बाद और जो आवश्यक होगा कहूंगा।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---मान्यवर, यह विवाद जो माननीय सदस्य ने उठाया है वह ११ सितम्बर को कुछ सवाल किये गये थे जिनके उत्तर मैंने दिये थे और उस उत्तर को संतोषजनक हमारे माननीय सदस्य नहीं मानते हैं। आपने जो पत्र सचिव विधान सभा को लिखा है उसमें यही लिखा है कि सहायक प्रश्नों के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिये उनसे विषय का स्पष्टीकरण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री जी ने वस्तुस्थिति के विपरीत सदन को सूचनायें दीं। यह २ आपत्तियां आपको थीं जिसके कारण यह समय लिया गया। मैं नहीं जानता कि इस आधे घंटे के समय में माननीय सदस्य को इस विषय पर कुछ सुझाव देने का और कुछ नीति संबंधी.....

श्री अधिष्ठाता---मैंने रोक दिया था।

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, वह करीब-करीब पूरा कह चुके थे। आपने अवश्य रोका। तो मैं उसमें शायद न जाऊं। केवल प्रश्न तक ही सीमित रहता हूं। उस पर यदि आप आज्ञा देंगे तो कुछ थोड़ा स्पष्टीकरण उसका भी कर दूंगा।

प्रश्न आपका यह था जिस पर श्री मोतीलाल अवस्थी ने यह प्रश्न किया था कि 'क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किसी पुलिस अधिकारी के प्रति शिकायत भेजी जाने पर प्रथम उसकी स्वीकृति एस० पी० से अनिवार्य रूप से ले लेनी होती है तब भ्रष्टाचार की जांच होती है'? यह उनका प्रश्न था। मैंने उस पर पूछा कि 'किस चीज की स्वीकृति पूछ रहे हैं'? तो फिर अवस्थी जी ने कहा कि किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत के ऊपर जांच करने के लिये अनिवार्य रूप से पुलिस सुपरिंटेंडेंट की स्वीकृति। इस पर हमने जवाब दिया कि "जी नहीं, ऐसी बात नहीं है"।

इसमें बात यह लिखी है। कल्याणचन्द मोहिले का तो मूल प्रश्न था। उस पर जितने यह सप्लीमेंट्रीज हुये हैं उनमें यह सवाल हुये हैं जिनका मैंने उत्तर दिया। तो आपके पत्र से भी ज्ञात होता है कि आपको यह खयाल है कि नहीं, जिलों में जो तरीका बरता जाता है वह तरीका दूसरा है। बिना सुपरिंटेंडेंट पुलिस से अनिवार्य रूप से स्वीकृति लिये डी० एस० पी० (कम्प्लेंट्स) शिकायत की कोई जांच नहीं करता है। इस पर जो मैंने उत्तर दिया कि जी नहीं ऐसी बात नहीं है उससे आपका यह खयाल था कि स्थिति इससे स्पष्ट नहीं होती है और यह वस्तुस्थिति के विपरीत बात है। तो इस संबंध में मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैंने तो जो आदेश सरकार की ओर से निकले थे और जो इस स्कीम के पीछे एक भावना रही है उसके अनुसार उत्तर दिया था कि अनिवार्य रूप से स्वीकृति लेनी आवश्यक नहीं है क्योंकि प्रश्न था अनिवार्य रूप से स्वीकृति लेने का, यह अवस्थी जी के ही प्रश्न में "अनिवार्य रूप से" "अनिवार्य रूप से" यह दोनों बार आया है कि यह कम्पलशन है उनके लिये कि वह बिना स्वीकृति लिये आगे चल नहीं सकते, इस पर मैंने यह कहा था कि जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहां जो आदेश गये हैं उनसे जो ध्वनि निकलती है और जो उसमें स्पष्टीकरण है उससे अनिवार्य रूप से स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, मैं श्रीमान् मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भारतीय जी ने अपने पूरक प्रश्न में जो अस्पष्टीकरण था उस पर ही विवाद मांगा था।

श्री अधिष्ठाता—आप मुझसे कहें जो कुछ कहना हो।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि यह जो विवाद है यह भारतीय जी ने अपने पूरक प्रश्न पर अस्पष्टीकरण होने पर मांगा है.....

श्री अधिष्ठाता—मेरे पास जो सूची है उसमें भारतीय जी ने तो कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं किया है।

श्री देवनारायण भारतीय—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने अनुपूरक प्रश्न किये थे और उनका माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था।

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, जो यह प्रोसीडिंग हमारे सामने है उसमें भारतीय जी ने यह प्रश्न किया है "क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कोई भी शिकायत जो डी०एस०पी० कम्प्लेंट्स के पास भेजी जाती है उसमें तब तक जांच नहीं होती जब तक एस०पी० जिला के पास भेज कर स्वीकृति न ले ली जाय"? उस पर अध्यक्ष ने जवाब दिया कि इसका उत्तर वे दे चुके हैं।

श्री अधिष्ठाता—माननीय अवस्थी जी आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसे जरा आप दोहराइये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैंने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया था कि जो वाद-विवाद हो रहा है वह मोहिले जी के मूल प्रश्नों पर और भारतीय जी के अनुपूरक प्रश्नों के संबंध में है, लेकिन मंत्री जी जो उत्तर दे रहे थे वह मेरे पूरक प्रश्नों पर था, इसलिये वादविवाद प्रासंगिक नहीं हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता—वादविवाद संगत है। मूल प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न हुये और उन्हीं पर वादविवाद हो रहा है। इसलिये आपका प्वाइन्ट आफ आर्डर जो है वह असंगत है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—भारतीय जी ने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर अध्यक्ष जी ने दिया "इसका जवाब वे दे चुके हैं"। अगर भारतीय जी ने अपने प्रश्न में "अनिवार्य" नहीं कहा है और अध्यक्ष जी यह कह कर "इसका जवाब वे दे चुके हैं" आगे बढ़ गये हैं तो इसके लिये मैं दोषी नहीं हूं।

श्री देवनारायण भारतीय—श्रीमन्, मैं भी दोषी नहीं हूं।

श्री अधिष्ठाता—भारतीय जी आप बैठ जाइये, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—तो मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि 'अनिवार्य रूप से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है' यह बात मैंने कही थी। यह इस आधार पर कही थी कि डी०एस०पी० कम्प्लेंट्स जो है वह डी० आई० जी० एडमिनिस्ट्रेशन के और जिले के स्तर पर सुपरिंटेंडेंट पुलिस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है यह बात भी सही है कि नान-गजटेड आफिसर्स जितने हैं उन्हीं के खिलाफ आई हुई दरख्वास्तों पर वह जांच कर सकता है। नान-गजटेड आफिसर्स में पुलिस के लोग हो सकते हैं, दूसरे मुहकमों के लोग भी हो सकते हैं।

जहां तक दूसरे सरकारी मुहकमों का संबंध है उनमें नान-गजटेड आफिसर्स के खिलाफ वह जांच तभी कर सकता है जब आई हुई शिकायतों को कलेक्टर डी० एस० पी०

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

कम्पलेंट्स के पास भेज दें। यह आदेशों में स्पष्ट है। यही प्रक्रिया है। मान लीजिये माल मुहकमे की, पी० डब्ल्यू० डी०, सिंचाई के मुहकमे में किसी नान-गजटेड आफिसर की शिकायत है और डी०एस०पी० कम्पलेंट्स या एस०पी० के यहां भेज दिया गया है तो वे उसको कलेक्टर के यहां भेज देंगे और कलेक्टर जिले के स्तर पर उस विभाग विशेष के जो अधिकारी हैं, उनके पास उस शिकायत को भेज देंगे और फिर उनकी ओर से स्वीकृति मिल जाने पर कि इसकी जांच की जाय, कलेक्टर के यहां वह आती है और कलेक्टर फिर पुलिस सुपरिंटेंडेंट के यहां, या डी० एस० पी० कम्पलेंट्स के पास भेजते हैं और जांच उसकी होती है। यह उन मुहकमों की हालत है जो पुलिस में नहीं हैं और जो पुलिस में हैं, उनके लिये यह है कि सीधे सीधे डी० एस० पी० कम्पलेंट्स के यहां भी पड़ जाती है और एस० पी० के यहां भी पड़ जाती है और यह नान-गजटेड आफिसर्स की इस प्रकार से जांच होती है। जो गजटेड आफिसर्स हैं, उनका इनवेस्टीगेशन और जांच का जो युजुअल तरीका है उसके अनुसार एस० पी० कराते होंगे। अब डी० एस० पी० ऐडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में तो हैं एस० पी० के और अक्सर जो शिकायतें आती हैं डी० एस० पी० कम्पलेंट के पास, वह एस० पी० के यहां से आती हैं। डी० एस० पी० के पास भी बहुत सी शिकायतें आती हैं, जिन पर वह अपने एस०पी० से कंसल्ट कर लेता होगा, या ऐडवाइस ले लेता होगा। ऐसी बात नहीं है कि जितने भी केसेज आयें उसमें एस०पी० का मशविरा जरूर ही लें। वह स्वयं भी जांच कर सकता है। यह मैं मान सकता हूं कि व्यवहार में ऐसा आता होगा कि डी० एस० पी० जो जिले के स्तर पर जब एस० पी० के अधीन है तो जितनी शिकायतें पुलिस के मुहकमे की हों उन पर एस० पी० से कंसल्ट करता होगा और जो कार्यवाही करता होगा जांच पड़ताल की, उसकी सूचना भी एस०पी० को दे देता होगा, लेकिन यह उसके लिये जरूरी नहीं कि वह उनसे पूछ कर और राय लेकर ही जांच करे।

उसमें एक और बात यह है कि जो वह इन्क्वायरी करता है, उसकी रिपोर्ट की कापी वह डायरेक्ट डी०आई०जी० ऐडमिनिस्ट्रेशन को भेजता है, जिसके अन्डर वह है। जो डी०आई०जी० रेंज का होता है, वह अलग से होता है, उसके अन्डर वह नहीं है, बल्कि डी०आई०जी० ऐडमिनिस्ट्रेशन के अन्डर होता है जो कि अलग से एक अफसर नियुक्त है। साथ ही उस रिपोर्ट की एक कापी सूचनार्थ वह एस० पी० के पास भी भेज देगा? एस०पी० उस पर कार्यवाही भी करता है अगर जरूरी होता है। तो अनिवार्यतः उसके लिये यह लाजमी नहीं है कि बिना एस०पी० के पूछे हुये कोई काम न करे और डायरेक्टली अपनी रिपोर्ट अपने सुपीरियर आफिसर के पास न भेजें, जब तक वह उसके थ्रू न जाय।

एक बात और कहना चाहता था कि ऐंटी करप्शन कमेटी का वह सदस्य नहीं है। उसमें गजटेड और नान-गजटेड सभी अधिकारियों के संबंध में जब कोई शिकायत होती है तो पेश होती है तो जिस चीज की शिकायत होती है उसकी जांच कराने के लिये, जिसका जहां जुरिस्डिक्शन है, उसके अनुसार कार्यवाही होती है। यह जो डी० एस० पी० है इसका उससे ताल्लुक भी नहीं है, उससे अलग है। ऐंटी करप्शन कमेटी की सिफारिशें जो इसको विभागीय अधिकारियों द्वारा मिलती हैं कि इसमें जांच करो, उसको वह कर लेता है।

यह स्थिति है और यह मैंने इसलिये कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, जिसके माने यह हों कि अनिवार्य रूप से वह स्वीकृति प्राप्त करे ही। यही मैंने निवेदन किया था। जहां तक मैं समझता हूं स्थिति इससे स्पष्ट हो गयी और जो सुझाव हमारे माननीय मित्र ने दिया है, उस पर तो खैर, सरकार अवश्य गौर करती ही रहेगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी—माननीय अधिष्ठाता जी, यह आज का जो.....

श्री अधिष्ठाता—आप बहस नहीं कर सकते, प्रश्न करना चाहें तो कर लें।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मेरा प्रश्न यह है कि क्या भ्रष्टाचार समिति के मंत्री, जोकि आम तौर पर सरकारी अफसर हुआ करते हैं, उनके द्वारा घोषित की हुई नीति में कोई फर्क हो सकता है ? अगर नहीं हो सकता है तो मैं समझता हूं कि इसका प्रमाण मैं दे सकता हूं कि.....

श्री अधिष्ठाता—आप प्रश्न कीजिये सीधे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—तो क्या भ्रष्टाचार समिति के सेक्रेटरी जो सरकारी अफसर होते हैं, उनके द्वारा घोषित की हुई नीति और पुलिस मंत्री जी द्वारा घोषित नीति में कोई फर्क हो सकता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, भ्रष्टाचार समिति कोई नहीं है और न किसी ने बनायी है । भ्रष्टाचार निरोधक समिति है और मैं समझता हूं कि माननीय अवस्थी जी का इसी से तात्पर्य होगा और शायद वह उस समिति के सदस्य भी होंगे और नीति में भेद होने की कोई बात नहीं है । भ्रष्टाचार निरोध समिति जो बनी है वह सरकार के आदेश से बनी है और सरकार ने ही उसका कार्यक्षेत्र निर्धारित किया है, किस प्रकार कार्य करें वह निर्धारित किया है, उसकी कौन सी कार्य विधि है वह निर्धारित है , उसके पास शिकायत आयें तो जांच पड़ताल के विषय में वह राय दे सकती है यह निर्धारित है तो दो नीति या राय का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—श्रीमन्, प्रश्न तो यह है कि जिले में जब हम कम्पलेंट्स् आफिसर से किसी शिकायत के सम्बन्ध में एनक्वायरी करने के लिये कहते हैं तो प्रश्न यह उठता है कि अगर सुपरिटेंडेंट इजाजत दे देंगे तो वह जांच कर सकते हैं और मंत्री जी ने कहा है कि यह अनिवार्य नहीं है । यहां की बात कुछ और है और वहां की बात कुछ और मालूम होती है । इसलिये प्रश्न तो यह है कि जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है क्या ऐसी नीति के आधार पर उन लोगों को आदेश दिये गये हैं कि यह जरूरी नहीं है और अगर दिये गये हैं तो यह प्रश्न क्यों उठता है कि बगैर अधिकारी की आज्ञा के वह जांच नहीं कर सकते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, जो प्रश्नोत्तर हुये उस दिन भी एक प्रश्न किया गया था और वह किया था माननीय वीरेन्द्र वर्मा ने कि 'क्या मंत्री महोदय को अनुभव है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट कम्लेंटस् के सुपरिटेंडेंट के मातहत होने के कारण उसको पुलिस की शिकायतों की जांच करने में बहुत कठिनाई होती है और वह इंडिपेंडेंटली जांच नहीं कर पाते हैं ?' इसका उत्तर यह दिया गया था कि मेरा खयाल है कि ऐसी बात नहीं है । अगर इस प्रकार की कहीं शिकायत आती है तो हम जांच कर लेते हैं । अगर सदस्य के पास इस तरह की कोई शिकायत हो तो हम उसकी जांच कर लेंगे ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—श्रीमन्, एक सवाल बहुत जरूरी था ।

श्री अधिष्ठाता—समय नहीं है ।

श्री देवनारायण भारतीय—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण किया है वह ठीक ही है, लेकिन मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूं वह यह है कि आगे भी प्रश्नों के उत्तर में इस बात का ध्यान रखा जाय कि एक पूरक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने एक बात कह दी और दूसरा प्रश्न जो उसके विपरीत किया गया उनको माननीय अध्यक्ष ने उन तक पहुंचने नहीं दिया और यह कह दिया गया कि इसका उत्तर पहले दिया जा चुका है ।

श्री अधिष्ठाता—देखिये जिसका उत्तर दिया जा चुका है और प्रश्न अनुचित हो तो अध्यक्ष को अधिकार है कि वह उसको रोक दे।

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्वाइंट आफ आर्डर, श्रीमन्, अध्यक्ष जो बात कह दें क्या उसकी टीका-टिप्पणी करने का अधिकार उनको है ?

श्री अधिष्ठाता—नहीं है और इसीलिए मैंने उनको रोक दिया है।

श्री देवनारायण भारतीय—अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कहने जा रहा हूं कि यह प्रश्न अनिवार्य के सम्बन्ध में था और अगर उस दिन स्पष्टीकरण हो जाता कि ऐसा नहीं है तो आज की परिस्थिति पैदा नहीं होती और यह विवाद नहीं होता।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, मेरी समझ में नहीं आया कि परिस्थिति क्या पैदा हो गयी। जो कुछ परिस्थिति पैदा हुई होगी माननीय सदस्य ने स्वयं पैदा की होगी। बहरहाल, सप्लीमेंटरी होते हैं और उनका बहुत स्पष्ट उत्तर भी दिया गया है। अगर कहीं किसी प्रकार बुद्धि में ही भ्रान्ति उत्पन्न हो गई हो तो उसका निराकरण करने की शक्ति मुझमें नहीं है। प्रत्युत जितने प्रश्न हैं, स्पष्ट हैं और उसके बहुत स्पष्ट उत्तर भी दिये गये हैं। माननीय भारतीय जी तो बहुत पुराने साथी रहे हैं और उनको काफी अनुभव है। उन्हें इस बात का भी पता होगा कि सप्लीमेंटरीज के समय कोई बहुत लम्बे चौड़े बयान नहीं दिये जाते।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मिश्रल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१८ सितम्बर, १९५७।

उत्तर प्रदेश विधानसभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९४ पर)

तालिका

जेल विभाग द्वारा उत्पादित सामान पर सन् १९५४ से १९५६ तक निम्नलिखित लाभ हुआ:—

वर्ष	लाभ रुपयों में
१	२
१९५४	५,५०,६२८
१९५५	४,८९,३२२
१९५६	६,४३,७५३

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०२ पर)

जिला फर्रुखाबाद के विविध थानों के सब-इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबिल तथा कांस्टेबिलों की तालिका जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं

थाना		पुलिस अधिकारियों की संख्या जिनके विरुद्ध शिकायतें आई हैं		
	सन्	सब-इंस्पेक्टर	हेड कांस्टेबिल	कांस्टेबिल
१	२	३	४	५
फर्रुखाबाद ..	१९५४	२	२	५
	१९५५	२	१	४
	१९५६	२	२	५
फतेहगढ़ ..	१९५४	..	..	६
	१९५५	१	..	..
	१९५६	२	१	१
कमालगंज ..	१९५४	१	..	..
	१९५५	१	१	..
	१९५६	१	..	..
गुरसहायगंज ..	१९५४	१	..	..
	१९५५	१	..	१
	१९५६	१	१	२
राजेपुर ..	१९५४	२	१	..
	१९५५	२	..	२
	१९५६	२	१	२
कन्नौज ..	१९५४	२	१	१
	१९५५	१	१	२
	१९५६	..	२	१
सौरिख ..	१९५४	१	..	२
	१९५५	१	..	..
	१९५६	१	१	५
मोहम्मदाबाद ..	१९५४	..	..	१
	१९५५	१	..	..
	१९५६	१	..	..

उत्तर प्रदेश सभा

थाना		सन्	पुलिस अधिकारियों की संख्या जिनके विरुद्ध शिकायतें आई हैं सब-इंस्पेक्टर	हेड कांस्टेबिल	कांस्टेबिल
१		२	३	४	५
नवाबगंज	..	१९५४	२	..	..
		१९५५	२	..	२
		१९५६	१	१	४
इंदरगढ़	..	१९५४	१	..	..
		१९५५	..	..	२
		१९५६	२	..	२
कम्पिल	..	१९५४	१	१	१
		१९५५	१	..	२
		१९५६	२	..	४
ठठिया	..	१९५४	१	..	१
		१९५५	२	..	१
		१९५६	१	..	१
शमशाबाद	..	१९५४	१	१	३
		१९५५	२	१	२
		१९५६	१	१	२
छिबरामऊ	..	१९५४	२	..	..
		१९५५	२	१	४
		१९५६	२	१	६
कायमगंज	..	१९५४	१	..	२
		१९५५	१	..	२
		१९५६	१	..	..

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९३-९४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०७ पर।)

प्रश्न संख्या—९३ तालिका—'क'

जिला उन्नाव तथा रायबरेली में भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या

जिले का नाम	विभाग की स्थापना १-२-५६ से ३१-८-५७ तक भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या जिनमें जांच की गई	मामलों की संख्या जिनमें आरोप सही पाये गये	सही मामलों की संख्या जिनमें फैसला हो चुका है	सही पाये गये मामलों की संख्या जिनमें वैभागिक कार्यवाही हो रही है
१	२	३	४	५
उन्नाव ..	१९९	४६	१७	२९
रायबरेली ..	८०	४६	३०	१६

प्रश्न संख्या—९४ तालिका—'ख'

जिला रायबरेली तथा उन्नाव में माल विभाग के लेखपाल तथा कानूनगोयान के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की स्थिति

जिलों के नाम	लेखपालों के विरुद्ध मामलों की स्थिति १-२-५६ से ३१-८-५७ तक					कानूनगोयान के विरुद्ध मामलों की स्थिति १-२-५६ से ३१-८-५७ तक		
	मामलों की संख्या जिनमें जांच की गई	मामलों की संख्या सही पाये गये	मामलों की संख्या जिनका फैसला हो चुका है	सही पाये गये मामलों की संख्या जिनमें फैसला बकाया है	मामलों की संख्या जिनमें जांच की गई	मामलों की संख्या जो सही पाये गये	मामलों की संख्या जिनमें फैसला हो चुका है	सही पाये गये मामलों की संख्या जिनमें फैसला विचाराधीन है
उन्नाव ..	५	२	१	१	१	..	..	..
रायबरेली	२५	२०	९	११	१	१	१	..

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११० पर)

बाढ़ के कारण शुल्क मुक्त होने की छूट जो बलिया जिले के विद्यालयों को १९५५-५६ में दी गयी थी, का विवरण

क्रम-संख्या	विद्यालयों के नाम जिन्होंने बाढ़ के कारण दी गई छूट के धनराशि की मांग की थी	भिन्न भिन्न विद्यालयों द्वारा मांगी गई धनराशि	जिलाधीश द्वारा स्वीकृत धनराशि
१	२	३	४
		रु०	रु०
१	एल० डी० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बलिया ..	३,७२५ १० ०	३,३५२ ८ ०
२	एम० जी० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दलन छपरा ..	८५३ १२ ०	८५३ १२ ०
३	डी० आर० पी० इन्टर कालेज, बैरिया ..	४,७१४ १४ ०	४,३९० ० ०
४	एस० सी० कालेज, बलिया ..	२,०१२ ८ ०	२,०१२ ८ ०
५	बन्सी बाजार इन्टर कालेज, नवानगर ..	२,१६८ १२ ०	२,१२८ १२ ०
६	सी० पी० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सहतवार	१,१७७ ० ०	१,०५७ ८ ०
७	आर० के० वी० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भीम पुरा	९०० ० ०	९०० ० ०
८	जी० एम० ए० एम० इन्टर कालेज रोड	१,६०५ ० ०	१,६०५ ० ०
९	एन० बी० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, करन छपरा	१,०९८ ० ०	१,०९८ ० ०
१०	एस० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शिवपुर ..	२,९६२ ८ ०	२८६२ ८ ०
११	आर० एस० के० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दूबहर	३,९१९ ६ ०	३,९१९ ६ ०
१२	पी० एन० इन्टर कालेज, दूब छपरा	२,०१६ ४ ०	२,०१६ ४ ०
१३	डी० ए० पी० इन्टर कालेज, बेलधरारोड	३,४४१ १२ ०	३,२६८ १२ ०
१४	एम० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रतनपुरा ..	२,२३८ ० ०	२,२३८ ० ०

क्रम-संख्या	विद्यालयों के नाम जिन्होंने बाढ़ के कारण दी गई छूट के धनराशि की मांग की थी	भिन्न भिन्न विद्यालयों द्वारा मांगी गयी धनराशि	जिलाधीश द्वारा स्वीकृत धनराशि
१	२	३	४
१५	श्री सुबाष विद्यालय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ताड़ीबढ़ा गांव ..	रु० २,५४३ १२ ०	रु० २,२३८ ० ०
१६	के० जी० एस० जे० इन्टर कालेज, रसड़ा ..	२,९८७ ८ ०	२९८७ ८ ०
१७	एस० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गोहमलपुर ..	७४५ ८ ०	७४५ ८ ०
१८	श्री गांधी महाविद्यालय,, मलप ..	३,९४५ ० ०	३,९४५ ० ०
१९	एस० एस० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सोहसोहाव ..	११८१ ४ ०	११८१ ४ ०
२०	ए० आर० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चौरा	३,४०६ ४ ०	३,४०६ ४ ०
२१	एम० एस० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बादिलपुर ..	५,२५१ ४ ०	५,२५१ ४ ०
२२	बांसडीह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बांसडीह	४,१९८ १२ ०	४,१९८ १२ ०
२३	आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सीवान कलां ..	२,१२४ ० ०	२,१२४ ० ०
२४	राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, संदवापुर ..	४९५ ० ०	४९५ ० ०
२५	गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिकन्दरपुर	२,५८७ ८ ०	२,५८७ ८ ०
२६	टाउन इन्टर कालेज, बलिया ..	५,९०६ ४ ०	५,९०६ ४ ०
२७	के० के० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नारायणगढ़ ..	५,५८० ० ०	५,५८० ० ०

क्रम-संख्या	विद्यालयों के नाम जिन्होंने बाढ़ के कारण दी गई छूट के धनराशि की मांग की थी	भिन्न भिन्न विद्यालयों द्वारा मांगी गयी धनराशि	जिलाधीश द्वारा स्वीकृत धनराशि
१	२	३	४
२८	जूनियर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मनियर ..	रु० ५,५१२ ८ ०	रु० ५,५१२ ८ ०
२९	जिला परिषद्, बलिया ..	४८,५९५ १४ ३	४९,३२२ ६ ६
३०	के० एस० इन्टर कालेज, बलिया ..	३,२२१ ८ ०	३,२२१ ८ ०
३१	मरचेन्टस इन्टर कालेज, चितबड़ा गांव ..	२,६२८ १२ ०	२,६२८ १२ ०
३२	जूनियर हाई स्कूल, करम्भर ..	६६३ १२ ०	६६३ १२ ०
३३	के० जी० एस० जे० कालेज, रसड़ा (पूरक)	११० ० ०	११० ० ०
३४	एन० बी० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, करन छपरा (पूरक) ..	४,८४३ ८ ०	४,८४३ ८ ०
३५	पी० एन० इन्टर कालेज, दूबे छपरा (पूरक)	३,१२६ ४ ०	३,१२६ ४ ०
३६	डी० ए० वी० इन्टर कालेज, वेल्थरा रोड (पूरक)	३७७ ८ ०	३७७ ८ ०
३७	डी० आर० पी० इन्टर कालेज, बैरिया (पूरक) ..	११,४६१ ४ ०	११,४६१ ४ ०
३८	जूनियर हाई स्कूल, सोमवानी ..	५४६ १४ ०	५४६ १४ ०
३९	रतसड़ इन्टर कालेज, रतसड़, बलिया ..	६,२२८ १२ ०	..
४०	जे० बी० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गड़वाल, बलिया ..	७६८ ४ ०	७६८ ४ ०
४१	एस० जे० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कोटवारी, बलिया ..	४६७ ४ ०	४६७ ४ ०

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १११ पर)

ग्राम देवरिया, थाना नईकोट, जिला गोरखपुर में राम बहादुर पहाड़ी की हत्या की घटना का विवरण

ग्राम बेरिया, थाना नई कोट, जिला गोरखपुर के निवासी श्री तारादत्त ने थाने में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक १९ जुलाई, १९५७ की रात्रि को लगभग १० बजे वह बंदूक की आवाज सुन कर जाग उठा। वह कुछ अन्य गांव वालों के साथ श्री राम बहादुर के मकान की ओर दौड़ा और देखा कि ६–७ आदमियों ने जिनमें से तीन के पास बंदूकें थीं और अन्य के पास लाठियां और टार्च भी थीं राम बहादुर और त्रिवेनी सुनार जो उस रात्रि वहीं सो रहा था को घेर लिया। उनमें कुछ झगड़ा हो रहा था। उसी समय घेरने वाले व्यक्तियों में से एक ने त्रिवेनी सुनार पर गोली चला दी और उसे घायल कर दिया। श्री राम बहादुर अपनी लाठी लेकर वहां से खिसक गया। परन्तु उन लोगों ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ कर वापस ले आये। तब उन्होंने उससे एक विशिष्ट बंदूक की मांग की। श्री रामबहादुर के बंदूक के बारे में कोई जानकारी होने का इन्कार करने पर उन्होंने सारे घर की तलाशी ली और उसे घर के बाहर एक चारपाई से बांध दिया। उसके बाद उन्होंने उससे बार-बार बंदूक के बारे में पूछा और धमकी दी कि वे उसे गोली मार देंगे। तदनुसार उन्होंने उस पर तीन गोलियां चलायीं जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। हत्यारों के पास बंदूकें होने के कारण गांव वालों का उनके करीब जाने का साहस नहीं हुआ।

उक्त रिपोर्ट के अनुसार धारा १४८, ३०२, ३०७, ४५२ भा०द० वि० का मामला दर्ज किया गया और उसमें जांच हो रही है।

उत्तर प्रदेश वि.

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११२ पर।)

तालिका 'क'

जिसका उल्लेख अतारांकित प्रश्न संख्या २ के उत्तर में किया गया है

बिड़ला विद्या मंदिर इन्टर कालेज, नैनीताल

वर्ष		आवर्त्तक	अनावर्त्तक
१९४८–४९ ..	..	..	८,०००
१९५०–५१ ..	..	..	३,०००
१९५५–५६ ..	..	१२,०००	..
१९५६–५७ ..	..	१२,०००	..
	योग ..	२४,०००	११,०००
	योग ..	३५,०००	

संसदीय पुस्तकालय

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११२ पर)

तालिका 'ख'

जिसका उल्लेख अतारांकित प्रश्न सं० ३ के उत्तर में किया गया है

गोविन्द बल्लभ पंत इन्टर कालेज, नैनीताल

वर्ष	आवर्त्तक अनुपालन	महंगाई	अनावर्त्तक शुल्क छूट	भवन निर्माणार्थ	काष्ठोप-संग्रहालय एवं सज्जा		सामुदायिक केंद्र	केंद्रीय योजना नं० (४) बी
१९५२–५३	१,०५०	..	..	..	..	..	..	..
१९५३–५४	९६४	..	२,०००	..	..	..	..	..
१९५४–५५	१,९९२	४८०	..	..	..	..	..	१५,०००
१९५५–५६	३,६८०	४२०	..	..	२५	६००	४३०	..
१९५६–५७	८,८२४	५४८	३२०	..	..	..	..	..
योग	१६,५१०	१,४४८	३२०	२,०००	२५	६००	४३०	१५,०००
	कुल योग				३६,३३३ रु०			

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१५८ एल० ए०—१९५७—७९६।